(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का 15वां दिवस [संख्या 11 अ

सोमवार

3 मार्च, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

(कृषि, जन-स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, वित्त, राजस्व, पर्यटन, आवासन बोर्ड, यातायात, वन, स्वायत्त शासन, कारागृह, खनिज, पंचायत, उपनिवेशन, खाद्य व पूर्ति, नगर-आयोजन, सैनिक कल्याण—विभाग)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य।

बीज के खरीद के मामले की जांच

251. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बीज की खरीद के मामले में राज्य सरकार द्वारा तीन उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपना प्रतिवेदन बहुत समय पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही की गई है। समिति की सिफारिशों/निष्कर्षों का कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण किया गया, तथा अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों को 9-8-74 को चार्जशीट किया गया है। कृषि निदेशक का भी सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस के लिये स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागीय कार्यवाही समाप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया यह कब से कार्यवाही की गई और कब से यह रिपोर्ट पड़ी रही और कब एक्शन लिया गया ?

श्री शिवचरण माथुर : कमेटी ने तीन व्यक्तियों को खास तौर से इन्वाल्व किया था, एक डिप्टी डाइरेक्टर श्री सुदर्शन श्री माथुर सीनियर एकाउंट्स आफीसर, इनके लेप्सेज के संबंध में फाइंडिंग्स दी थीं और डाईरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को सुपरवाइजरी नेग्लीजेंस के लिए दोषी ठहराया। उनकी सिफारिश पर चार्जशीट फ्रेम करके सबमिट की गई और उनसे जवाब मांगे गए और अब यह सारा मामला परसोनेल विभाग के अन्दर एग्जामिनेशन है, वहां से ऐक्जामिनेशन होने के बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

Page No. 2

(2)

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेप्सेज तो बड़ा वाइड टर्म है । आरोपों का विवरण दिया जाए और कमेटी की रिपोर्ट की क्रियान्विति में कितना समय लगेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : आरोप ये थे ।

(1) क्या बीजों के विभिन्न किस्मों के क्रय करने हेतु निविदायें आमंत्रण एवं क्रय करने मे नियमों एवं प्रणाली (प्रोसीजर) का पालन किया गया था ? क्या समुचित प्रकाशन निविदा जांच (टेन्डर एन्क्वायरी) हेतु विज्ञप्त किया गया था ?

(2) क्या बीजों के विभिन्न किस्मों हेतु स्वीकृत दरें बाजार में प्रचलित दरों से अधिक थीं ?

(3) यदि मद नंबर 2 का उत्तर हां में हो तो क्या उक्त दरें स्वीकार करने हेतु पर्याप्त औचित्य था ?

(4) निविदा सूचना प्रकाशन करने में निदेशक, जन सम्पर्क विभाग का क्या दायित्व था ?

(5) अनियमिततायें यदि कोई हों, के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करना ।

ये खास तौर से उसकी रिकमंडेशन्स थीं और इसमें कमेटी ने जानकारी करने के बाद में पाया कि जो कुछ टेन्डर्स मांगे गए थे, वे अकार्डिंग टू प्रोसीजर नहीं थे, उसके बाद में यह उन्होंने पाया कि दरों में भी डिफरेंसेज थे और उसी आधार पर चार्जशीट दी गयी है और जवाब आने पर एक्जामिनेशन करने के बाद में उपयुक्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने तारीखें नहीं बताई । चार्जशीट तो अभी ही दी है । सारी जांच करने में कितना समय लगा दिया ? चार्जशीट कौनसी तारीख को दी गयी ?

श्री शिवचरण माथुर : जांच में समय लग गया है, इसमें दो राय नहीं लेकिन अलग अलग विभागों में इसकी जांच हुई है । खास तौर से क्योंकि यह प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे इसलिए परसोनेल विभाग में जांच में काफी समय लग गया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'काफी' को पूरा बताया जाए । एक महीना लगा वह ठीक है या 4 साल लगा वह ठीक है ?

श्री शिवचरण माथुर : 22-6-73 को कमेटी की रिपोर्ट, 9-8-74 को चार्जशीट दी गयी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल) : इसके लिए कौन उत्तरदायी हैं ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? आखिरकार भ्रष्टाचार के मामलों पर इतनी सारी कमेटियां आप बनाते हैं और उन पर रिपोर्ट्स आते ही एक्शन नहीं लेते हैं, इसका जनमानस पर बुरा असर पड़ता है । प्रश्नकर्ता ने प्रश्न दिया उसके बाद में आपने चार्जशीट दी । किस लेवल पर कहां ढिलाई बरती जाती है ? उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसा नहीं है । प्रश्नकर्ता ने प्रश्न दिया उसके बाद चार्ज-

Page No. 3

(3)

(श्री शिवचरण माथुर)
शीट दी, ऐसा नहीं है। प्रशासनिक सेवाओं की जो एन्क्वायरीज होती हैं, उसकी कार्यवाही विभाग के द्वारा अध्ययन होने के बाद परसोनेल विभाग के पास जाती हैं। अलग से दूसरे विभाग कार्यवाही नहीं कर सकते और उन्होंने जांच करने में इतना समय लगाया। अब वह चार्जशीट दे दी गई है, उनका जवाब आ गया है, फौरन स्टडी करके कार्यवाही की जाएगी।

श्री ओराम गोटेवाला : चार्जशीट कौन सी तारीख को दी गई ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : जब जवाब आ गया तो सदन को विश्वास दिलायें कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : एक अधिकारी का जवाब आना बाकी है। एक अधिकारी का आ गया है। उसके बाद में तुरन्त इस पर जांच करके कार्यवाही करेंगे।

श्री दीपंकर : जिसका जवाब आ गया उसके लिए तो घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

पाली नगर में पानी की व्यवस्था

252. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि पाली नगर में जनता को पीने का पानी जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर सप्लाई न करने व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गंदा पानी सप्लाई करने की शिकायतें विभाग के उच्च अधिकारियों व मंत्री महोदय को पेश हुई थीं ? यदि हां तो कब कब और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां। पाली नगर में जल वितरण की कमी व गंदा जल वितरण होने के बाबत शिकायतें मुझको माह मई 1974, में एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय को माह मई, जून, अगस्त एवं सितम्बर 1974 में प्राप्त हुई हैं। इसके संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता जलदाय विभाग को व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। पाली नगर में जल की कमी मई, 1974 के मध्य में जवाई नहर बन्द हो जाने के कारण हो गई थी व 24 मई, 1974 को नहर वापिस चालू हो जाने पर वितरण व्यवस्था ठीक कर दी गई थी। पाइप लाइन के जल को दूषित करने वाले पाइप कनेक्शनों का विच्छेद किया गया व पाइप लाइन ठीक की गई।

श्री शंकरलाल : 'कमी' का प्रश्न दूसरा है। क्या यह सही है कि रात को एक बजे से सुबह 5 बजे तक पानी देने का समय रखा है जिसमें भिश्ती वगैरह पानी ले लेते हैं और घर वाले पानी नहीं ले पाते, लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पाता। दूसरी बात, वहां के इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी तालाब में जाता है वहां से फिल्टर हो कर मिलता है। उसके लिए शिकायतें भी कीं उस पर आगे क्या कार्यवाही की ?

श्री चंदनमल बैद : जैसा मैंने निवेदन किया जवाई नहर के बंद हो जाने के कारण शहर में जो तालाब था उसके पानी को फिल्टर करके कुछ दिनों के लिए वितरित किया

(५)

(श्री चंदनमल बेद)
गया। गंदे पानी का कारण यह है कि वहां कुछ फेक्ट्रीज है उनका पानी नहर के अन्दर के पानी में इकट्ठा होता रहता है उसको बहाने के लिए नगरपालिका नालियां बना रही है, इनके निर्माण का भी कार्य किया क्योंकि जो पानी हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि पाइप्स फूट गये इससे गंदा पानी आने लगा, साथ साथ घरों में जो कनेक्शन्स हैं उनके पाइप्स भी फूट गए इससे हमारे पाइप्स में भी गंदगी हो गई। इसलिए हमने दो उपाय किये हैं एक तो जो पाइप फूट गए थे उनकी मरम्मत की गई और घरू कनेक्शन्स, जिनके पाइप फूटे हुऐ थे, उनको विच्छेद किया गया। अब कोई शिकायत नहीं है कि गंदा पानी जा रहा है।

श्री शंकरलाल : जिन अधिकारियों ने टट्टी और पेशाब जनता को पिलाया उनके खिलाफ मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्दनमल बद : ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन चूंकि पाइप उनके फूटे हुए थे उस कारण से गंदगी जरूर गई, उनके कनेक्शन्स विच्छेद कर दिए और हमारे पाइप्स की मरम्मत करवाई। बाकी यह कहना कि मल मूत्र पिलाया गया, गलत है।

श्री शंकरलाल : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, वह बिल्कुल सही है। वहां परिवार नियोजन अधिकारी ने स्वयं बोतल पानी की भरकर पी.एच.ई. के इंजिनीयर्स, कलेक्टर और सेशन जज को बताई कि बड़े-बड़े आफिसर्स को ऐसा पानी पिलाया जाता है। मैंने खुद आकर शिकायत की और कहा कि आपके अधिकारी फेक्ट्रीज वालों से मिले हुए हैं, अधिकारियों की मिली-भगत के कारण ऐसा होता है और समय पर पानी नहीं मिलता।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय, स्वयं ने मंजूर किया है कि उनके पाइप फूटे हुए थे इसलिए गन्दा पानी गया है। यह तो मानी हुई बात है कि पाइप फूटा हुआ था और म्यूनिसिपल की नालियों में बहकर गंदगी गई है। फिर तो टट्टी पेशाब पिलाया गया है। क्यों नहीं मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि गांव वालों को ऐसा पानी पिलाया गया है दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए ?

श्री चन्दनमल बेद : मेरे जवाब को आपने ठीक नहीं सुना। मैंने कहा, नालियां पानी निकालने के लिए बनाई गईं, पाइप को क्षति पहुंच गई उससे जो गलियों में कचरा था वह उसमें मिल गया। ज्यों ही हमारे ध्यान में यह बात आई तो नालियों की मरम्मत की गई और घरों में जो प्राइवेट कनेक्शन्स टूटे हुए थे उनके द्वारा जो गंदगी उनमें चली गई, उनको डिस्कनेक्ट कर दिया। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां की फेक्ट्रीज को रात को पानी दे देते हैं। ज्यों ही मुझे शिकायत मिली मैंने अधिशासी अभियन्ता को आदेश दिए कि माननीय सदस्य से कन्सल्टेशन करके पानी देने का समय निर्धारित किया जाए और अब तय कर दिया गया है कि रात के समय पानी नहीं दिया जायगा सारा पानी दिन में दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि पाली में दिन में पानी कब से देना शुरू किया ? वहां तो अभी तक भी रात को पानी दिया जा रहा है ।

श्री चन्दनमल बैद : मुझे तो यह सूचना मिली है कि वहां पर अब रात को पानी नहीं दिया जाकर दिन में पानी दिया जा रहा है ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना गलत है और जिसने सूचना दी अगर उस अधिकारी ने गलत सूचना दी है तो उसके लिये मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी अधिकारी ने गलत सूचना दी है तो उसके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री शिवनारायण ।

बारां अस्पताल में दन्त विभाग

253. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बारां शहर के सरकारी अस्पताल में दन्त विभाग खोलने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री शिवनारायण : अध्यक्ष महोदय, कोटा डिविजन में बारां सबसे बड़ा उप जिला है और वहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है । इसलिये जन हित को देखते हुए वहां पर कम से कम दन्त विभाग तो अस्पताल में होना चाहिये, क्या राज्य सरकार ऐसा विचार नहीं रखती ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर दन्त विभाग अस्पताल में खोलना चाहिये, यह प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । दन्त विभाग जिला स्तर पर अस्पतालों में खुले हुए हैं । इसलिये वहां पर दन्त विभाग सरकारी अस्पताल मे खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है । क्या माननीय मंत्री महोदय यह मानती हैं कि कोटा डिविजन में बारां खण्ड और छबड़ा खण्ड दोनों ही बून्दी जिले से बड़े हैं तो क्या राज्य सरकार इस दृष्टिकोण को मानते हुए कि वहां की आबादी भी ज्यादा है और बून्दी जिले के सरकारी अस्पताल में आपने दन्त विभाग खोल रखा है तो दन्त विभाग बारां और छबड़ा खण्ड में खोला जाना चाहिये ? इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति है कि वह पिछड़े वर्ग और पिछड़े इलाकों का विकास करे ? चूंकि बारां और छबड़ा खण्ड में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा होने की वजह से और वह कान्स्टीट्यूएन्सी पिछड़े वर्ग की होने के नाते वहां पर दन्त विभाग खोलने का इरादा राज्य सरकार का होगा ?

(श्री रामगोपाल)
इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सदन में इस प्रकार की घोषणा करें कि वह कब तक वहां दन्त विभाग सरकारी अस्पताल में खोलने जा रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय, यह दन्त चिकित्सा विभाग सभी जिला स्तर पर जो अस्पताल हैं वहां पर खोले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सब डिविजन और पोपूलेशन का कोई दृष्टिकोण नहीं रखा गया है। इसमें तो जिला स्तर पर जितने अस्पताल हैं वहीं पर दन्त चिकित्सा विभाग रखा गया है और जब भी जिला स्तर से आगे खण्ड स्तर पर दन्त विभाग खोलने का राज्य सरकार विचार करेगी तो बारां क्षेत्र के बारे में भी विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामगोपाल : यह आप कब तक विचार करेंगे?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में अभी तक राज्य सरकार ने कोई तारीख तय नहीं की है और न ही कोई तारीखवार सूचना ही मेरे पास है कि इस बारे में राज्य सरकार कब तक विचार करेगी।

श्री रामगोपाल : फिर भी राज्य सरकार इस बारे में कब तक विचार करेगी, यह एक महत्वपूर्ण मामला है हमें मालूम तो पड़े।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। यह दन्त विभाग राज्य सरकार ने कहां कहां पर मुकर्रर किया है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह दन्त विभाग अभी सभी जिला स्तर पर जो चिकित्सालय हैं वहां पर मौजूद हैं या बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पर मौजूद हैं।

प्रश्न संख्या 254

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गोकुलचन्द।

कठूमर को तहसील बनाने का मामला

255. **श्री गोकुल चन्द (कठूमर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील की जन संख्या क्या है? इस तहसील के अन्तर्गत सब-तहसील कठूमर की जन संख्या क्या है?

(2) अलवर जिले में रामगढ़ तहसील की जन संख्या और थाना गाजी तहसील की जनसंख्या क्या क्या है?

(3) कठूमर सब तहसील को तहसील बनाये जाने का प्रश्न क्या सरकार के विचाराधीन है?

(4) इस सम्बन्ध में कठूमर पंचायत समिति के द्वारा यह मांग कब प्रस्तुत की गयी तथा अब कब तक इस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

राज्य मंत्री राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा): (1) लक्ष्मणगढ़ तहसील की कुल जनसंख्या 224478 तथा कठूमर उप-तहसील की जनसंख्या 75376 है।

(2) रामगढ़ तहसील की जनसंख्या 90480 तथा थानागाजी तहसील की जन संख्या 87446 है।

(3) जी हां।

(4) कठूमर पंचायत समिति ने इस सम्बन्ध में दिनांक 5-9-74 को मांग प्रस्तुत की है। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोकुलचन्द : अध्यक्ष महोदय, अभी अलवर जिले में 9 तहसीलें हैं और दसवीं सब-तहसील कठूमर है। यह सब तहसील लक्ष्मणगढ़ से और रामगढ़ से भी बड़ी है। इसके अलावा न केवल ऐरिया बल्कि आबादी के दृष्टिकोण से भी दूसरी तहसीलों से बड़ी है। लेकिन अभी तक इसको तहसील नहीं बनाया गया है। इसके लिए मैं चाहे तो राज्य सरकार की लापरवाही कहूं जिसने इस बारे में कोशिश नहीं की या वहां की जनता की लापरवाही कहूं लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक उसको तहसील का दर्जा नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार राज्य सरकार को निवेदन करता रहा हूं और अबको बार वहां की पंचायत समिति ने भी कठूमर सब-तहसील को तहसील हैडक्वार्टर बनाने के लिए मांग की है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि वह इसके लिये सदन में आश्वासन दें कि कठूमर सब-तहसील को कब तहसील हैडक्वार्टर में कमोन्नत किया जायेगा। क्या राज्य सरकार इसको जनता की उचित मांग नहीं मानती है और मानती है तो उसे कब तक तहसील बना दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल यह है कि मांग वाजिब है या नहीं इसके दृष्टिकोण से तो कई मांगें वाजिब होती हैं लेकिन राज्य सरकार उनको पूरा नहीं कर सकती है, और उसमें कोई भी रीजन हो सकता है। यह सही है कि कठूमर सब-तहसील शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कान्स्टीट्यूएन्सी है। लेकिन किसी सब-तहसील को तहसील हैडक्वार्टर बनाने में हमें कई चीजें देखने पड़ती हैं जैसे भूराजस्व, उस सब-तहसील के पूरे क्षेत्र का रकबा कितना है और वहां के खसरा नम्बर कितने हैं। वहां की रेवेन्यू कितनी है यही सभी बातें देखनी पड़ती हैं। इस मामले को लेकर माननीय सदस्य मुझ से मिले भी थे कि कठूमर सब-तहसील को तहसील में कमोन्नत किया जाय। लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार के पास पंचायत समिति से मांग सर्व प्रथम सितम्बर 1974 में आयी। उसके बाद में राज्य सरकार ने उस मांग को रेवेन्यू बोर्ड और अलवर के जिलाधीश के पास इस रिकमण्डेशन के लिये भेजा कि आया यह उचित है या नहीं। राज्य सरकार के पास में अभी तक जिलाधीश और रेवेन्यू बोर्ड के पास से इस विषय में प्रस्ताव नहीं आये हैं जब उनके पास से प्रस्ताव आयेंगे तब राज्य सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
अध्यक्ष महोदय, यह तहसीलों का रिआर्गेनाईजेशन कब तक राज्य सरकार करने का विचार रखती है? क्योंकि हमारे चौमू की तहसील के कई गांव आमेर में है और लोगों को अपनी तहसील में जाने के लिये जयपुर में होकर जाना पड़ता है। तो इसके लिये राज्य सरकार क्या चौमूं तहसील के आस पास के गांवों को आमेर तहसील से निकाल कर चौमूं तहसील में देने का विचार रखती है ताकि लोगों को सुविधा रहे?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी तहसीलों के रिआर्गेनाईजेशन का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लूणाराम।

पर्यटन केन्द्रों का सर्वे

256. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि सरकार पंचम पंचवर्षीय योजना में हर तहसील क्षेत्र में जहां पर कोई पर्यटन स्थल नहीं है एक मनोरंजन पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या ऐसे पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण हो चुका है जहां पर पर्यटन केन्द्र स्थापित किया जाय?

(2) ऐसी कुल कितनी तहसीलें हैं जहां पर ऐसे पर्यटन केन्द्र बने हुए नहीं हैं?

(3) क्या जहां पर अविकसित पर्यटन क्षेत्र हैं उन्हें विकसित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री जुझारसिंह) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब सिर्फ 'जी नहीं', और 'प्रश्न नहीं उठता' शब्दों में ही समाप्त कर दिया। पर्यटक की परिभाषा मैंने नहीं की है क्योंकि जरूरी नहीं है कि विदेशी पर्यटक ही आवें, पर्यटक नजदीक के भी आ सकते हैं, तो कम से कम उनकी सुविधा के लिए हर तहसील में कोई न कोई क्षेत्र तो नजदीक में होना चाहिये। क्या इसके लिये राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी? क्या मन्त्री महोदय तहसील क्षेत्र में टूरिस्टों के विकास के लिये कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने जबाब मांगा है मैंने उसका ही जवाब दिया है। इसमें कोई सूचना गलत मैंने नहीं दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं मन्त्री महोदय को पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार किसी जगह को टूरिस्ट स्थल बनाने के लिये क्या क्राईटेरिया ध्यान में रखती है? इसके लिये क्या कोई प्लान बनाया जाता है या किसी प्रकार का स्थल टूरिस्टों के लिये होना जरूरी है? इससे माननीय मन्त्री महोदय सदन को अवगत करावें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या राज्य सरकार पर्यटकों को प्रोत्साहन देने के लिए

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
गेम्स सेन्चूरोज वगैरह का विकास करने के लिये भी योजनायें बनाती है जिससे कि वहां पर पर्यटक अधिक से अधिक आ सकें?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने टूरिस्ट स्थान डवलप करने के लिये प्रश्न उठाये। इसमें टूरिस्ट स्थान वहां पर डवलप किया जाता है जहां पर कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा एट्रैक्ट हो सकें। इसमें गेम्स सेन्चूरोज हैं, फोरेस्ट्स है, और ओल्ड मोन्यूमेन्ट्स वगैरह होते हैं, उनके डवलपमेंट के लिये कार्य करती है। इसमें ज्यादातर राजस्थान में जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर वगैरह मुख्य हैं क्योंकि यहां पर काफी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये जगह हैं। इसके अलावा होम टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिये हमारे यहां पर नाथद्वारा, पुष्कर, आबू वगैरह हैं। राजस्थान में और दूसरी जगहें भी टूरिस्टों को आकर्षित करने की हो सकती है लेकिन अर्थाभाव में उनका विकास नहीं हो पा रहा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा कि जयपुर को भी टूरिस्ट दृष्टि से डवलप किया जा रहा है। आपने म्युजियम के विकास के लिये क्या योजना हाथ में ली है? सबसे अधिक पर्यटक जयपुर में आते हैं। नाहरगढ़ की क्या योजना है? एवं और क्या क्या योजनायें विचाराधीन हैं?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर)। इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहती हूं। छोटा सा है यह सब ही जानते हैं कि आमेर ऐसी जगह है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय टूरिज्म के लिये उपयुक्त है। उसके विकास के लिये, जहां से बहुत रैवेन्यू मिलता है, सरकार के पास क्या योजना है? मंत्री महादय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं। पिछले मंत्री, जी ने कुछ काम शुरू करवाया था। सब लोग जो बाहर से आते हैं वे वहां पर जाते हैं क्योंकि आमेर का नाम बहुत प्रसिद्ध है।

श्री रामगोपाल : मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कोटा जिले जहां से मंत्री महोदय आते हैं और मेरा निवास स्थान है, में सीतावाड़ी बहुत ही दर्शनीय एवं प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है उसके विकास के लिये क्या कोई योजना है?

श्री जुझारसिंह : इस तरह से हरएक इन्डीविजुअल प्रश्न का जवाब देना मेरे लिये इस समय संभव नहीं हो सकेगा। इससे सम्बन्धित प्रश्न का ही मैं जबाब दे सकूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : हर जिले का मसला है। 26 सप्लीमेन्ट्री तो ऐसे ही हो गये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (जौहरी बाजार, जयपुर) : लिस्ट भिजा दी जाय ताकि और सवाल आ जायं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह प्रश्न था कि सरकार नाहरगढ़ का विकास कर रही है, जयपुर शहर में जंतर मंतर है और यह हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध है। इसके विकास की भी कोई योजना है क्या?

श्री जुझारसिंह : इस प्रश्न से सम्बन्धित सवाल तो, अध्यक्ष महोदय, इस समय

(श्री जुझारसिंह)

पूछे नहीं जा रहे हैं और हरएक अपनी अपनी जगह के सवाल पूछ रहे हैं जिनका इस समय जवाब देना मेरे लिये संभव नहीं हो सकेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तहसील तक की बात इस प्रश्न में पूछी गयी है। मंत्री महोदय से यह तो उम्मीद की जाती है कि तहसीलवाइज नहीं जिलेवार तो प्रश्नों का जवाब दें।

श्री किशोरीलाल (सलूम्बर) : उदयपुर जिले में ऐतिहासिक झील है जयसमन्द, उसके विकास के लिये क्या आपके पास कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष : और कोई फर्मा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो जंतर मंतर कीजिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जंतर मंतर बंद कर दीजियेगा।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, 62 लाख की योजना है। 16 योजनायें ऐसी हैं जिन पर यह रकम खर्च की जानी है। इन्ट्रेस्ट हो तो मैं इसको पढ़ कर सुना दूं।

1. डेवलपमेन्ट आफ कुम्भलगढ फोर्ट 5 लाख रुपया।

श्री अध्यक्ष : Do you like to hear the whole list ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : और सवाल रह जावेंगे। आप छपवा कर दे दीजियेगा।

श्री जुझारसिंह : बजट के टाइम में डिटेल्स में बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 257

श्री लालाराम !

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 258

श्री झाबरमल सूंडा !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

शराब के ठेकेदारों पर बकाया राशि

259 **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में शराब के ठेकेदारों में राज्य सरकार की कुल कितनी बकाया निकलती है और कब से निकलती है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिसमें ठेकेदारों के नाम राशि अंकित हो।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त बकाया राशि को माफ करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद)।

(1) वित्तीय वर्ष 1973–74 तक की कुल रुपया 2 85,51,257.18 बकाया है जिसकी वर्ष एवं जिलेवार सूची तथा ठेकेदारों की नामवार बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में कहा है राजस्थान के अन्दर अब तक वसूली की जो बकाया है वह 2,85 करोड़ से अधिक है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में विचार किया है, या ठेकेदारों से वसूली का कार्यक्रम हाथ में लिया है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लिस्ट सदन की मेज पर रखी गई है जिसमें बकाया की राशि 1973–74 में भी 10 लाख 71 हजार से अधिक है जो कि ठेकेदारों में बकाया है। खास तौर से यह भी बताना चाहूंगा कि 25 लाख रुपया तो जयपुर के ठेकेदारों में बकाया है। जैसलमेर, जो इतनी छोटी सी जगह है, में भी 34 हजार रुपया बकाया है। क्या राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में कोई योजना है? 1950–51 में 3 लाख रुपया बकाया है और 1973–74 में 10 लाख की बकाया है। इसकी बढ़ोतरी में ही हम प्रगति कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप भाषण देंगे या इसका जवाब भी सुनेंगे?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : लम्बी चौड़ी सूची दी है। प्रश्न भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय...

श्री चन्दनमल बैद : मैं अभी एक एक प्रश्न का जवाब दे दूं तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : आपको सहूलियत हो वैसा कीजियेगा।

श्री चन्दनमल बैद : यह कहा गया कि इतनी बड़ी राशि बकाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक साल की नहीं है। 25 साल की राशि बकाया है। बकाया के सिलसिले में अदालतों में केसेज चल रहे थे। फैसले हो गये। हमने वसूल करने की कोशिश की तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गये, इसलिये सारी रकम बकाया है। इतनी बड़ी रकम दीख रही है यह 25 साल से बकाया की है।

दूसरा कारण यह है कि कितनी भी कोशिश करें, मैं इस विभाग से तीन साल से सम्बन्धित हूं एक आध पर्सेंट तो बकाया रह जाती है।

हर साल 12, 15, 18 करोड़ ठेकेदारों से वसूल करते हैं। आठ नो लाख रुपया बकाया रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको साबित करने के लिये मैं पढ़ना चाहूंगा :

सन् 1950.51	रु. 4,09,878.80
1950-51 से 61-62	रु. 3,39,949.77
1962-63	रु. 8,77 689.63
1963-64	रु. 8,98,176
1964-65	रु. 2,29,000
1965-66	रु. 5,43,000
1966 67	रु. 3,07,000

केवल रुपयों में ही बता रहा हूं!

(श्री चन्दनमल बैद)

आप कह रहे हैं, यह 2 करोड़ 85 लाख रुपया एक साल की बकाया नहीं है बल्कि राजस्थान बनने के बाद आज तक की बकाया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि आप ने यह कहा कि तीन साल से इस विभाग से सम्बन्धित हैं, लेकिन क्या प्रगति हुई है वसूली में ? प्रगति तो बढ़ोतरी में हुई है·····

1971-72 में	रु. 2,08,000
1972-73	रु. 5,00,000
1973-74	रु. 10,00,000

पिछले वर्ष हमारी नीति असफल रही हैं क्या इसको स्वीकार करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं जवाब दे चुका हूं कि जो 12 करोड़ की वसूली होती है उसमें एक पर्सेन्ट, आधा पर्सेन्ट बकाया रह जाना कोई असंम्भव नहीं है पिछले साल से लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली कर रहे हैं और विभागीय रूप में भी वसूली कर रहे हैं, अभी तक वह हो नहीं पाई है और हो रही है, जिसमें और भी कमी हो जायगी। 12 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़ की जब वसूली होती है तो उसमें आधा पर्सेन्ट एक पर्सेन्ट बकाया रह जाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, मैं यह सवाल करना चाहता था कि जिन ठेकेदारों के खिलाफ बकाया रह जाती है उनको आप ब्लैक लिस्ट करते हैं या नहीं करते ? अगर आपने ब्लैक लिस्ट किया है तो कितने ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। इस वक्त मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि आम तौर पर जिन ठेकेदारों में बकाया रहती है उन ठेकेदारों को हम आक्शन में शामिल होने से रोक देते हैं और ब्लैक लिस्ट भी करते हैं। इस वक्त मेरे पास ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों की लिस्ट नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपने जो 2 करोड़ 85 लाख की बकाया हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण बताई··

श्री चन्दनमल बैद : यह सब नहीं है उसमें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सब नहीं हैं तो आप स्पष्ट बतायें कि कितनी पर्सेन्ट बकाया तो स्टे के कारण है, कितनी पर्सेन्ट बकाया बेनामी कांस्ट्रेक्टर्स के कारण है ? ऐसे कांट्रेक्टर्स, जिनके नाम से आक्शन तो हो गया लेकिन जो वस्तु- स्थिति में एग्जिस्ट नहीं करते, मैं कितनी बकाया आपके डिपार्टमेंट की स्लेकनेस के कारण, नेग्लीजेंस के कारण है ? केटेगरीकली बताइये।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2 करोड़ 85 लाख बकाया है उसमें से 1,16,38,092.37 पैसे तो अदालतों के स्टे के कारण है और 1,45,46,242.32 पैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत वसूली में चल रहे हैं और विभागीय तौर पर 23,66,922.12 पैसे हैं।

श्री केदार नाथ : कोई राइट ऑफ भी किया है आज तक ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

मिलावट के जुर्म में चालान

260. **श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में 1 अप्रेल 72 से 31 जनवरी 75 तक कितने लोगों को मिलावट के जुर्म में अदालत में चालान पेश किया गया ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : 1 जनवरी, 72 से 31 जनवरी 75 तक राज्य में 50 76 मामलों में मिलावट के जुर्म मे अदालत में चालान पेश किये गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। दूध के अन्दर मिलावट के जुर्म में, दवाओं के अन्दर मिलावट के जुर्म में या अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थों के अन्दर मिलावट के जुर्म में जो चालान पेश किये गए हैं उनका अलग-अलग ब्रेकअप पिछले तीन साल का बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद पदार्थों में मिलावट के मामले वर्ष 1972 में 901, वर्ष 1973 में 2365 और 1974 में 1313, दिनांक 1–1–75 से 31–1–75 तक कुल 5076 हैं। केवल एक मामला दवाओं की मिलावट का वर्ष 1974 में मिला है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं यह पूछ रहा था कि दवाओं का कुल 1 मामला 1974 में मिला तो इसका मतलब हुआ कि पिछले चार साल में कुल एक मामला दवाओं की मिलावट का हुआ है ? इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के चालान आपने अदालत में पेश किए हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर पर यह जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी बताया कि 5076 मामले पकड़े गये तो इनके चालान अदालत में पेश किए गए या केवल सेम्पल लिए गए हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि 5076 मामलों में मिलावट के जुर्म में अदालत में चालान पेश किए गए हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनमें दवाओं का एक ही मामला पकड़ा गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कन्विक्शन कितनों का हुआ ?

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि जयपुर उत्तर भारत का दवाओं का सबसे बड़ा सेंटर है जहां पर अनेकों नकली दवायें बनती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अदालत में आपने दवाओं का एक मामला पेश किया लेकिन कितने लोगों के सेम्पल लिए गए हैं ? यह और जानकारी पहले मैं आपसे चाहता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि यह ड्रग एक्ट के नीचे सब स्टैंडर्ड दवायें बनाने या दूसरी दवायें बनाने के कितने मामले पकड़े गए या कितनों के सेम्पल लिए या कितनों के चालान पेश किए गए यह अलग से लिस्ट है। उसके बारे में जब आप प्रश्न पूछेंगे तो हम आपको सूचना देंगे। अभी जो मिलावट के बारे में प्रश्न पूछा गया यह सारी की सारी सूचना दे दी है। वह मुकदमें दर्ज किए गए और उसके बाद अगर आप यह जानना चाहेंगे कि कितने मुकदमों में जुर्माना हुआ, कितने मुकदमों में सजा मिली, कितने मुकदमें फैसले हुए तो वह लिस्ट भी दे सकेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं कि कुछ कस्बों की आबादी को, म्यूनिसिपल टाउन्स जो हैं उन्हीं के ये अडल्ट्रेशन के मुकदमे हैं व वहां पर ही सेम्पल लिए जाते हैं लेकिन जो छोटे कस्बे हैं उनको अभी तक क्यों बाहर रखा गया है? इस बारे में बतायें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब, अध्यक्ष महोदय, अभियान शुरू किया गया उस समय हमारे पास स्टाफ बहुत कम था इसलिए पहले हमने शहरों को ही मिलावट के अभियान के लिए लिया और इस तरह से यह अभियान शुरू किया। कई छोटे छोटे टाउन जहां बस्ती कम थी, उस परव्यू के अन्दर नहीं लिया गया है, इसमें कुछ जिले भी छूट गए हैं। अन्यथा पूरा अभियान चलाने का इरादा है। हम जल्दी ही इसका विस्तार भी कर रहे हैं और जहां जहां मिलावट का सन्देह होगा वहां पर अभियान तेज करेंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अगर आपने अभी से घोषणा कर दी तो जो छोटी छोटी जगहों के लोगबाग हैं वे भी सचेत हो जायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अगर यह है तो आप प्रश्न मत पूछिए। अगर प्रश्न पूछते हैं तो असेम्बली में उत्तर तो देना ही पड़ता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने फीगर्स बताये कि 1974-75 में 1313 और 1973-74 में 2305 मामले चालान किए तो यह जो 1362 का फर्क पड़ा तो क्या यह आपके मिलावट विरोधी अभियान की वजह से कमी हुई है?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 1972 का भी आप देख लीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1972 में तो 901 है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 1974 में तो 1313 ही हैं तो यह निश्चित रूप से मिलावट विरोधी अभियान के कारण हुआ है। इसका असर हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : असर हुआ है या आपके अधिकारियों ने चालान नहीं किया?

Page No. 15

(15)

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप एक भी उदाहरण दे दीजिए, अगर आपका मिलावट करने वालों से कोई सम्बन्ध हो और उसके बारे में जानकारी हो तो आप इन्फार्मेशन दे दें हम फौरन कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिलावट करने वालों के साथ सम्बन्ध हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : जवाब देने की मनाई थोड़े ही है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में। इस एक साल में जयपुर शहर में कितने मिलावट के चालान हुए ?

श्री किशोरीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं.

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर के बारे में स्पेसिफिकली सूचना दे दूं कि 1971 में 14, 1973 में 174..

श्री श्रीराम गोटेवाला : और 1972 में ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 1972 में 14, 1973 में 174 और 1974 में 6 हुए हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : छः सिर्फ ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जी हां।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह किसकी मिलावट है आपकी या मेरी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसलिए हमारे अभियान का काफी असर हुआ है और अभियान से मिलावट में कमी हुई है यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि तेल वगैरह में जो मिलावट मानी जाती है इसमें एक तो मोइश्चर और रैनशिड ये ऐसे प्राकृतिक हैं, किसी व्यक्ति, व्यापारी या दुकानदार द्वारा इनकी मिलावट नहीं की जाती, बल्कि मोइश्चर और रैनशिड प्राकृतिक रूप में बीज में पैदा होते हैं और वही तेल में पाये जाते हैं। इसमें किसी दुकानदार का, व्यापारी का दोष नहीं है लेकिन उनको दण्डित किया जाता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री किशोरीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मंत्री महोदय ने बहुत संक्षेप में टालने की कोशिश की है। आज तो हर पहलू पर, हर स्तर पर मिलावट की कोई सीमा नहीं है। आप जयपुर में कोई सामग्री मंगाइये, मिर्च, हल्दी, धनियां हर चीज में मिलावट है और आपने जो मुकदमें दर्ज किए हैं वे बिल्कुल नगण्य हैं। आप इसको आसानी से टालने की कोशिश कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न संख्या 261

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : प्रोफेसर केदार का कहना है कि विधायकों में भी मिलावट है क्या ?

श्री केदारनाथ : इसका पेनीट्रेशन विधायकों में भी हो गया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मोठालाल जी ने जो प्रश्न उठाया है तेल की मिलावट का और उसमें मोइश्चर और रैनशिड वगैरह का, उस बारे में हमारा तेलों की मिलावट जांचने का जो क्राइटेरिया है वह यह है कि वह हमारे ओर्गेनिज्म में किस तरह से एब्जोर्ब होता है । मैल्टिंग पोइन्ट कौन सा हो जिससे वह हमारे ओर्गेनिज्म में जाकर एब्जोर्ब हो सके । इसके आधार पर हमारा तेलों की मिलावट का फार्मूला बनता है । तेलों से जब वेजिटेबल आयल बनता है और तरह तरह के आयल सनफ्लावर और कर्डी का तेल वगैरह, जो हमारे खाने के काम में आता है, उसका मेल्टिंग पाइन्ट डिटरमिन करने का फार्मूला होता है और उसी के आधार पर तैलों का टेस्टिंग करते हैं । अगर वह सर्टेन पोइन्ट पर अब्जोर्ब नहीं होता है, उसका मेल्टिंग पोइन्ट लो है जो शरीर में जाकर जम जाएगा तो हम उसको मिलावटी मानते हैं यह सही है, अध्यक्ष महोदय, कई वेजीटेबल प्राड्यूसेस का हमारे राजस्थान में मेल्टिंग पाइन्ट नहीं मानना चाहिए । उसके बाद रैन्सिडिटी के सवाल पर हमने ड्रग कन्ट्रोलर को लिखा । वह काफी एडेमन्ट हैं । उनका कहना है, इसमें हमने ढिलाई कर दी तो तेल व्यापक रूप से हानि करेगा । इसलिए जो भी हमने उनका रिप्रेजेन्टेशन था उनको अमान्य किया ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री हांडा ।

विश्व बैंक द्वारा दी गई राशि

261. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विश्व बैंक द्वारा राजस्थान में किन किन कार्यों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

(2) विश्व बैंक और राजस्थान के संदर्भ में जो वित्तीय समझौता हुआ है, वह किन-किन अधिकारियों या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया गया और उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विश्व बैंक द्वारा राजस्थान नहर के लिए दी गई धनराशि सिर्फ विकास या भूमि समतल करने के कार्य में ही खर्च की जा सकती है और यह राशि नहर के वास्तविक निर्माण के काम में नहीं लाई जा सकती है ? यदि हां, तो प्रति मुरब्बा भूमि समतल करने का खर्चा कितना आयेगा ?

(4) क्या यह सही है कि विश्व बैंक द्वारा दिये गये धन को राजस्थान में व्यय करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों का चयन उक्त बैंक की राय से किया गया है ?

Page No. 17

(17)

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्योरा निम्न है।

1. राजस्थान नहर क्षेत्रीय विकास 66.40 करोड़

2. चम्बल सिंचित क्षेत्रीय विकास 41.60 करोड़

3. जोधपुर सूखाग्रस्त क्षेत्रीय विकास परियोजना 6.16 करोड़

4. नागौर सूखाग्रस्त क्षेत्रीय विकास परियोजना 5.70 करोड़

5. राजस्थान डेयरी विकास परियोजना 21.60 करोड़

(2) विश्व बैंक से राजस्थान के सन्दर्भ में जो वित्तीय समझौते हुए हैं उनमें भारत सरकार की ओर से अमेरिका स्थित भारतीय राजदूत श्री टी. एन. कौल ने हस्ताक्षर किये हैं। विभिन्न समझौतों की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:—

राजस्थान नहर परियोजना

1. यह ऋण आई. डी. ए. द्वारा प्राप्त होगा जो 1974–75 से लगाकर 1980–81 तक की अवधि में किश्तों में प्राप्त होगा।

2. इस ऋण पर 3/4 पर्सेन्ट सालाना सर्विस चार्ज के रूप में भारत सरकार द्वारा मूल ऋण राशि पर अर्ध वार्षिक भुगतान किया जावेगा। इस ऋण राशि पर उपरोक्त सर्विस चार्ज के अलावा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

3. इस ऋण राशि का भुगतान 1 जनवरी, 1985 से शुरू होकर 1 जुलाई, 2024 को पूर्ण रूप से समाप्त होगा।

चम्बल सिंचित विकास परियोजना

1. चम्बल प्रोजेक्ट के लिये जो राशि प्राप्त होगी वह आई. बी. आर. डी. से वर्ष 1974–75 से जून 30, 1981 की अवधि में प्राप्त होगी।

2. इस राशि पर 7 से 4 पर्सेन्ट ब्याज देय होगा।

3. इसके अतिरिक्त यदि धनराशि समय पर नहीं उठाई गई तो ऐसी राशि पर 3/4 पर्सेन्ट कमिटमेन्ट चार्जेज लगेंगे।

4. इस ऋण की अदायगी भी अर्ध वार्षिक किश्तों में जुलाई 1, 1981 से प्रारम्भ होकर 1 जनवरी, 1999 की अवधि में होगी।

जोधपुर एवं नागौर सूखाग्रस्त क्षेत्रीय विकास परियोजनायें

1. इन परियोजनाओं के लिये ऋण 30 जून, 1980 या अन्य कोई तिथि को भारत सरकार और एसोसियेशन के बीच निर्धारित हो; तक उठायी जा सकेगी।

2. यह ऋण 1 मई, 1985 से देय होगा और इसकी अन्तिम किश्त 1 नवम्बर, 2024 को भुगतान करदी जायेगी।

3. इस ऋण पर 3/4 पर्सेन्ट सर्विस चार्जेज देय होंगे।

(श्री शिवचरण माथुर)

राजस्थान डेयरी विकास परियोजना

1. यह ऋण 31 दिसम्बर, 1982 या ऐसी तिथि जो भारत सरकार और एसोसियेशन के बीच निर्धारित हो तक उपलब्ध होगी।

2. इस ऋण पर 3|4 पर्सेन्ट सर्विस चार्ज देय होगा।

3. यह ऋण 1 जनवरी, 1985 को देय होगा और इसका अन्तिम भुगतान 1 जुलाई, 2024 को कर दिया जायेगा।

(3) विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत योजना राशि भूमि समतल करने, नहरों को पक्का करने, भूमि विकास, सिंचित क्षेत्र में सड़कें बनाने, वन व वृक्षारोपण कार्य व ग्रामीण जलप्राय योजनाओं के लिये काम में ली जा सकेगी।

प्रति हैक्टर भूमि समतल करने का खर्चा अनुमानतः 2,100 रुपया होगा। प्रति मुरब्बा व्यय इस बात पर निर्भर करेगा कि उक्त मुरब्बो में कितनी भूमि समतल करना आवश्यक है।

(4) जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : क्या यह सही है कि आप साइन्ड कन्डीशन्स के मुताबिक इस ऋण का उपयोग नहीं करते तो किसी भी समय वर्ल्ड बैंक आपको नोटिस देकर इस ऋण की अग्रिम राशि रोक देगा या राशि विथड्रा कर लेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : उसकी शर्तों को पूरा नहीं करने पर ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जी हां।

श्री केदारनाथ : पोस्ट परफार्मेन्स ठीक नहीं है तो। जिस काम के लिए पैसा लिया और आपकी परफार्मेन्स ठीक नहीं है तो नेक्स्ट इन्सटालमेन्ट को सस्पेण्ड भी कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : क्या यह सही है कि यदि इस ऋण के द्वारा आप 30 पर्सेन्ट कार्य गवर्नमेंट एजेन्सी से कराकर और 70 पर्सेन्ट कार्य प्राईवेट एजेन्सी से नहीं कराते हैं तो भी ऋण विथड्रा हो जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : वह एग्रीमेन्ट का पार्ट नहीं है। मैंने उस दिन भी माननीय सदस्य आर. एल. डी. सी. के विधेयक के समय भी निवेदन किया था कि यह अलग से मेमोरण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग की बात है, एग्रीमेन्ट का पार्ट नहीं है और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार काम को किसी को दे सकते है, किसी को नहीं दे सकते हैं। यह अलग से प्रश्न हैं लेकिन यह एग्रीमेन्ट का पार्ट नहीं है। आपके पास एग्रीमेन्ट की कापी है तो मेरे पास भी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने यह स्पष्ट पूछा है। मेरे प्रश्न में कोई लाग लपेट नहीं है शर्तें मीन्स एग्रीमेन्ट। यह तो मुझे भी जानकारी है कि इतना रुपया हुआ है और फलां सेक्शन से कवर होगा और इतने इन्सटालमेंट होंगे। सबको जानकारी है इसकी। मेरा पिन पाइन्टेडली प्रश्न यह है कि आपके एग्रीमेंट की मुख्य शर्तें क्या हैं, आपके समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ? नम्बर तीन प्रश्न यह है कि जो कैनाल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अथारिटीज आप तय करेंगे वह विश्व बैंक के एग्रीमेन्ट से करेंगे और उसके बिना कैनाल अथारिटीज तय नहीं कर सकते। चौथा प्रश्न यह है कि जितनी मशीनरी आप पर्चेज करेंगे वह मशीनरी आप उ के द्वारा पर्चेज करेंगे जो कि अवेलेबल हैं? यहां तक कि जो फील्ड मशीनरी है और 5 टन के ट्रक्स हैं जिनके सम्बन्ध में आपके चीफ सेक्रेटरी जो कि एक पार्ट थे और उन्होंने कहा था कि वह अपने हिन्दुस्तान से पर्चेज कर सकते हैं वह भी आप नहीं कर सकते हैं? पांचवां, क्या यह सही है कि जो इन्शोरेन्स होगा। मशीनरी का वह इन्शोरेन्स भी फोरेन करेन्सी के अन्दर पेएबल होगा और प्रीमियम उसका वह लेंगे? इसके अतिरिक्त. .

श्री अध्यक्ष : इनका उत्तर एक साथ आना मुश्किल होगा।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने कुछ मुख्य शर्तों की बात यहां पर कही थी और मैने इसमें अर्ज कर दिया और 28 तारीख को डिटेल में आपने बहुत सी बातें कहीं थीं उस समय भी उत्तर दिया था। यह बात सही है कि कमाण्ड एरिया अथारिटी को बनाने के पश्चात् वहां पर कहा गया है कि सारे वर्क्स को कोआर्डीनेट करने की दृष्टि से एरिया के स्तर पर एक ऐसी अथारिटी का निर्माण किया जाये जो कि अलग अलग विभाग किस प्रकार से काम में इनवाल्व होंगे उनके सब कामों को को-आर्डीनेट करके उस काम को आगे बढ़ा सकेंगे।

श्री केदारनाथ : यह तो प्रायर कन्डीशन है।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो अच्छी कन्डीशन है। अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क्स को कोआर्डिनेट करके एक ही एजेन्सी से उसको करा सकें। यह कहीं बात नहीं है कि उस कमाण्ड एरिया अथारिटी के परसोनल्स विश्व बैंक तय करें। कमाण्ड एरिया अथारिटी बन जाये यह तो कन्डीशन है जो कि मैं समझता हूं कि गलत नहीं है। लेकिन एग्रीमेंट का मूल आधार यह है कि एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम से जितने भी टार्गेट्स हैं उसके अनुकूल वह पूरे कराये जायें। इसलिए ही अलग अलग विभागों के समन्वय करने के लिए एक कमाण्ड एरिया अथारिटी बनाने की प्री-कन्डीशन है और उसको हमने कर दिया है तीनों क्षेत्रों के लिए। जहां तक मशीनरी का सवाल है मशीनरी के बारे में भी यह निश्चित है कि जो मशीनरी हिन्दुस्तान में अवेलेबल नहीं होगी उस मशीनरी की इन्टरनेशनल बिडिंग होगी और जितने भी अलग अलग वर्ल्ड बैंक के प्राड्यूसेस हैं सब जगह सरकुलेट किया जायेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वह हिन्दुस्तान में मशीनरी अवेलेबल हुई तो 15 पर्सेन्ट प्राईज प्रिफरेन्स दिया जायेगा ताकि यहां की मशीनरी खरीदी जा सकें। इसलिए मैं नहीं समझता कि सारी की सारी मशीनरी वहां से आयेगी। मशीनरी हम उतनी ही खरीदना चाहते हैं जितनी कि यहां की आवश्यकता के अनुसार जरूरी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल नम्बर 1 में केटेगरीकली मेन्शन

(योगेन्द्रनाथ हांडा)

है कि सिविल वर्क्स इन्फ्रास्ट्रक्चर का 2 करोड़ 79 लाख डालर का 42 पर्सेंट आपको मीट करना पड़ेगा। इसी तरह से फार्म डवलपमेंट के लिए 2 करोड़ 14 लाख डालर, इसी प्रकार से 42 पर्सेंट प्रावधान है और जितनी मशीनरी आपकी लोकली मैनुफैक्चर एक्स-फैक्ट्री प्राईस या इक्विपमेंट डाइरेक्टली इम्पोरटेड, वह आप 6 लाख 30 हजार के सारे के सारे फोरेन एक्सपेंडीचर के होंगे और क्या यह सही है कि पेज 55 के ऊपर अपने चीफ सक्रेटरी ने मूव किया कि फील्ड मशीनरी इन्डिया के अन्दर एवैलेबल हैं तो उन्होंने इसको बिल्कुल डिसएग्री कर दिया। उन्होंने कह दिया कि लोन के अलावा परचेज कीजिए। लोन में से इसके लिए आप परचेज नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बजट टाइम पर आप करेंगे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, इस एग्रीमेंट के बारे में 3 4 दिन से सदन में बहस चल रही है। एक बात तो महसूस होती है कि लेना देना ही था तो लोन दे देते और जिस तरह से हमें जरूरत थी उसको युटिलाइज करते। क्या वह यह समझते हैं, हिन्दुस्तान इतना अविकसित देश है कि उसको यह नहीं मालूम है, उसको यह बताया जाय कि कितना पैसा किस काम में खर्च करेंगे। हिन्दुस्तान नया देश तो नहीं है। उद्योग धन्धे पहले से नहीं हों, ऐसी बात तो नहीं है। मैं समझता हूं कि इन कन्डीशन्स को मैंने पहले सीरियसली तो नहीं लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है जब हम बहुत ही डिटेल्स में गये हैं कि मशीनरी कहां से खरीदेंगे, इस तरह से डिक्टेट करना कहां तक उचित है हिन्दुस्तान बिल्कुल असभ्य देश तो है नहीं कि इसको बिल्कुल जानकारी न हो। मंत्री महोदय इसके बारे में क्या सोचते हैं?

श्री अध्यक्ष : यह तो राय की बात है।

श्री दीपंकर : मंत्री महोदय की मजबूरी की अवस्था मालूम पड़ती है।

श्री केदारनाथ : क्या लोन को युटिलाइज करने और रिपेमेंट के बारे में स्ट्रिन्जेन्ट कन्डीशन्स नहीं हैं?

श्री औंकारलाल चौहान : क्या मंत्री महोदय अपने विचार में यह ठीक समझते हैं?

श्री शिवचरण माथुर : मेरे अपने विचार तो नहीं हुआ करते हैं गवर्नमेंट के विचार हुआ करते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह स्ट्रिन्जेन्ट हैं कि नहीं कन्डीशन्स?

श्री शिवचरण माथुर : जो एग्रीमेंट का मेन पार्ट है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काम के डिटेल्स को वर्क आउट करते वक्त कुछ ब्राड प्रोजेक्शन्स होते हैं तो उन ब्राड प्रोजेक्शन्स के बारे में अलग अलग अन्डरस्टैंडिंग किये गये हैं। उस वक्त हमारी टीम वाशिंगटन गई थी। उन्होंने कुछ बातें कहीं और उसके मुकाबले में उनकी दूसरी बातें हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो मशीनरी

(श्री शिवचरण माथुर)
हिन्दुस्तान में अवेलेबल है उसको खरीदने के लिए सक्षम हैं। जो मशीनरी एवेलेबल नहीं हो सकेगी उस मशीनरी के लिए इन्टर-नेशनल बिडिंग किया जायगा इस एग्रीमेंट के मुताबिक और उसमें यदि यहां पर हिन्दुस्तान में उसको कोई सप्लाई कर देगा तो 15 पर्सेन्ट ज्यादा प्राइस प्रिफरेन्स उसको दिये जाने की व्यवस्था की गई है....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर नहीं खरीदेंगे तो लोन कैन्सिल हो जायगा।

एक काउन्टर क्वेश्चन करना है, अध्यक्ष महोदय।

पेज 55 का जो एक्सटर्नल फार्म है, आपने आर्टीकल 2–09 में यह एग्री किया है कि आप अपने वाटर रेट्स बढ़ायेंगे और अपने पैसे की सख्ती के साथ में वसूली करेंगे। क्या यह आपने नहीं किया है एग्रीमेंट जिसमें वह आपसे तय करवाते हैं कि आप अपने वाटर रेट्स में बढ़ोतरी करके किसानों से ज्यादा पैसा वसूल करेंगे, और इसके साथ ही साथ आज जो आपका पैसा बकाया है वह किसानों से बाकायदा नोटिस देकर पी. डी. आर. में व दूसरे तरीकों से स्ट्रिक्ट वसूली करेंगे? क्या यह एग्रीमेंट आपने नहीं किया है?

श्री शिवचरण माथुर : यह सच है कि हमने यह एग्री किया है कि इरिगेशन चार्जेज बढ़ायेंगे। वह इस आधार पर बढ़ायेंगे कि जो कुछ भी आपके प्रोजेक्ट हैं कम से कम वे अपने आप में सेल्फ-पेइंग, सेल्फ-सफिशियेन्ट हों। इस दृष्टि से इरिगेशन चार्जेज बढ़ाने वाली बात होती है। यह बात तो जो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें भी लागू करते हैं। इस बात को देख कर हमने इरि-गेशन चार्जेज बढ़ाये हैं इसलिए इरिगेशन चार्जेज बढ़ाने का मूल आधार तो यही है कि *प्रोजेक्ट सेल्फ-सफिशियेन्ट हो और गवर्नमेंट* को उसके मेन्टीनेन्स के लिए खर्चा न करना पड़े। इस दृष्टि से वह है।

प्रश्न संख्या 262

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल सिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला।

जयपुर में नानाजी की हवेली योजना

263. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन-पोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास की ओर से नानाजी की हवेली (जोहरी बाजार) योजना किस वर्ष में ली गई थी?

(2) उक्त योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(3) *उक्त योजना के अन्तर्गत दुकानों* के आवंटन संबंधी क्या नियम है?

(4) अभी तक कितनी दुकानें आवं-टित की जा चुकी हैं?

(5) उक्त योजना में विलम्ब के क्या कारण हैं?

Page No. 22

(22)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक प्रश्न रह गया, अध्यक्ष महोदय । वहां बैंक की शाखा दौसा में कब खोलेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो कमांड एरिया के लिए हैं, वहीं हो सकती है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) सन् 1961 में प्रारम्भ की गई ।

(2) अब तक रु. 2,10,516) की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

(3) न्यायालय से विवाद समाप्त होने के बाद आवंटन के नियमों पर विचार होगा ।

(4) अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

(5) योजना क्षेत्र में प्रवेश जौहरी बाजार की एक दुकान में से निकला जाना है जिसका विवाद न्यायालय में चलने के कारण क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : न्यायालय में कब से केस विचाराधीन है और कितने ? यह सूचना भी आपकी गलत है कि उस पर 2 लाख और 10 हजार रुपया व्यय हुआ है ।

श्री रामनारायण चौधरी : इस नानाजी की हवेली में बाजार बनेगा तो उसका सीधा रास्ता जौहरी बाजार से जोड़ने की व्यवस्था है । तो जौहरी बाजार और नये बाजार के बीच में एक दुकान आती है तो उस दुकानदार ने न्यायालय में केस कर रखा है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या यह सही है कि उन दुकानदार को मुआवजा दिया जा चुका है ?

श्री रामनारायण चौधरी : दुकान के मालिक को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन वह दुकान जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसने दावा कर दिया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 2 लाख और 10 हजार की राशि का जो खर्चा आपने बताया है वह गलत है ।

दूसरा मैं यह जानना चाहता था कि यह जिन अधिकारियों ने यह लिखकर दे दिया है कि एक दुकानदार को मुआवजा दे दिया गया है और उसके बाद दुकान खाली नहीं कराई गई और 1961 के अन्दर यह योजना क्रियान्वित होनी थी उसकी आज 1975 के अन्दर भी क्रियान्विति की कोई सम्भावना नहीं है। तो उन अधिकारियों के बारे में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास जानकारी यह है कि 2,10,516 की धनराशि मुआवजे में दी गई है जो कि निम्न प्रकार हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो मुआवजे की है । टोटल खर्चा कितना हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : मुग्रावजा खर्चा दोनों मिलाकर हैं वह इस तरह में है । राणा···

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह ठीक है ।

श्री रामनारायण चौधरी : जब यह मामला सम्पदा अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग में था तो 16 अगस्त, 1974 को इसका निर्णय वहां से विकास न्यास के हक में हो गया है । अब किराये-दार ने इस निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में रिवीजन दायर कर रखा है और वहां से स्थगन के प्रादेश हो गये हैं । इसलिए आगे की कार्यवाही बन्द हो रही है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो उसका हो रहा है । मेरा प्रश्न दूसरा था । मेरा प्रश्न यह था कि आपने दुकान के मालिक को मुग्रावजा दे दिया और दुकान खाली नहीं करवाई तो उसमें जिस प्रकार से घोटाला हुआ है उसके लिए जो जिम्मेदार थे जिनकी वजह से 61 में यह योजना क्रियान्वित होने वाली थी वह 75 तक भी नहीं हुई है और 14 वर्ष तक यह मार्केट बनने से रह गया, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : हर चीज में घोटाला होता है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आंखों के अन्धे और नाम 'नैनसुख' । जहां काम नहीं होता है वहां घोटाले नहीं होते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार जो मकान का मालिक था उससे समझौता होकर और उसको मुग्रावजा देकर मामला सलटा लिया गया है । उस दुकान के मालिक ने दुकान किसी दूसरे व्यक्ति को किराये पर दे रखी थी तो यह विवाद उस व्यक्ति के और विकास न्यास के बीच में चल रहा है इसलिए देरी हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

जयपुर में इण्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना

264. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर में इन्टेन्सिव यूनिट की स्थापना करने के सम्बन्ध में डा. राजमल कासलीवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी ? यदि हां, तो उक्त कमेटी की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या इन्टेन्सिव केयर के यूनिट का कार्यक्षेत्र केवल दिल के मरीजों के लिए ही होगा या अन्य गम्भीर रूप से पीड़ित बीमारों के लिए भी ?

(4) क्या राज्य सरकार इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने दिल की बीमारी के लिए

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मोबाइल यूनिट की स्थापना का कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ?

राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल):(1) जी हां।

(2) कमेटी की सिफारिशों को ज्यों का त्यों लागू करने का विचार नहीं है। सरकार ने कमेटी की सिफारिशों पर विस्तार से विचार कर यह निर्णय लिया है कि इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना समस्त स्पेशियलिटीज के लिए एक ही छत के नीचे की जावे जिससे आवश्यकतानुसार सब प्रकार के मरीजों की देखरेख सम्बन्धित स्पेशियलिस्ट द्वारा की जावे।

(3) जी नहीं। इन्टेन्सिव केयर यूनिट का कार्य क्षेत्र सभी गम्भीर रोग से पीड़ित बीमारों के लिए होगा।

(4) जी हां। इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि यह रिपोर्ट कब आपके पास आई है, कौनसी तारीख को ? उस वक्त से आज तक उसमें क्या प्रगति हुई है ? क्या इन्स्ट्रूमेंटस लिये गये और क्या साधन जुटाये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कमेटी की रिपोर्ट 9–2–74 को गवर्नमेंट को प्राप्त हुई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उसके बाद में अब तक क्या स्टैप्स लिये गये इस सिलसिले में इन्टेन्सिव केयर यूनिट के सम्बन्ध में ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर): अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में यह भी बता दें क्या उस कमेटी को जब बनाया गया था तो उस समय यह सोचा गया था कि कमेटी विस्तृत जानकारी करके राज्य सरकार को देगी ताकि उस रिपोर्ट पर राज्य सरकार कार्यवाही कर सकेगी ? माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं ने अपने जवाब में कहा है कि उस कमेटी की पूरी सिफारिशें आपने नहीं मानी। तो क्या क्या बातें उस कमेटी को मानी, इतना तो मन्त्री महोदया बतायें ? बिल्कुल नहीं मानी या कुछ बातें मानी ? यह समझ में नहीं आता है कि कमेटी क्यों बनाई गई थी। यह जानकारी तो दे दें कि कौन कौन सी उसकी बातें मानी गई और कौन कौन सी नहीं मानी गई और जो नहीं मानी गई वह क्यों नहीं मानी गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय कमेटी का गठन विभिन्न स्पेशिलिटीज के लिये अलग से इन्टिन्सिव केयर यूनिट की स्थापना करने हेतु, उसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और विभिन्न सब यूनिट्स को प्राथमिकता आदि देने के विषय में सुझाव देने के लिए किया गया था। इसके अलावा यह भी इस समिति से विस्तृत जानकारी चाही गई थी कि इन्टेन्सिव केयर यूनिट्स किस प्रकार से एस्टेब्लिश किये जायें। सर्जिकल और मेडिकल साईड का विभाजन किस प्रकार से किये जाय। कितनी प्रकार की बीमारियों का सर्जिकल और मेडीकल साइड में कितने केसेज का पर्सेन्टेज रहता

Page No. 25

(25)

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

है, मायाकार्डियल इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों के सम्बन्ध में सारा सर्वे कराया गया था जिससे कि इस विषय में सारी जानकारी प्राप्त हो जाय। कमेटी की सिफारिश के अनुसार 10 बैड्स मेडिकल के और 10 सर्जिकल साइड के निर्धारित किये गये हैं। जिसमें से मेडिकल साइड के बैडस का विभाजन इस प्रकार से होगा :-

4 बैड्स	कोरोनरी
2 बैड्स	पुलमोनरी
2 बैड्स	रैनोल

और 2 बैड्स पोस्ट इन्टेन्सिव केयर

ऐसी हालत में कि अगर किसी पेशेन्ट की एकदम हालत खराब हो गई हो तो उसको तुरन्त सुविधायें दी जा सकें, यह ध्यान रखा गया है। उसके बैड को डिस्टर्ब नहीं किया जायगा। दूसरा सवाल यह था कि यह यूनिट कहां एस्टेब्लिश होना चाहिए? इस विषय में कमेटी ने सारे सम्बन्धित विशेषज्ञों से बातचीत की और उसके बाद जो रिपोर्ट पेश की उस पर उच्चस्तरीय विचार करने के बाद जो रिपोर्ट पेश की उस पर उच्चस्तरीय विचार करने के बाद यह तय हुआ कि इन्टेन्सिव केयर यूनिट की स्थापना एक ही रूफ के नीचे होनी चाहिए जिससे कि अगर किसी पुलमोनरी के बैड्स हैं वह खाली हो जाय और कोई इन्टेन्सिव का केस आ जाय तो उसको भी वह सुविधा मिल सके। इस प्रकार से सभी तरह के गम्भीर रूप से पीड़ित रोगियों को मेक्जिमम सुविधायें मिल सकें यह व्यवस्था इसमें की गई है। इस तरह से इस रिपोर्ट में संशोधन करके कार्यवाही की जा रही है।

इसके लिये जो फर्स्ट सैन्क्शन प्राप्त हुई थी वह इस प्रकार से थी :

1971-72	6.57 लाख
72-73	1.92 ,,
73-74	7.00 ,,
74-75	1.80 ,,

इनिशियल स्कीम 11.15 लाख की थी इसके अलावा पूरा का पूरा केस तैयार करके कितना स्टाफ होगा, मशीनरी कितनी होगी, कौनसी इम्पोर्ट करनी होगी, इसके लिए कमेटी का निर्माण करके उसकी सिफारिशों को आगे भिजवा दिया गया है और मेरा ख्याल है कि बजट सेशन में कुछ न कुछ मिल ही जायगा क्योंकि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने भी इस विषय में आश्वासन दे दिया है। इस प्रकार से शीघ्र से शीघ्र इसकी स्थापना की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीराम रेयन्स पर कर की बकाया राशि

254. **श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

कोटा में स्थित श्रीराम रेयन्स (डी.सी. एम.) उद्योगों पर कर की कितनी राशि कब से बकाया है और इसे वसूल नहीं करने का क्या कारण है और अब कब तक वसूल कर ली जावेगी?

उत्तर

मै. देहली फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कोटा के विरुद्ध निम्न लिखित राशि बकाया है:-

वर्ष	बकाया राशि केन्द्रीय बिक्री कर (लाखों में)	कर निर्धारण का दिनांक
1969–70	रु. 45–24	15–10–1971
1970–71	रु. 9–45	20–1–1972
1971–72	रु. 4–11	31–5–1974
	रु. 58–80	

वर्ष 1969–70 में कर राशि 10 प्रतिशत की दर से लगाई गई थी क्योंकि व्यापारी ने कर निर्धारण अधिकारी के सामने कोई "सी" फार्म प्रस्तुत नहीं किये और टायर कार्ड की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री कर दायित्व को ही स्वीकार नहीं किया।

व्यापारी ने उपरोक्त कर निर्धारण के विरुद्ध डी. सी. (अपील) जयपुर ने अपील दायर कर दी है जो पेंडिंग है। इसके साथ-साथ व्यापारी ने हाई कोर्ट राजस्थान में रिट भी पेश की। हाई कोर्ट ने "सी" फार्म पेश करने की इजाजत दे दी थी और इन "सी" फार्म को स्वीकार करने पर बकाया 31.74 लाख कम हो जाती है और वसूली योग्य केवल 13.50 लाख रहती है। हाई कोर्ट द्वारा याचिका ता. 25-10-72 को खारिज कर दी गई बकाया को अभी फाइनल कम नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन (स्टे) आदेश बैंक गारन्टी पर दे रखे हैं। अतः जब तक सर्वोच्च न्यायालय से फैसला न हो जावें कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

वर्ष 70–71 कर निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से हुआ है क्योंकि व्यापारी ने 'सी' फार्म करारोपण के समय प्रस्तुत कर दिये थे। इसके विरुद्ध अपील डी.सी. (अपील) के यहां पेंडिंग है और सर्वोच्च न्यायालय से बैंक गारन्टी पर स्थगन आदेश हो चुका है। यह भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पेंडिंग है। अतः वसूली सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक नहीं हो सकती।

वर्ष 71–72 में नोटिफिकेशन नं.एफ–5(22)एफ.डी.।सीटी.।71–1 दि. 27 मार्च, 1971 के अन्तर्गत 1 प्रति. की दर से टैक्स लगाया गया। इसकी अपील भी डीसी. अपील के यहां पेंडिंग है। इसकी वसूली सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ता. 19–4–73 से रुकी हुई है। रकम की बैंक गारन्टी भी दी जा चुकी है।

अब तीन वर्षों की बकाया की राशि व वसूली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।

आवासन बोर्ड द्वारा निर्मित भवन

257. **श्री लालाराम (फलासिया)** : क्या आवासन बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आवासन बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में यह स्पष्ट

(श्री लालाराम)

घोषणा की गई है कि रजिस्ट्रेशन के बाद तीन वर्ष की अवधि में मकान कम्पलीट कर पजेशन दे दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त घोषणा को पूरा करने में बोर्ड असमर्थ रहा है ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी ?

(3) क्या जो गांधी गृह, जवाहर नगर जयपुर में बने हुए हैं उनका आवंटन करने का बोर्ड का विचार है ? अगर हां, तो आवंटन कब तक कर दिया जायगा और नहीं तो क्यों ?

(4) बोर्ड द्वारा गांधी गृह कहां कहां और कितनी संख्या में बनाये जा रहे हैं ? विस्तृत रिपोर्ट मय प्लान के सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जवाहर नगर जयपुर में केवल दो गांधी गृह प्रदर्शन के लिए बनाये गये हैं ये मकान आवंटन के लिये नहीं हैं।

(4) सूचना संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

निगम की बसें

258. श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने अब तक बसों के लिए कुल कितने चेसिस खरीदे हैं ? कृपया सालवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) 31 दिसम्बर, 1974 तक कितने चेसिस कार्यरत हैं ? विभिन्न डिपोवार संख्या बताने की कृपा करें ? कितने बेच दिये तथा कितने चेसिस निगम के पास बेकार पड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार व जनता को धोखा देकर निगम एक ही नम्बर से सैकड़ों बसों की रोज सेवा लेता है ? अगर यह सही है तो दोषी अधिकारियों को क्या सजा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने दिनांक 1-10-64 से दिनांक 28-2-75 तक 1091 चेसिस खरीदे हैं जिनका विवरण सदन के पटल पर दिया गया है।

(2) 31 दिसम्बर, 1974 तक 1119 चेसिस कार्यरत थे। इनकी डिपोवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। निगम ने अब तक 326 चेसिस बेचे हैं। कोई भी चेसिस बेकार नहीं पड़ा है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

जैसलमेर जिले में तिलोर का शिकार

262. **श्री बृजेन्द्रपाल सिंह** (करौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अबू-डाबी के शेख जैसलमेर जिले में बाजों द्वारा तिलोर का शिकार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने समय से ?

(2) क्या राजस्थान सरकार ने इनको शिकार करने की स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो किस तारीख से और कितने समय तक के लिए ?

(3) उक्त शेख की शिकार पार्टी की क्या संख्या है तथा इनके साथ कितनी जीप गाड़ी और बाज हैं ?

(4) क्या यह सही है कि प्रतिदिन सौ से अधिक तिलोर का शिकार किया जा रहा है ?

(5) क्या तिलोर पक्षी प्रोटेक्टेड बर्ड स्पीसी की सूची में आता है ?

(6) क्या यह भी सही है कि बैंक आफ बड़ौदा की एक शाखा इनके कैम्प के साथ चलती है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खादी ग्रामोद्योग व खादी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बुनकर

117. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया**(नोखा): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितनी खादी ग्रामोद्योग व खादी प्रतिष्ठान कहां कहां कब से काम कर रहे हैं ? इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ पदाधिकारी कौन कौन से हैं ? लिमिटेड क्षेत्रफल क्या है यह सूचना देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि खादी तथा ग्रामोद्योग संस्थाओं में अधिकतर काम करने वालों में बुनकर व कातने के काम में हरिजन व पिछड़ी जाति के ही लोग हैं जिनको सही ढंग से समय पर अपने हक की कमाई नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन संस्थाओं को भंग करके कताई व बुनाई के काम करने वाले वर्ग को ही संस्था चलाने का अधिकार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ग्राम बिग्गा व सांतलेरा के धांधले पत्थर की खान

118. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि वर्ष 1972-73 में खनिज विभाग को ग्राम निवासी बिग्गा व सांतलेरा तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला

(श्री लूणाराम)

चूरू के ग्रामीणों से प्रार्थना-पत्र मय ग्राम पंचायत बिग्गा के प्रस्ताव की प्रति रोही ग्राम सांतलेरा के घाघले पत्थर की कृषि भूमि को खान घोषित करवाने के लिए प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर के कितने बीघों के लिए किस तारीख को प्राप्त हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही की जाएगी?

उत्तर

यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत बिग्गा का पत्र संख्या 3 दिनांक 1-1-73 का प्राप्त हुआ था परन्तु अब वह पत्र मिल नहीं रहा है। सरपंच, ग्राम पंचायत बिग्गा को पंजियत प्राप्ति पत्र संख्या 879 दिनांक 23-9-74 को लिखा गया था कि वो इस पत्र की प्रति भेजें परन्तु अब तक नहीं भेजी। हाल ही में उन्हें अर्द्ध शासकीय पत्र भी लिखा गया है वो पत्र की प्रति भेजें।

वैद्य की पैंशन का मामला

119. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व व जिला बोर्डों में कार्यरत कर्मचारियों का सेवा काल मान्य करते हुए उन्हें अक्टूबर, 1959 से पूर्व की सम्पूर्ण सेवा लाभार्थ देना स्वीकार कर लिया है?

(2) क्या यह सच है श्री रामदास सोनी, तत्कालीन वैद्य राजकीय औषधालय बिलोना तहसील लालसोट जिला जयपुर व वर्तमान निवासी ग्राम डोडवाना तहसील लालसोट जिला जयपुर जो दिनांक 7-7-1970 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं पहले जिला बोर्ड की सेवा में थे?

(3) क्या सच है कि अब उन्हें पेन्शन केवल राज्य सरकार के विभाग में आने के समय की ही प्राप्त हो रही है और जिला बोर्ड के समय की नहीं? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में पूर्ण पेन्शन कब तक दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राजाज्ञा क्रमांक एफ. 9 (डी) (69) एल एस जी।बी।59–68। 1503 दिनांक 22-1-69 के द्वारा उन्हीं कर्मचारियों को यह लाभ देना स्वीकार किया है जिनका कि जिला बोर्ड की सेवा के समय सी.पी.एफ. कटा है एवं कटौती की राशि राज्य सरकार के कोष में जमा हुई थी।

(2) जी हां। लेकिन कर्मचारी का सही नाम श्री रामदास सोनी के स्थान पर श्री रामदास स्वामी है।

(3) जी हां। श्री स्वामी के जिला बोर्ड की सेवा के समय काटे गये सी.पी. एफ. की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त नहीं होने के कारण आयुर्वेद विभाग में की गयी सेवाओं के आधार पर ही महालेखाकार कार्यालय जयपुर द्वारा पेन्शन व ग्रेच्युटी तय की गई है। सी.पी. एफ. की जानकारी उक्त आदेश संबंधित कार्यालय से प्राप्त होने पर संशोधित पेन्शन व ग्रेच्यूटी दिलवाने की कार्यवाही की जावेगी।

Page No. 30

(30)

राशन के अनाज का वितरण

120. **श्री बेतराम** (टोडाभीम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले 6 माह में राज्य सरकार को उसकी मांग की तुलना में कितना अनाज किस-किस प्रकार कब-कब केन्द्र से प्राप्त हुआ है ? इसका वितरण जिलेवार कितना कितना किस प्रकार किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विभिन्न जिलों में मात्रा की विभिन्नता का आधार क्या है ? जिलेवार अनाज के वितरण का क्या आधार रखा गया है ?

(3) क्या यह सच है कि राशन का अनाज वितरण करने में शहरी इलाके को प्राथमिकता दी जाती है जबकि देहाती इलाकों में खेतिहर मज़दूर की आर्थिक हालत शहरों में रहने वाले लोगों से अच्छी नहीं है ? क्या सरकार इस भेदभाव को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) पिछले 6 माह में केन्द्र से प्राप्त आवंटन एवं उसके वितरण की तालिका क्रमश: 'अ' व 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिला मुख्यालय पर 3 किलो या अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 2 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावग्रस्त जनसंख्या को उपलब्धी के आधार पर आवंटन किया जाता है।

(3) शहरी उपभोक्ता कृषक नहीं होता जबकि देहात में 80% कृषक होते हैं। और उनके पास स्वयं की उपज का खाद्यान्न रहता है इसलिए शहरी इलाके में राशन नियमित वितरण कराया जाता है। फिर भी प्राप्त मात्रा में से प्रभावग्रस्त, अनुसूचित व अनुसूचित जन जाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों को देहात में खाद्यान्न वितरण में प्राथमिकता दी जाती है। राज्य में सभी व्यक्तियों को समान रूप से वितरण आवश्यकता अनुसार उपलब्ध मात्रा के आधार पर ही सम्भव है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आज्ञाएं

121. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार ने अब तक किन किन वस्तुओं के सम्बन्ध में कब कब कौन कौन से, आदेश अथवा आज्ञा प्रसारित की है ? इसकी एक विवरण तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गत दो साल की उक्त आदेशों एवं आज्ञाओं की एक एक प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 के अधीन राज्य सरकार (खाद्य विभाग) द्वारा

(खाद्य मन्त्री)

विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में अब तक प्रसारित किये गये आदेशों/आज्ञाओं की वितरण तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। एक एक प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले में वृद्धावस्था पेन्शन के मामले

122. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाड़मेर जिले में ओल्ड एज पेन्शन (Old Age Pension) के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो रहा है? तहसीलवार सूची उनके नाम एवं पते सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बाड़मेर जिले में 237 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। तहसीलवार सूची, उनके नाम एवं पते सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान में महिला सदन

123. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा संचालित कितने महिला सदन राजस्थान में हैं? इन पर प्रति वर्ष क्या खर्च आता है?

(2) उक्त सदनों में कितनी कितनी महिलाओं को रखा जा रहा है? अब तक कितनी महिलाओं को सुधार कर सामान्य जीवन में प्रविष्ट कराया गया?

(3) क्या सरकार इन सदनों की प्रगति से संतुष्ट है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में एक महिला सदन, एक उत्तर रक्षा गृह, दो जिला आश्रय गृह एवं मानसिक पीड़ित महिलाओं के लिये एक गृह चलाया जा रहा है। इन सदनों पर वर्ष 1973-74 में 2,95,928 रुपये व्यय किये गये।

(2) उक्त सदनों में इस समय 196 महिलायें रह रही हैं जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है:—

सदन का नाम	वर्तमान संख्या	स्वीकृत संख्या
1. महिला सदन, जयपुर	101	100
2. उत्तर रक्षा गृह, अजमेर	39	100
3. मानसिक पीड़ित महिला रक्षा गृह, जयपुर	42	25
4. जिला आश्रय गृह, कोटा	7	25
5. जिला आश्रय गृह, जोधपुर	7	25
योग...	196	275

(समाज कल्याण मंत्री)

अब तक इन सदनों से 2171 महिलाओं को सुधार कर सामान्य जीवन में प्रविष्ट कराया गया है। 1855 महिलायें परिवारों को सौंपी गई, 121 का विवाह कर दिया गया एवं 195 को नौकरी दिलाई गई।

(3) जी हां।

श्री गंगानगर में दाई-नर्स का कार्य करने वाली महिलायें

124. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कुछ ऐसी दाई नर्सें थीं जो कम पढ़ी हुई थीं मगर पिछले कई वर्षों से वे इस पद पर कार्य कर रही थीं?

(2) क्या यह सच है कि उन्हें ट्रेनिंग देते समय यह विश्वास दिलाया गया था कि वे तृतीय श्रेणी में दाई नर्सों का कार्य करती रहेंगी?

(3) क्या यह सच है कि जिला गंगानगर में ऐसी 6 दाई नर्सें थीं और जो दस वर्ष से अधिक समय से तृतीय श्रेणी में दाई नर्स का कार्य कर रही थीं? उन्हें चतुर्थ श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया है?

(4) क्या यह सच है कि लक्ष्मी देवी दाई नर्स गजसिंहपुर जो इस पद पर पिछले 12 सालों से कार्य कर रही हैं को चौथी श्रेणी में चपरासी नियुक्त किया गया है? ऐसा करने का सरकार का क्या आधार है और इस तरह 12 वर्ष एक पद पर कार्य करने वाली महिला का दाई नर्स से चपरासी बना देना क्या उचित है? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब सुधार करेगी और उन्हें दाई नर्स का कार्य करती रहने देगी? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। केवल बिना मिडिल पास, दस वर्ष से कम सेवा-अवधि वाली दाइयों को ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर लगाया गया है।

(4) लक्ष्मी देवी दाई नर्स की सेवा अवधि दस वर्ष से कम होने के कारण चतुर्थ श्रेणी के पद पर लगाई गई हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रमिक संघों के वार्षिक आमद-खर्च का हिसाब

125. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निम्नलिखित श्रम संघों में दिसम्बर सन् 66 से लगा कर दिसम्बर सन् 74 को समाप्त होने वाले वर्ष तक अपने-अपने वार्षिक आमद खर्च के हिसाब में यात्रा व्यय पर कितनी धनराशि खर्च होना बताया है?

1. जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर

2. जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, उदयपुर

3. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

4. उदयपुर सीमेन्ट मजदूर संघ, उदयपुर

5. पेस्टीसाइड मजदूर संघ, उदयपुर

6. सीमेन्ट फैक्टरी मजदूर संघ, चित्तौड़गढ़

7. मिल मजदूर संघ, भीलवाड़ा

कृपया प्रत्येक श्रमिक संघ के वार्षिक यात्रा व्यय का अंक, यात्रा के गन्तव्य स्थानों तथा यात्रा वाहनों का ब्योरा सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सम्बन्धित श्रमिक संघों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न के आधार पर यात्रा व्यय पर दिखाई गई राशि की सूचना संलग्न परिशिष्ट में है।

गन्तव्य स्थानों तथा यात्रा वाहनों का ब्योरा रिटर्न में नहीं दिया जाता है। अतः सूचना देने में असमर्थता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर

126. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर ने दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के आमद खर्च के हिसाब में यूनियन डिस्प्यूट्स की पैरवी कराने में कुल कितना खर्च होना अंकित किया है? कृपया विभिन्न डिस्प्यूट्स के उल्लेख के सन्दर्भ में प्रत्येक मामले पर किए गए खर्च का विगत वार ब्योरा देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही कि है उक्त श्रमिक संघ ने दिसम्बर सन् 68 से लगा कर दिसम्बर सन् 74 को समाप्त होने वाले वर्षों में भी ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स की पैरवी पर धनराशि खर्च की? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितनी? कृपया ऐसे मामलों के नाम एवं प्रत्येक पर किए गए खर्च का उल्लेख करने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में आमद खर्च के रिटर्न में उक्त यूनियन द्वारा यूनियन डिस्प्यूट्स की पैरवी पर कुल खर्च 15730 बताया गया है। रिटर्न में डिस्प्यूट्स का ब्योरा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का प्रावधान ट्रेड यूनियन में नहीं है।

(2) जी हां, उक्त श्रमिक संघ द्वारा वर्ष 1967, 69 एवं 70 में क्रमशः 157-30, 3870 एवं 7474 रुपये की धनराशि ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स की पैरवी पर खर्च हुई। वर्ष 1972, 1973 एवं 1974 के रिटर्न प्राप्त नहीं हुए हैं तथा वर्ष 1968 व 1971 के रिटर्न उपलब्ध नहीं हैं। रिटर्न में डिस्प्यूट्स का ब्योरा नहीं दिया जाता। अतः प्रत्येक मामलों के नाम व उन पर अलग अलग खर्च का ब्योरा देना संभव नहीं है।

जयपुर नगर में नये जल कनेक्शन

127. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर; जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर नगर में 1972 से 1975 तक कितने नए जल कनेक्शन दिये गये ? इनमें से कितने लोगों को सरकारी मीटर उपलब्ध कराए गए ?

उत्तर

1972 से लेकर 1975 तक 3455 उपभोक्ताओं को नये जल कनेक्शन दिये गये जिनमें से सरकारी मीटर 2577 दिये गये।

योजनाओं पर व्यय

128. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक कौन-कौन सी योजनायें कुछ समय तक चालू रख करके कालान्तर में स्थगित करदी गई और क्यों?

(2) ऐसी योजनाओं के लिए कुल क्या प्रावधान था और लक्ष्य प्राप्ति की अवधि और लक्ष्य क्या थे ? उन पर कुल कितना व्यय हुआ और उनके क्या परिणाम रहे ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जिला सवाई माधोपुर में पंचम पंचवर्षीय योजना पर खर्चा

129. श्री चेतराम (टोडा भीम) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने से पूर्व जिला सवाई माधोपुर स्तर पर योजना का प्रारूप बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई थी और प्रशासन द्वारा अपनी योजना किस-किस मद एवं रूप में कब-कब प्रस्तुत की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना पर अब तक किये राशि के एलोकेशन का क्या जिला प्रशासन के प्रारूप के अनुसार ही खर्च किया गया है या किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) अब तक योजना में कितनी धन-राशि जिले को मिली है और किस-किस मद एवं कार्य पर खर्च की जा रही है एवं खर्च की है ?

उत्तर

(1) पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने से पूर्व जिला स्तर पर कोई योजना का प्रारूप तैयार नहीं किया गया था।

(2) प्रश्न संख्या 1 का उत्तर नहीं में होने के कारण जिला प्रशासन के प्रारूप अनुसार व्यय किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(योजना मंत्री)

(3) वर्ष 1956-57 से वर्ष 1972-73 तक के ही जिलावार व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध हैं। तदनुसार सवाई माधोपुर जिले में 1454.28 लाख रुपये खर्च किये गये। मदवार विवरण निम्नानुसार है :--

		(लाख रुपये)
(1)	कृषि कार्यक्रम	165.90
(2)	सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	162.61
(3)	सिंचाई एवं विद्युत	645.25
(4)	उद्योग एवं खनन	5.09
(5)	यातायात एवं संचार	136.05
(6)	सामाजिक सेवायें	338.01
(7)	विविध	1.37
	योग..	1454.28

वर्ष 1973-74 व 1974-75 के जिला सवाई माधोपुर के आवंटन के समंक संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय

130. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में जल समस्या के हल करने में जिलेवार कितनी राशि ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं पर व्यय हुई ? अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान में अब तक जल समस्या के हल करने में विभिन्न जिलों में कितनी राशि ग्रामीण एवं नगरीय जल प्रदाय योजनाओं में व्यय हुई ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कोटपूतली में नाजायज शराब निकालने वालों पर छापे

131. **श्री सुरेशचन्द शर्मा (कोटपूतली)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में विभाग द्वारा नाजायज शराब निकालने वालों के यहां गत वर्ष में कितने छापे मारे तथा कितने मुकदमे बनाये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत कई माह से विभाग के अधिकारियों ने एक भी छापा नहीं मारा और न मुकदमे बनाये ?

उत्तर

(1) कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में गत वर्ष में नाजायज शराब कशीद करने व बेचने वालों के यहां 22 मुकदमे बनाये गये जिसकी सूची संलग्न है।

(2) विगत कुछ माह से कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में कोई छापा नहीं मारा गया लेकिन नगरपालिका क्षेत्र के आसपास सर्कल शाहपुरा में छापे मारे गये।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

जयपुर जिले में काबिल अलाटमेंट कृषि भूमि

132. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में किस किस तहसील में कितनी कृषि भूमि काबिल अलाटमेंन्ट उपलब्ध है ? खसरा नम्बर मय ग्राम के नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त काबिल अलाटमेंट जमीन को शीघ्र अलाट करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में निम्न तहसीलों में उनके सम्मुख अंकित कृषि भूमि काबिल अलाटमेंट उपलब्ध है :–

	बीघा	बिस्वा
1. जयपुर	15	12
2. सांगानेर	44	00
3. चाकसू	298	19
4. बस्सी	189	8
5. ज. रामगढ	1043	4
6. कोटपूतली	258	18
7. विराटनगर	216	15
8. दौसा	3130	4
9. लालसोट	291	16
10. सिकराय	181	12
11. दूदू	1928	16
12. फागी	102	00
13. आमेर	–	अतिक्रमियों
14. बसवा	–	के कब्जे में
15. फुलेरा	–	होने के कारण उपलब्ध नहीं है।
योग	9707	3

ख. नं. मय ग्राम का नाम दर्शाते हुए सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त काबिल अलाटमेंट भूमि को शीघ्र आवंटन करने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं और आगामी फसल खरीफ से पूर्व समस्त भूमि (उक्त भूमि को छोड़ कर जिसको आवंटन न करने बाबत राज्य सरकार एवं सक्षम न्यायालयों से स्थगन आदेश जारी हो रहे हैं) को आवंटन कराने के प्रयास किये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूतपूर्व महाराजा जोधपुर की निजी सम्पत्ति

133. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भूतपूर्व महाराजा जोधपुर की निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो चुका है और उसकी घोषणा हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त घोषित निजी सम्पत्ति की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

भूतपूर्व महाराजा जोधपुर की निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया था जिसकी सूचना पुस्तक के रूप में समस्त निजी सम्पत्ति की सूची राज्य सरकार को प्राप्त हुई थी।

स्टेडियम प्लाट्स नामक सम्पत्ति के निर्णय होने के बाद उनका कब्जा भूतपूर्व महाराजा जोधपुर को देना बकाया रहा था जिसके लिये भी अन्तिम निर्णय लेकर जिलाधीश, जोधपुर को सूचित कर दिया गया है। निजी सम्पत्ति की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दौसा उप-खण्ड के राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे

134. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दौसा उप-खण्ड व तहसील दौसा के आकार कितने-कितने क्षेत्रफल में हैं?

(2) वर्तमान में उक्त तहसीलों व उप-खण्ड खण्डनायक आदि राजस्व न्यायालयों में कितने-कितने मुकदमात किस-किस न्यायालय में विचाराधीन हैं?

(3) उक्त सब-डिवीजन व बस्सी तहसील की सालाना राजस्व की आय क्या-क्या होती है, अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तहसीलों में कितनी कितनी भूमि पर कृषि होती है और कितनी भूमि पर पशु धन चरता है?

उत्तर

(1) उप-खण्ड दौसा का क्षेत्रफल 2,92,779 हैक्टर है। इस उप-खण्ड के अन्तर्गत तहसीलों का क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:–

क्र.	नाम तहसील	क्षेत्रफल हैक्टर में
1.	दौसा	91,880
2.	बसवा	63,086
3.	लालसोट	87,439
4.	सिकराय	50,374

(2) दौसा उप-खण्ड में स्थित निम्न राजस्व न्यायालयों में उनके सामने अंकित तादाद में दिनांक 31-12-74 को राजस्व मुकदमे विचाराधीन हैं:–

क्रम सं.	नाम न्यायालय	तादाद राजस्व मुकदमात
1.	परगना अधिकारी, दौसा	924
2.	सहायक कलक्टर, बांदीकुई	449
3.	तहसीलदार, दौसा	815
4.	तहसीलदार, सिकराय	343
5.	तहसीलदार, लालसोट	1512
6.	तहसीलदार, बसवा	1830
	योग	5,873

(3) दौसा उप-खण्ड की चारों तहसील और बस्सी तहसील की सालाना राजस्व आय संलग्न डी. सी. बी. मानचित्र माह दिसम्बर, 74 के अनुसार है (परिशिष्ट 'क')।

(राजस्व मंत्री)

(4) उप-खण्ड दौसा और तहसील बस्सी में उनके सामने अंकित रकबे पर सम्वत् 2030 में काश्त हुई है और जितना रकबा बन्दोबस्त के हिसाब से पशुधन के लिये है वह भी सामने दर्ज है :—

क्रम सं.	नाम तहसील	तादाद रकबा हैक्टर में जिस पर काश्त हुई	तादाद रकबा चरागाह हैक्टर में
1.	दौसा	54,702	8,961
2.	सिकराय	31,688	3,608
3.	लालसोट	49,898	6,008
4.	बसवा	37,808	7,334
5.	बस्सी	41,180	5,111

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम केशवाना (कोटपूतली) में अलॉटमेंट में हुई अनियमितता की जांच

135. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के ग्राम केशवाना गूजर में 1973 में हुए अलाटमेन्ट की जांच जिलाधीश, जयपुर ने की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अलाटमेन्ट में अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो अलाटमेन्ट के बारे में क्या कार्यवाही की गई है तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की दिनांक 10-7-73 को किये गये आवंटन के सम्बन्ध में जो बैठक हुई थी, उसमें ग्राम केशवाना स्थित विभिन्न खसरा नम्बरान की भूमि में से 59 प्रार्थना-पत्रों पर भूमि आवंटन करने हेतु निर्णय लिया गया था, जिनमें से 25 मामलों में आवंटन अनियमित प्रतीत हुआ था और आवंटन निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किये गये थे। बाद सुनवाई 17 मामलों में आवंटन निरस्त करने के आदेश दिये जा चुके हैं। 5 मामलों को नियमित मान कर नोटिस विथड्रा कर लिये गये हैं तथा शेष 3 मामलों में अभी सुनवाई एवं जांच जिलाधीश द्वारा की जा रही है। अनियमित आवंटन को निरस्त करने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही यह निश्चित हो सकेगा कि इसके लिए कौन कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री गंगानगर जिले में भू. पू. जागीरदारों को खुदकाश्त की जमीन

136. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जागीर पुनर्ग्रहण के उपरान्त भूतपूर्व जागीरदारों ने खुदकाश्त की जमीन न होना बतला कर सरकार से गंगानगर जिले में नहरी भूमि लेने की मांग की ? यदि हां, तो किस किस

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

को खुदकाश्त के लिये भूमि दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर मय नाम जागीरदार, जागीर, तहसील, जिला व निवास स्थान दर्शाते हुए रखें ।

(2) गंगानगर जिले के किस-किस ग्राम एवं तहसील, चक नम्बर में कितनी कितनी भूमि सिंचित या असिंचित किस किस जागीरदार को दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कार्मशियल क्राप टैक्स की वसूली

137. श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में इस वर्ष 1974-75 में कितनी रकम सरकार को वाणिज्य कर (कार्मशियल क्राप टैक्स) के रूप में वसुल होने की संभावना है ? जिलेवार, जिला श्री गंगानगर में तहसीलवार, किस्मवार, फसलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें

उत्तर

यह उपकर रबी 74-75 से लागू किया गया है जो 1975-76 में वसूल होगा । अतः प्रश्न पैदा नहीं होता ।

नगरों की गन्दी बस्तियों के उन्मूलन एवं सुधार हेतु धनराशि

138. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत नगरों की गन्दी बस्तियों के उन्मूलन एवं सुधार के लिये कितनी धन. राशि 1974-75 की वार्षिक योजना में रखी गई ?

(2) उपरोक्त धनराशि किन-किन नगरों में कितनी-कितनी बांटी गई ?

(3) वित्तीय वर्ष 1975-76 में उपरोक्त कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि का किन किन नगरों के लिये प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत नगरों की गन्दी बस्तियों के उन्मूलन एवं सुधार के लिये मूलत: 50.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था जो अब 54.00 लाख रुपये कर दिया गया है ।

(2) उपरोक्त धनराशि नीचे लिखे अनुसार तीन नगरों में बांटी गई:—

1. जयपुर 35.00 लाख
2. जोधपुर 15.00 लाख
3. अजमेर 4.00 लाख

(नगर आयोजना मंत्री)

उक्त आवंटन के अनुसार जोधपुर और अजमेर को पूर्ण राशि आंवटित की जा चुकी है। जयपुर को अभी तक 25.00 लाख रुपये ही दिये गये बाकी के 9.20 लाख रुपये प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवंटित किये जावेंगे।

(3) वित्तीय वर्ष 75–76 के लिये 30.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, नीचे लिखे अनुसार आंवटित करने का सुझाव है :–

जयपुर	10.00 लाख रुपये
जोधपुर	12.00 लाख रुपये
अजमेर	8.00 लाख रुपये

ग्राम कितासर शीतलनगर की सड़कों पर कार्यरत मजदूरों का भुगतान

139. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कितासर शीतलनगर सड़क विगत में क्रेश योजना के अन्तर्गत चली थी?

(2) क्या मस्टर रोल नं. 1677 ता. 27–2–72 से 15–3–72 में 16 मजदूर कुल लगे थे?

(3) क्या उक्त मजदूरों की 15 रोज की पूरी हाजरी लगाई गई और 55.98 रुपया प्रत्येक मजदूर को देने के लिए पास किया जाकर विकास अधिकारी श्री डूंगरगढ़ के लिए भेजा था?

(4) क्या मजदूरों ने बजाय 15 रोज के 6 दिन ही काम करना स्वीकार किया और पासशुदा राशि का भुगतान न लेने का लिख कर विकास अधिकारी को दे दिया?

(5) क्या जिलाधीश के आदेश से रिवाइज के 6 रोज का 18.66 रु. के हिसाब से ही मजदूरों ने भुगतान लिया व बाकी रकम जमा खजाना कर दी गई? व जिलाधीश ने उप-जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया?

(6) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा? जांच रिपोर्ट कृपया सदन की मेज पर रखें। जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दि. 27–3–72 तक का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बल्कि मस्टर रोल नं. 1677 में दिनांक 27–3–72 से 15-4-72 तक 16 मजदूर लगे थे।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि इन मजदूरों को 15 रोज की हाजरी लगाई गई है। मस्टर रोल में दि. 27-3-72 से 15–4–72 तक कुल 20 योम में 12 मजदूरों की 18 योम की तथा एक मजदूर की 10 योम की व बाकी 3 मजदूरों की 6 योम की हाजरी लगाई गई है। दो रविवार थे। मस्टर रोल में 12 मजदूरों के

(पंचायत मंत्री)

55.98 पैसे तथा एक मजदूर का 31.10 पैसे से 3 मजदूरों के 18.66 पैसे के प्रति मजदूर के हिसाब से कुल 758)84 पैसे का बिल पास किया जाकर चुकारे हेतु विकास अधिकारी, श्री डूंगरगढ़ को भेजा गया।

(4) जी हां। यह सही है कि मजदूरों ने विकास अधिकारी को केवल 6 योम ही कार्य करने का लिख कर दिया था। 15 रोज का मजदूरों के प्रार्थना-पत्र में जिक्र नहीं किया।

(5) जी हां। यह सही है कि जिलाधीश के आदेश से मजदूरों ने 15.66 पैसे के हिसाब से ही भुगतान प्राप्त किया है और शेष रकम चालान सं. 3 दिनांक 22-5-72 तादादी रकम 460.28 पैसे लेखा मद सामुदायिक विकास में जमा करा दी जा चुकी है। जिलाधीश ने अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी व अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), चूरू को जांच अधिकारी नियुक्त किया था।

(6) जांच से अब तक यह फर्जकारी साबित नहीं हुई है, और तकनीकी जांच के लिये कागजात मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), जयपुर को भिजवाये गये हैं।

यदि तकनीकी जांच से पाया गया कि गलत माप हुआ है और उसकी वजह से भुगतान भी गलत होना पाया गया तो दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

सहकारिता आन्दोलन

140. श्री जयकिशन लाल (फागी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सहकारिता आन्दोलन राजस्थान में सफल रहा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

सीकर जिले में मनी लैंडिंग लाइसेन्स होल्डर

141. श्री भावरमल सूण्डा (फतेहपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में मनी लैंडिंग लाइसेन्स होल्डर कितने हैं?

(2) क्या यह सही है कि फर्म मोहनलाल काशीप्रसाद जोगानी सीकर मनी लैंडिंग का कार्य करते हैं? यदि हां, तो इन्होंने मनी लैंडिंग का लाईसेन्स कब लिया था।

उत्तर

(1) सीकर जिले में मनी लैंडिंग लाइसेन्स होल्डर 601 हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(2) फर्म मोहनलाल काशीप्रसाद जोगानी, मनी लैंडिंग का कार्य करते है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। इन्होंने मनी लैंडिंग लाईसेन्स हेतु कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

पंचायतों के पंचायत घर

142. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अभी तक अनेकों ग्राम पंचायतों के पास निजी पंचायत भवन नहीं हैं? यदि हां, तो राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों के पास निज का पंचायत घर है और कितनों के पास नहीं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार जिन पंचायतों के पास पंचायत घर नहीं है उन पंचायतों को निजी पंचायत भवन बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध करवायेगी? यदि हां, तो इस वर्ष कितने भवनों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान जिलेवार किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत रटलाई के सरपंच द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

143. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई, जिला झालावाड़ के सरपंच द्वारा पंचायत की धनराशि का दुरुपयोग एवं अनियमितताओं की शिकायतें राज्य सरकार को कई बार की गई? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

जी हां, आबादी भूमि विक्रय करने में अनियमितताएं करने आदि की शिकायतें होने से, अवैध विक्रय को निरस्त करने हेतु जिलाधीश, झालावाड़ को दिनांक 8-10-73 को ही आदेश दे दिया गया है तथा सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सरपंच को आरोप-पत्र तथा नोटिस दिनांक 8–4–74 को दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। सरपंच ने आरोपों का खण्डन करते हुए दिनांक 3–7–74 को उत्तर पेश किया। सरपंच का उत्तर सन्तोषप्रद नहीं होने से राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम सन् 1961 के नियम 21(3) के अन्तर्गत दिनांक 7–8–74 को उप जिलाधीश, अकलेरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच की कार्यवाही जारी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चूंकि इस अनियमित भूमि विक्रय में उक्त पंचायत के अन्य पंच भी शामिल हैं इसलिए उनके खिलाफ भी जांच उप-खण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा सरपंच की जांच में सम्मिलित करने के आदेश दिनांक 24–1–75 को दिये जा चुके हैं। धन के दुरुपयोग बाबत केवल एक शिकायत पूर्व सरपंच ने की थी कि उन्हों ने

(पंचायत मंत्री)

चार्ज में मौजूदा सरपंच को राशि दे दी थी, परन्तु फिर भी उनसे मांगी जा रही है। जिलाधीश ने भी माना है कि चार्ज हो चुका है। सरपंच द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीम-का-थाना में विद्युत मजदूरों द्वारा गत 22 फरवरी से की जा रही भूख हड़ताल के विषय में। इस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

2. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से पाकिस्तानियों द्वारा सीमावर्ती जिलों से भारतीय नागरिकों के मवेशियों की चोरी तथा पाकिस्तान द्वारा जासूसी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के विषय में इस प्रस्ताव में एक से अधिक विषय समाविष्ट किये गये हैं। माननीय सदस्य यदि चाहें तो आम बजट पर होने वाली बहस में इन मुद्दों को उठा सकते हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना था कि विद्युत विभाग के मजदूरों के साथ लगातार अन्याय की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। इससे मजदूरों में बड़ा भारी असन्तोष छाया हुआ है। इन शिकायतों का निराकरण मजदूरों द्वारा लगातार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हुआ है। वहां पर उनके फिक्सेशन के, प्रमोशन के और भी कई इसी प्रकार के मसले काफी अर्से से पेन्डिंग चलते आ रहे हैं। इस ओर कई बार विद्युत विभाग और श्रम विभाग का ध्यान दिलाया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनके द्वारा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यह मजदूरों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, और यह विद्युत विभाग और श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। विद्युत विभाग में एक कमेटी बनाई गई है उसमें यूनियन के मेम्बर भी हैं और जो गैर मेम्बर हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हीं लोगों को, जो इस कमेटी के मेम्बर हैं, बेजा फायदा दिया जा रहा है और जिनका वाजिब हक है वह उनको नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई मसले विद्युत विभाग और श्रम विभाग के सामने पड़े हुए हैं और वे उनका कोई हल नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से नीम-का-थाना के विद्युत विभाग के मजदूरों ने 22 फरवरी से भूख हड़ताल की है और वह भूख हड़ताल अभी तक चल रही है। वे बातचीत करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ बातचीत भी नहीं की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मौका है जबकि खेतों में पानी लगाने का समय है। इसलिए खेती की और पैदावार को नुकसान होने की सम्भावना है। इसलिए सरकार इस पर गौर नहीं करेगी तो स्थिति और जोर पकड़ सकती है। मैं निवे-

(श्री केसरीमल)

दन करना चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इस मामले में हस्तक्षेप करके इसको हल कराये ताकि स्थिति और आगे नहीं बढ़े।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है । मेरा एक ही विषय है जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है । पाकिस्तान से हमारा सीमा समझौता हो जाने के बावजूद भी, शिमला समझौते के बाद भी पाकिस्तान और राजस्थान का जो बोर्डर मिलता है, वहां पाकिस्तान के लोग आते हैं, रात्रि में आते हैं और वहां के नागरिकों के मवेशियों को चुरा कर ले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रश्न है सीमा को उल्लंघन करने का । राजस्थान की जो सीमा है उसका पाकिस्तानी लोग उल्लंघन कर रहे हैं, एक आरोप । दूसरा मैंने निवेदन किया है कि सीमा उल्लंघन के साथ साथ पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी जासूसी का प्रशिक्षण दे रहे हैं और 18 से 40 वर्ष तक की आयु के लोग जो हैं, हमारे यहां तो 40 साल के बूढ़े माने जाते हैं, परन्तु वह नहीं मानते, उनको हमारे यहां जासूसी करने के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। युवकों और युवतियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । यह बात भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है क्योंकि हमारी सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी को वह पाकिस्तान सरकार को ले जाकर देते हैं। इसलिए मेरे दोनों ही स्थगन प्रस्ताव आपस में जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानियों का हमारी सीमा में प्रवेश करना, सीमा का उल्लंघन करना और यह जो पाकिस्तान का जासूसी का तरीका है। दूसरी ओर हमारा तो रवैया यह रहा है कि भारत के लोग कितनी ही कुरबानी करके भूमि जीतते हैं, लेकिन फिर सरकार उस भूमि को, जीती जिताई भूमि को वापिस कर देती है । इस तरह से सैनिकों का अपमान करती है। इसलिए मेरा निवेदन कि मवेशियों की छेड़छाड़ के आधार पर सुरक्षा की दृष्टि से गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं । बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर कई जगह ऐसा हो रहा है, सीमावर्ती इलाकों में तस्करी बढ़ रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि ऐसा नहीं हो । पुलिस वाले भी ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते हैं । इससे सरकार की अकर्मण्यता जाहिर होती है और वह लोगों को छोड़ देते हैं।

इसलिये तीन प्रश्न हैं, मवेशियों को पकड़ कर ले जाने वाली बात, सैनिक गतिविधियां और तीसरी तस्करी और सीमा पर लोगों का भूखे मरना। मैं समझता हूं इससे बढ़ कर, माननीय अध्यक्षजी, आज की तारीख में कोई महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं इस प्रस्ताव की अहमियत पर ध्यान दिया जाय। हिन्द-पाकिस्तान के सम्बन्ध दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। हमारा राजस्थान सीमावर्ती प्रांत है और इस सारे इलाके में हमारी जिम्मेदारी है । हमने कुर्बानियां दी हैं। इस लिये मैं सरकार को सजग करने के नाते निवेदन करता हूं कि भारत सरकार इस मामले में पूर्ण सजग रहे तथा राजस्थान की सरकार भी पूरी तरह जागरूक रहे तथा भारत सरकार को उनकी गतिविधियों से बराबर अवगत कराती रहे। जो सीमा पर छेड़छाड़ करने वाले हैं उनसे सावधान रहें। माननीय मंत्री महोदय जो कुछ प्रयास सीमा पर कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में यदि सदन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
में स्टेटमेंट दें तो अच्छा रहे और इसी का ध्यान राज्य सरकार को दिलाना है। इस स्थगन प्रस्ताव की यही मंशा है।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय चूरू काण्ड के बारे में·····

श्री अध्यक्ष : आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, चूरू काण्ड के बारे में मैं जानना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : अभी चूरू काण्ड की बात नहीं है।

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्षजी यह पहले हो जानी चाहिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र
अधिसूचनाएं

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक (क—2) विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

1. अधिसूचना संख्या एफ. 8 (4) नियुक्ति (क—2)/69, दिनांक 27 सितम्बर, 1974.

2. अधिसूचना संख्या एफ. 8 (7) कार्मिक (क-2)/74, दिनांक 27 सितम्बर, 1974.

3. अधिसूचना संख्या एफ. 23 (2) नियुक्ति (ए)60/भाग—3, दिनांक 23 दिसम्बर, 1974.

4. अधिसूचना संख्या एफ. 8 (17) कार्मिक (क—2)/73, दिनांक 5 जनवरी, 1975.

अध्यक्षीय घोषणा
आठ सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण

श्री अध्यक्ष : घोषणा।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजस्थान विधान सभा के निम्नांकित सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है :

सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
1. श्री रामलाल	बाड़ी
2. श्री उम्मेदी लाल	हिण्डौन
3. श्री हनुमान सहाय	बैराठ
4. श्री झाबरमल सून्डा	फतेहपुर
5. श्री विश्वम्भर दयाल	महुवा
6. श्री प्रताप सिंह	किशनगढ़
7. श्री सुरेश चन्द्र	कोटपूतली
8. श्री रामेश्वर लाल	झुंझनूं

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : लोकसभा में, मान्यवर, एन्टी डिफेक्शन लॉ पेश हो चुका है। इस समय सेन्ट्रल का और जो कांग्रेस का फैसला है, मेम्बरशिप एक्सेप्ट करने का यह तरीका एन्टी-डेमोक्रेटिक माना है। जो बिल विचाराधीन है उसको यह फ्रस्ट्रेट करता है। दूसरे आदमी कौन और आने वाले हैं? जो अभी हमारी बेंचेज पर बैठे

(श्री केदार नाथ)

हुये हैं। या तो इनके नाम भी बता दिये जायं या फिर चेयर बदल लें ताकि इन छः आदमियों का भी पता लग जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर केदार मेरे पड़ोसी हैं। मैं इनके साथ बैठता हूं। इनको बड़ा शक रहता है, तो इसलिये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मुझ पर शक न करें।

श्री केदारनाथ : कोई नये कार्पोरेशन की घोषणा होती है तो मैं समझता हूं हमारा एक मेम्बर और गया।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अभी तक केवल 8 नाम हैं। इनकी घोषणा की है। इससे अधिक जानकारी नहीं है। उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, जो एन्टी-डिफेक्शन लॉ है उसमें कांग्रेस ज्यादा फेवर में है। इसमें आपका क्या निर्णय है, क्या यह सही है?

श्री अध्यक्ष : मेरा निर्णय तो अभी यह है कि यह ला नहीं है और मैं कुछ कह नहीं सकता हूं—जहां तक मेरा ताल्लुक है।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, ऐसे कौनसे छः मेम्बर हैं? मुख्य सचेतक महोदय बता दें। हम शानदार विदाई देते हैं।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उसके लिये इन्तजार कीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आ रहे हैं अभी

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, आप उन विधायकों के लिये सीट सुरक्षित करेंगे? हमारे साथ जो अभी तक बैठते थे उनके लिये आपने सीट सुरक्षित की होगी और जो आने वाले हैं...

श्री अध्यक्ष : अब और नहीं आ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पता तो लग जाय।

श्री अध्यक्ष : उनके लिये कांग्रेस पार्टी की सीट सुरक्षित की है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसी ऐसे दवाब या प्रलोभन से दल बदल को प्रोत्साहन देना अन्याय है...

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : न दवाब है, न प्रलोभन है और न और कुछ है। स्वेच्छा से आये हैं

सूचना प्राप्ति-प्रश्न

चूरू काण्ड पर कार्यवाही

श्री मोहरसिंह (सादूल शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं चूरू काण्ड पर 20 तारीख को माननीय मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था। उसके बाद कुछ कार्यवाही होनी चाहिए थी। जैसा हम लोगों को कहा गया था हम लोग चैम्बर में उनसे मिले। उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई है दुबारा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस मामले को इतनी हल्की नजर से कैसे देखा जा रहा है। इस पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और हाउस में वक्तव्य और जानकारी आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है चैम्बर में बात हुई थी····

(श्री गिरधारी लाल भार्गव के बीच में बोलने से अश्रव्य)

इस मामले में विचार के लिए सारी पार्टी के नेता थे। बातचीत हुई थी। यहां मुख्य मंत्रीजी अभी हैं नहीं। उनसे चैम्बर में बात कर लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं। आन्दोलन फिर तेजी पकड़ रहा है। सदन में आश्वासन दिया था जो मंत्री महोदय को पूरा करना चाहिये। माननीय अध्यक्षजी, वहां जन संघर्ष तेजी से हो रहा है। वचनों का पालन कराने के लिये आप मंत्री महोदय से कहें।

श्री केदारनाथ : चूरू के पुलिस काण्ड की बात आई थी···

विधायी कार्य

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975।

इसमें इतनी बात निवेदन करनी है, यह विधायी कार्य तीन बजे तक समाप्त करना है। तीन बजे सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायगी, चार बजे फिर दुबारा मिलेंगे। अतः तीन बजे समाप्त कर दें।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

चूरू काण्ड पर कार्यवाही

श्री मोहरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू काण्ड को आप एक मामूली नजरिये से देख रहे हैं। जिस प्रकार की लापरवाही की जा रही है, चूरू काण्ड के प्रति उस लापरवाही के कारण मैं सदन से विरोध स्वरूप वाक आउट करता हूं।

(श्री मोहर सिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप अकेले चले जायेंगे तो क्या है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : करोड़ों तारों के बीच में चन्द्रमा अकेला ही होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975

परिनियत संकल्प

[श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधि मान्यकारी उपबन्ध) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं. 30 सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (अमेण्डिंग एण्ड वेलेडेटिंग प्रावीजन्स) आर्डीनेन्स, 1975 के लिए जो बिल लाया गया है उस सम्बन्ध में मुझे प्रार्थना यह करनी है कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सरकार ने यह कानून 1961 में बनाया था। प्रारम्भ में यह बना था तो उसमें यह कहा गया था कि जितनी भी जयपुर मार्केट कमेटियां बनेंगी उन सबको डायरेक्टर से स्वीकृति लेना आवश्यक है। 1961 में सेक्शन 17 रखा गया, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार अध्यादेश निकाल कर उसमें संशोधन कर रही है। सेक्शन 17 में यह कहा गया था–

"*Power to levy cess.*—The market Committee may, subject to the provisions of rules and subject to such maxim a as may be prescribed levy market fees on the agricultural produce bought and sold by the licensees in the market."

यह पहले तो पावर्स दी गई उनमें यह प्रावधान रखा गया। और···

12.22 म. प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

फिर उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 17 में फिर अमेण्डमेंट किया गया है। उसमें फिर से परिवर्तन किया गया हैं वह परिवर्तन यह किया गया vide Act No. 16 of 1965—

"*Power to levy market fees.*—The market committee may, subject to the provisions of rules and subject to such maxima as may be prescribed, levy market fees on the agricultural produce bought and sold by the licensees in the market."

इसके बाद जब कोर्ट में लोगों ने चुनौती दी उस सारे कानून को तो, उपाध्यक्ष महोदय, 1973 में फिर इसमें अमेण्डमेण्ट किया गया।

इस प्रकार 1961 के कानून में 65 और 73 में अमेण्डमेण्ड किया गया है। 73 में अमेण्डमेण्ट किया गया है :—

"*Power to levy market fees.*—The market committee shall levy and collect market fees from the licensee in the prescribed manner in respect of agricultural produce bought or sold in the market or market area··"

इसके अलावा मार्केट एरिया में जो संशोधन ला रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बिना विधान सभा में लाये ही पहले ही इसमें संशोधन कर दिया। आखिर मार्केट एरिया आप किसको कहेंगे ? मार्केट तो वह स्थान है जहां दुकानें हों जिनमें से आप सामान लेकर आते हैं। अब एरिया है तो जैसे कि रामगढ़ है, सांगानेर है, बस्सी है, दौसा है, यह एरिया कहलाता है। लेकिन एक पर्टीक्युलर प्लेस मार्केट कहलाती है। जयपुर में जहां कहीं सब्जी बेची जाती है आपने वहां पर भी लागू कर दिया। अन्य स्थान पर फल बेचे जाते हैं वहां भी लागू कर दिया। यही नहीं, यहां के हटवाड़े में जहां पर जानवर आते हैं, वह भी इसी से रेग्युलेट होगा। इस प्रकार से इस कानून का बहुत ही विस्तृत स्कोप है। सरकार कहती है :—

"···· bought or sold in the market or market area at such rates ....,"

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अब आप मार्केट और मार्केट एरिया में कहीं पर भी, 15 मील के एरिया में अगर जानवर बिकेगा, सब्जी बिकेगी, उस पर यह लागू होगा। मार्केट फीस के लिए बतलाया है :—

"....as may be specified by the State Govt. by notification in the official gazette from time to time subject to a maximum of Re.1/-per rupees one hundred worth of agricultural produce."

सरकार ने 109 रु. पर एक रुपया टैक्स लगा दिया है। 100 रु. पर एक रुपया उपभोक्ता को देना होगा। सौ रुपये से ऊपर का जानवर बिका तो एक रुपया उपभोक्ता से लिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा सबसे बड़ी है। पहले इसको विधान सभा में लाना चाहिए था। सरकार ने विधान सभा में नहीं आना पड़े इसके लिए सेक्शन 42 में प्रावधान रख दिया—

"*Power to remove dificulties*—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may as occasion requires by order ....'

यानी सरकार उस कठिनाई को हल कर देगी। विधान सभा में आने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। सरकार "..by an order, do anything.. जो सरकार चाहे वह आर्डर से कर देगी।

"...which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty...."

यह अधिकार सरकार ने ले लिया।

फिर सरकार ने 42 (3) सेक्शन को बदला आपने गजट में नोटीफिकेशन निकाला, 14 जुलाई, 1973 को निकाला। यह जो अध्यादेश लाई सरकार, वह 14 जुलाई को लाई। अध्यादेश को चैलेंज किया गया। जब सरकार ने अमेण्डमेंट किया तो हाईकोर्ट में सरकार को बारबार आना पड़ा। यह सरकार इस प्रकार की मनमानी करती है। हाईकोर्ट में जज ने बार-बार लताड़ा इसलिए सरकार ने यह अमेण्डमेंट किया है। यह सेक्शन 6 है जो आर्डिनेंस में शामिल नहीं किया गया है। यह आर्डिनेंस में शामिल नहीं और बिल में शामिल करना चाहते हैं तो मेरा यह कहना है कि जो चीज आर्डिनेंस में नहीं है तो बिल में किस प्रकार से शामिल कर दिया ? तो यह बिल आर्डिनेंस के अनुरूप ही रखा जाना चाहिए। सेक्शन 6 में सरकार और अमेण्डमेंट लाना चाहती है। क्योंकि यह मूल में नहीं है, इसलिए मेरा आब्जेक्शन यह है कि सरकार इसे रख ही नहीं सकती है। भले ही बहुत अच्छी भावना हो, फिर भी यदि आर्डिनेंस में रखा हो तभी इसमें ला सकते हैं। तो यह कानूनी मुद्दा मैंने आपके सामने रखा है। 14 जुलाई को सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है।

"In exercise of powers conferred by Section 17 of the Rajasthan (Agricultural) Produce Market Act, 1961 (Act No. 38

Page No. 50

(50)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

of 1961) the State Government hereby specifies Re 1/—per rupees one hundred worth of Agricultural produce as market fee to be levied by the Market Committees, in the State of Rajasthan."

सम्पूर्ण राजस्थान में जो अनाज बिके, सब्जी बिके, जानवर बिके इन पर यह मार्केट फीस लागू होगी। आगे इसमें उन्होंने कहा है–

"Further in exercise of powers conferred by Section 42 of the aforesaid Act......."

सरकार ने पहिले ही अधिकार ले लिया है। "do anything" तो सरकार के गजट नोटिफिकेशन का हवाला मैं दे देता हूं–

"......the Government hereby orders that since the amendment in the Rajasthan Agricultural Produce Market Rules, 1963, and byelaws of the Market Committee will take on account of certain formalities to be observed, the levy of aforesaid Market fees shall be effective from the date of publication of this Notification inrespective of the fact that relevant rules and bye-laws, have not been amended accordingly."

यह सरकार ने जुलाई 14, 1973 को गजट नोटीफिकेशन निकाल दिया। स्वयं सरकार यह मान रही है कि रूल्स में कोई अमेन्डमेण्ट नहीं है। एक्ट में कोई अमेण्डमेण्ट नहीं है और सरकार ने 14 जुलाई, 1973 को राजस्थान के लोगों पर एक रुपया टैक्स लगा दिया।

मैं यह प्रार्थना करना चाहूंगा सरकार ने उसके बाद क्या किया? गजट नोटिफिकेशन किया है, उसके बाद सरकार ने मूल एक्ट में संशोधन कर दिया। उसमें यह कर दिया:

"*Power to collect market fees*—

The market committee shall collect market fees from the licensee in the prescribed manner in respect of agricultural produce bought or sold in the market area at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the official gazette subject to maximum of Re. 1/—per rupees one hundred worth of agricultural produce."

और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको असर कब से दिया, "This was given" यानि 1974 में सरकार ने अमेंडमेंट किया और देखिये हालत सरकार की:

"This was given retrospective effect from the date of the Act."

Page No. 51

(51)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यानि 1974 में सरकार अमेंडमेंट कर रही है एक्ट में और रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट दे रही है 1961 से। यह कहां का औचित्य है? यदि एक रुपया आपको टैक्स लगाना था तो जब एक्ट में संशोधन लाये, चाहे आर्डिनेन्स के मार्फत लाये, तब से आप एक रुपया टैक्स लगाते तो उसका विरोध होता। यह बात दूसरी है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने की नीति से सरकार ने इसको रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट दे दिया है, यानि जब से एक्ट लागू हुआ। 1974 में आप संशोधन ला रहे हैं और 1961 से आप लागू कर रहे हैं। मैं समझता हूं, यह आर्डिनेन्स बिल्कुल अप्रजातांत्रिक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आप अन्दाज लगा लीजिये

"On 5-7-74, the Deputy Secretary to the Government issued the following corrigendum to the notification dated 14-7-73."

यानि डिप्टी सेक्रेटरी ने 14-7-73 को नोटिफाई किया था और एक पर्सेन्ट के लिए कोरिजेंडम निकाल दिया :

"The word 'levied' occurring in para 1and the word 'levy' occurring in para 2 of the Agriculture (Gr. II) Deptt. Notification of even number dated July 14, 1973, may be read as the words 'collected' and 'collection' respectively."

यानि अफसोस इस बात का है, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला उस पर नम्बर अंकित नहीं था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, इस सरकार ने कितना गलत नोटिफिकेशन किया, उस पर नम्बर नहीं था। नम्बर नहीं था, लेकिन जल्दी में निकालना था इसलिए निकाल दिया और 1961 से जब से एक्ट लागू है, यह लागू कर दिया। यह करने के बाद किया :

"Charges for brokerage, weighing and surveying—"

सरकार ने अधिकार ले लिया, रूल 75 में अधिकार हो गया।

"The fee payable to a licenced broker, weighman, measurer or surveyor in respect of his services shall be such as may be specified in the byelaws"

सरकार ने यह कर लेने के बाद सोचा, फिर मात खानी पड़ेगी, 14-7-73 को रूल नम्बर 75 में, जिसका स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में हवाला है, सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला 14-7-73 को, उसके ऊपर कई रिट पिटीशन फाइल हो गईं। फिर आपने रूल 75 में मेन, ब्रोकर आदि का अमेंडमेंट निकाला कि रूल 75 में यह जोड़ा जाना चाहिए—

"At the end of the existing rule 75 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Rules, 1963, following shall be inserted, namely-The fees as specified in the byelaws shall be payable by the purchaser of the Agricultural produce in the market and not by the seller."

(52)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह लिखा है। आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस समय अमेंडमेंट ला रही है, यह तीसरे नम्बर का है, 17 में लिखा है :

"*Power to collect market fees.*—The market committee shall collect market fees from the licencees in the prescribed manner on agricultural produce bought or sold in the market area at such rate as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette subject to a maximum of Re.1/-per rupees one hundred worth of agricultural produce."

आज भी सरकार ने, जो यह बिल को पेश करने जा रही है, इसमें यह बात नहीं लिखी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक रुपया किस से वसूल किया जायेगा ? सरकार ने बिल जब पेश किया है तो आखिरकार यह बात बतानी चाहिए, एक रुपया लाइसेन्स होल्डर को देना पड़ेगा, या एक रुपया सामान खरीदने वाले को देना पड़ेगा। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन किया, उसमें यह बात जरूर कह दी है। मेरा निवेदन करना यह है, सरकार ने जो यह लगाया है, यह फीस नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार से एक रुपया राजस्थान की गरीब जनता पर सीधा टैक्स है। सरकार इसको फीस कहती है, मैं मेरे शब्दों में इसे टैक्स कहता हूं। पहले मण्डी में 25–30 नये पैसे लिये जा रहे थे। पिछली विधान सभा खत्म हो रहा था, तो यह सोच कर कि राजस्थान भर में मार्केट फीस एक सी हो जाय, 25–30 पैसे को बढ़ा कर एक रुपया कर दिया जब यह गलत कर दिया। तो लोग हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट में, सरकार जो गलती करे, वह चैलेंज हो जाय, फिर सरकार ने सोचा बीच में जो कुछ लोगों से गलत रूप से वसूली कर ली और 25-30 पैसे से ऊपर पैसा वसूल कर लिया उसके लिए व्यापारी आवेंगे और व्यापारी आकर मण्डी अधिकारी के पास 25-30 पैसे से जो ऊपर वसूली कर ली है, उसको वापिस देने की प्रार्थना करेंगे। इसलिए सरकार ने जल्दबाजी में एक ऑर्डिनेन्स निकाल दिया। सरकार ने कहा, 14 जुलाई, 1973 को नोटिफिकेशन किया है, वह बिल्कुल सही है, इसको कोई आदमी कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा, इसको हम रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट से लेते रहेंगे, 1961 से लेते रहेंगे और आगे भी लेते रहेंगे। सरकार ने नोटिफिकेशन के अन्दर रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट देकर यहां तक कर दिया, 1961 के बाद एक रुपया उपभोक्ता पर टैक्स लागू कर दिया। मेरा निवेदन यह है, आर्डिनेन्स के द्वारा 1961 से 1975 तक जिन जिन लोगों ने मण्डी टैक्स नहीं दिया, सरकार उनसे वसूल करेगी और जिन लोगों से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो गलत फैसला कर दिया 25–30 पैसे से बढ़ा कर एक रुपया कर दिया और वसूल कर लिया और जो वापिस करने की बात थी, वह वापिस नहीं करा–इसलिए आर्डिनेन्स ले आये। अब लोग इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने गये हुए हैं तो इस आर्डिनेन्स को इस सदन में लाकर, बिल के ऊपर विधान सभा की मोहर लगवा लेना चाहते हैं। इस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्रकार इस टैक्स को लोगों से वसूल कर लेंगे और जिनसे ज्यादा वसूल कर लिया है उनको लौटायेंगे नहीं। आपने यह जो राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाया है, यह फीस नहीं है, यह टैक्स है।

दूसरा निवेदन यह है, सेक्शन 17 के अ. इसको रिट्रास्पेक्टिव अफैक्ट दिया गया है, यह राजस्थान की जनता पर, उपभोक्ता पर अन्याय है। लेकिन यह टैक्स रिट्रास्पेक्टिव अफैक्ट के आधार पर उपभोक्ता से कैसे लिया जायगा? जो सब्जी खरीद कर ले गया, अनाज खरीद कर ले गया, कैसे रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट के आधार पर वसूल करेगी? मैं समझता हूं, यह इम्प्रेक्टिकेवल है और असम्भव बात है। रूल 58 के अमेंडमेन्ट के आधार पर कोई बात की नहीं। सेक्शन 42 में अमेन्डमेन्ट किया हुआ है। विधान सभा को विश्वास में न लेकर सरकार जब चाहे will do whatever it likes. जिस प्रकार चाहेंगे विधान सभा में न आकर गजट नोटिफिकेशन करके लागू कर देंगे। नोटिफिकेशन के आधार पर सरकार ने यह किया है। प्रजातांत्रिक हालत में यह विधान सभा सर्वोपरि है, आप गलत नोटिफिकेशन के आधार पर इस प्रकार का अधिकार ले लें यह गलत है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, मूलतः यह आर्डिनेन्स है, इस आधार पर यह बिल नहीं है, सेक्शन 6 में सरकार अमेन्डमेन्ट चाहती है वह बिल में चाहती है। आर्डिनेन्स में सेक्शन 6 में अमेन्डमेन्ट चाहा नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा नोटिफिकेशन है नहीं, फीस और टैक्स वाली बात कह दो, यह आप वसूल नहीं कर सकते, यह बायलॉज के आधार पर नहीं है। आपने एक बार नहीं अनेक बार संशोधन किये हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप विधान सभा का मखौल न बनवाइये। कोर्ट में विधान सभा का मखौल बनता है। लोग कोर्ट में जाते हैं, इससे विधान सभा की प्रतिष्ठा गिर रही है, इस कारण आर्डिनेन्स इस प्रकार का न लायें। जैसा आब्जेक्ट में सरकार ने कहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट का समय चाहता हूं:

"A large number of writ petitions were filed before the High Court challenging the amendment of rule 75 of the Rajasthan Agriculture Produce Market Rules, 1963 and the Notification of the State Govt. dated 14th July, 73 whereby the Govt. had proceeded to specify the rate of market fee."

जिसका हवाला मैंने दिया है:

'The High Court partially allowed the writ petitions by its judgement dated 19-11-74.'

यह हाई कोर्ट का जजमेंट है, यह भी मेरे पास मौजूद है। जजमेंट में यह कहा है:

'Accordingly I allow the writ petitions in part and direct that the State Government and the Market Committees shall not recover the enhanced market fees unless proper rules are framed by the Government as indicated.......'

यह फोर रूल्स आज सरकार अमेंडमेंट करने के लिए लाई है....

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

'...as indicated. Further they shall not recover the market fee on sugar in the markets at Jodhpur, Sojat Road, Sojat City, Shivganj, Sumerpur and Nimbahera. Effect shall not be given to the amendment introduced in rule 75 of the Rules and to the consequential amendments in the bye-laws by the respondents. Parties are left to bear their own costs.'

यह हाई कोर्ट का फैसला है। बार बार सरकार हाई कोर्ट में गई है और मार खाई है। सरकार अब अध्यादेश के खिलाफ बिल लाई है, सरकार को पुनः हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा है कि सरकार हाई कोर्ट में न जाए क्योंकि इससे न केवल सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है बल्कि विधान सभा में जो बैठते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। ये सारे विभिन्न प्रकार के संशोधन समय समय पर आए हैं, तो मैं कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को सदन में प्रस्तुत करने के अपने हठ को वापस ले लें और भी जो कुछ उनके सामने संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उन पर गंभीरता से विचार करें। अध्यादेश को सदन में न लाकर इसको निरस्त करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदार नाथ : मान्यवर, इस अध्यादेश का बहुत ही सीमित दायरा है। जहां मार्केट फीज एन्हांस करने का सवाल है, वह तो ठीक है। बोर्ड कायम किया वह भी ठीक है। मगर बोर्ड का जो कन्सेप्शन है, उनको पूरे पावर्स न देना, एम्लाईज, जो 10–11 साल से काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज नियमित न करना, यह ठीक नहीं है। सलेक्शन तो बोर्ड करेगा इंजिनियर्स की और एप्रूवल डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर देता है, ड्यूअल ऑथोरिटी आपने बोर्ड के कम्पोजीशन में रखी है, यह आपका कन्सेप्ट गलत है। इसलिए जब भी आप कोई बोर्ड या निगम बनायें उनको पूरी पॉवर्स दें। जब तक पूरी पावर्स नहीं देंगे तब तक वह इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। पिछली बार 1973 में अमेंडिंग बिल आया था। यह सही है कि मार्केट फीस 25 पैसे से बढ़ा कर एक रुपया कर दी, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया क्योंकि उसका ड्राफ्टिंग ठीक नहीं था। उस समय जो कृषि मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो काश्तकारों से कमीशन एजेंट्स 2), 1 रु. 12 आने या 1 रु. 14 आने कमीशन फीस काटते हैं वह पर्चेजर से काटा जाएगा। इस संशोधन को भी लाते, इसमें जोड़ देते कि जो आढ़त काश्तकार से वसूल करते हैं वह खरीददार से वसूल होगी हरियाणा पंजाब की तरह, ताकि काश्तकार के भले की चीज हो जाए। बोर्ड को पूरी पॉवर्स दें, एम्पलाईज के सर्विस नियम बनायें।

लिंक रोड्स, यार्ड्स बनाने की आपने मंजूरी दी है उसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन हरियाणा, पंजाब व कर्नाटक कई राज्यों ने ऐसे बोर्ड्स बनाये उनको पूरे पॉवर्स दे दिए। एम्पलाईज के सर्विस रूल्स बनाये और कमीशन खरीददार से काटा जाए तो हम इस बिल का स्वागत करेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है वह जो कलेक्शन्स हैं उनको वेलिडेट करने के लिए लाया गया है। जब हमारे लॉ डिपार्टमेंट के पास इलेबोरेट मशीनरी है तो हमारी समझ में नहीं आता कि जिस समय वे रूल्स बनाते हैं और एक्ट का निर्माण होता है उस समय इस किस्म की गलतियां कैसे रह जाती हैं, जिसके कारण बार बार हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। एक साधारण बुद्धि का आदमी भी सोचता है कि यह लॉ इस तरह से लागू होगा या नहीं। अक्सर जो चीज हो जाती है उसको वेलिडेट करने के लिए आप बिल लाते हैं, इससे राज्य सरकार का नक्शा उभर कर आता है कि जो लोगों के राइट्स पैदा हो गए उनसे उनको आप महरूम करना चाहते हैं हाई कोर्ट के फैसले के बाद, यह आपत्तिजनक स्थिति है। आज जो संशोधन लाए गए और मंत्री महोदय द्वारा मूव किए जा रहे हैं उनकी फिज्योलॉजी अध्यादेश से भिन्न है। मुझे शंका है कि इस किस्म के संशोधन, जिनमें फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन्स हों, वे बगैर एप्रूवल के कैसे लाए जा सकते हैं? जहां तक अध्यादेश का ताल्लुक है, वे लाए गए, उनको वेलिडेट करना चाहते हैं क्योंकि वे प्रॉवीजन्स अध्यादेश में फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन्स में लगा दिए और आज वाले अमेंडमेंट्स में मुझे शंका है आप इन अमेंडमेंट्स को इसलिए नहीं ला सकते कि आपने उस सिलसिले में कोई मेमोरेण्डम सबमिट नहीं किया, उसका एप्रूवल नहीं है।

इस सम्बन्ध में कृषि उपज मंडी के जो लॉज बने हैं उस बारे में हमारा माननीय नाहर साहब से डिस्कशन हुआ था। उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि जो छोटे मोटे लोगों पर, जो सर पर टोकरा डाल कर बेचते हैं सब्जी फल वगैरह उनके लिए ऐसे नियम बनायेंगे कि उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। जो ठेले वाले हैं, सड़कों पर बैठने वाले हैं, अगर उनसे भी वही लिया जाएगा जो व्यापारी वर्ग और कमीशन एजेंट्स से लिया जाता है तो अच्छा नहीं मालूम होगा उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि न तो वे हिसाब किताब रख सकते हैं, न मुनीम रख सकते हैं। सुबह से शाम तक सब्जी बेचते हैं, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि रूल्स में अगर ऐसी बात है तो हम परिवर्तन करेंगे। दूसरा यह भी विश्वास दिलाया था कि इस एक्ट के तहत लोगों की नासमझी की वजह से जो मुकद्दमे दायर किए गए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। जो चीज आप सही मानते हैं और जिसके लिए आपने विश्वास दिलाया था, उन चीजों के आधार पर आपको उसमें अमेंडमेंट करना चाहिये और जो मुकद्दमे आपने चला रखे हैं उनको वापस लेना चाहिये और जो इस कानून में रिमर्स हैं सब्जी फल वगैरह बेचने के लिए उन पर ठंडे दिल से बैठ कर तय करना चाहिए। यह सही है कि कृषि मंडी का कानून एक प्रगतिशील कानून है, इसको लागू करने की जरूरत है और किसानों के हक में लागू करने की जरूरत है। मगर जैसा नाहर साहब ने विश्वास दिलाया था कि हम तबदीली करेंगे तो आज जो उनका दृष्टिकोण हो वह मंत्री द्वारा रखें ताकि यह स्पष्टीकरण हो जाए कि जो चीजें उन्होंने कही थीं उन पर गौर किया है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मोठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कृषि उपज, साग-सब्जी पर आप टैक्स लगा रहे हैं तो जैसे सैल्स टैक्स में प्रथम बिंदू पर कर लेते हैं, फिर सेल्स टेक्स पेड के रूप में बिकता है इस प्रकार लगाये यह टैक्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगता उपभोक्ताओं पर ही है, या तो इसका असर किसान पर पड़ता है या उपभोक्ता पर पड़ता है, बिचौलिए पर कोई भार नहीं पड़ता। तो जिस तरह से सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स पेड करके माल बिकता है उसी तरह से कृषि उपज समिति, जो एक पर्सेन्ट कर लगाती है, वह पहले मंडी में ही लिया जा सकता है और वही माल दूसरी मंडी में सेल्स टेक्स पेड करके रख सकते हैं। यह नहीं कि वह माल 10 बार बिके तो 10 बार आप कर लेंगे। इस तरह का संशोधन इसमें करें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : इस विधेयक के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक रुपया मंडी फी लगाई गई है, यह पहले 25 पैसे हुआ करती थी। यह खरीददार से ली जाती है लेकिन इन्डाइरैक्टली इसका असर किसान पर आकर पड़ता है। जिस समय ये सारे संशोधन किए गए थे उस समय किसानों द्वारा जो कमीशन दिया जाता था 1.80 उसमें भी छूट दी गई थी कि वह किसानों से वसूल न होकर खरीददार से वसूल होगा। आज जब सरकार अमेंडमेंड ला रही है तो उसी हालत में पेश करना चाहिये जो कमीशन एजेंट द्वारा किसानों से वसूल किया जाता है वह खरीददार से वसूल किया जाए। ऐसा संशोधन होना चाहिये। बाकी तो किसान को लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि उसको नुकसान होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) अध्यादेश, 1974 के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। इस ऑर्डिनेन्स को लाने में राज्य सरकार की मूल भावना जो थी वह यह थी कि इससे किसानों को लाभ मिले व मन्डियों का अच्छी तरह से विकास हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में चलने वाली मन्डियों के विकास के लिए नवम्बर, 1960 में एक कमेटी श्री यशवन्तसिंह नाहर की अध्यक्षता में बैठायी थी। उन्होंने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जाकर व्यापारियों, किसानों तथा उपभोक्ताओं से बात की और वहां कौनसी कौनसी मन्डियां अभी चल रही हैं उनके विकास के लिए क्या क्या राज्य सरकार को करना चाहिये इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट पेश की। उपाध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने विचार करके सन् 1961 में एक एक्ट का निर्माण किया और उस एक्ट के बनने के बाद अलग अलग मन्डियों के लिए रूल्स भी बनाये गये। उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स बनने में दो वर्ष लग गये और अन्त में वह रूल्स 1963 में फ्रेम हो गये। लेकिन इसके पहले कि वह लागू हों कुछ लोगों ने इस बहुत महत्वपूर्ण कृषि कानून को लागू नहीं होने देने के लिये अदालतों में सरकार को घसीटा और अन्त में सात साल तक लीगल बैटल चालू रहने के पश्चात् सरकार विजयी

(श्री शिवचरण माथुर)

हुई और उसके बाद में राजस्थान में सभी जगह जहां मन्डियां थीं, उन पर यह कानून लागू हुआ। लेकिन चूंकि उस कानून को काफी अर्सा हो गया था और कई मुद्दों पर सरकार को दिक्कत आयी तो राज्य सरकार ने इस कानून में परिवर्तन लाना उचित समझा इसलिये राज्य सरकार ने मन्डियों का विकास करने के लिये तथा उनको रैग्यूलेट करने के लिये, उन्हें व्यापक रूप देने के लिये कुछ टैक्सेज जो कि तीस पैसे से लेकर 60 पैसे तक प्रति सौ रुपयों के पीछे लगाये। लेकिन बाद में उसी सन्दर्भ में राजस्थान में पूरे राज्य स्तर पर एक ही प्रकार का मन्डी सैस लागू हो उसकी आवश्यकता हुई। उसके लिये सन् 1973 में मन्डियों के विकास के लिये उसको बढ़ा कर एक रुपया प्रति सैंकड़ा सैस रखा गया। यह 14 जुलाई, 1973 को बाई नोटिफिकेशन रखा गया। उसके तुरन्त बाद ही लोग इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट करने चले गये। लेकिन अन्त में नवम्बर, 1974 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फेवर में फैसला दिया। इसलिये 14-7-73 से ही राजस्थान में एक साथ एक ही प्रकार का सैस मन्डियों पर लागू हुआ और उसके लिये राज्य सरकार ने 20-12-74 को ऑर्डिनेन्स जारी किया जिससे कि राज्य में एक ही तरह की मन्डियों में एक ही प्रकार की जिन्सों पर मन्डी सैस लागू किया गया और यह सैस, उपाध्यक्ष महोदय, एक रुपया प्रति सैंकड़ा रखा गया था। उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद ही यह ऑर्डिनेन्स लाने की आवश्यकता हुई। उसके मुताबिक जो अलग अलग जगहों पर अलग सैस था उसको स्ट्रक डाउन करने के लिये, सभी को रैग्यूलेट करने के लिए यह कदम उठाया गया। इसमें राज्य सरकार ने मण्डी कमिटियों को किस तरह से किस ढंग से उनका विकास हो सके किस तरह वह ढंग से रैग्यूलेट हो सकें और इनके द्वारा हमारे ग्रामीण अंचल का किस प्रकार विकास हो सके इस दृष्टिकोण से और जल्दी से जल्दी यह विकास का कार्य हो सके यह ऑर्डिनेन्स लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सरकार की कतई यह मंशा नहीं थी कि असेम्बली को बाईपास किया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त कारणों से यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया था जिसको कि आज सदन द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए यह कहा था कि सरकार ने किसानों पर एक टैक्स लगाया है और नाम मण्डी के विकास के लिये सैस कर दिया है। पर बात यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज जो भी मन्डी का सैस आयेगा वह मण्डियों के विकास के लिये काम में आयेगा। यह जो सैस आयेगा वह सरकार के खजाने में जाने वाला टैक्स नहीं है। अगर सरकार के खजाने में जाने वाला टैक्स होता तो हम इसका बजट में प्रोविजन करा कर उसको विधान सभा से पास करवाते। पर चूंकि यह टैक्स सरकार के खजाने में जाने वाला नहीं है इसलिये उसका बजट में प्रोविजन करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मण्डियों में कितना माल आता है और उन पर कितना सैस लगना चाहिये उसके लिये प्रावधान किया

(श्री शिवचरण माथुर)

गया है। इसके अलावा मण्डियां भी बनी हुई हैं और उनमें मण्डी कमेटियां होंगी जो कि सैस लागू करेंगी। मण्डी कमेटियों का ताल्लुक, व्यापारियों, काश्तकार और उपभोक्ताओं से रहेगा। इसमें जो सैस लिया जायेगा वह काश्तकार से नहीं लिया जायेगा। वह तो अल्टीमेटली उपभोक्ता पर ही पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सैस जो मंडी समितियों से प्राप्त होगा वह करीब चार, साढ़े चार करोड़ रुपये तक हो सकता है। यह चार करोड़ या साढ़े चार करोड़ रुपये इकट्ठा होने के बाद एक करोड़ रुपया तो मण्डियों के स्टाफ वगैरहा पर खर्च होने के बाद भी तीन करोड़ रुपया नेट बच जाता है जिसको हम मन्डियों के डेवलपमेंट के काम में ले सकते हैं और इन तीन करोड़ में तो कई कृषि उपज, जिन पर कि अभी टैक्स नहीं लगता है, शामिल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तीन करोड़ से हम बैंक से दस गुना लोन लेकर, जो कि करीब 30 से लेकर 35 करोड़ रुपये तक हो सकता है मन्डियों के विकास में लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि कुछ कृषि उपज पर सैस इसमें शामिल नहीं किया है। अगर हम उसे शामिल करें तो करीब दस करोड़ रुपये तक इन मन्डियों का सैस हो सकता है। अगर इन दस करोड़ से हम बैंक्स से लोन लें तो करीब सौ करोड़ रुपये तक हमें मिल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इन सौ करोड़ रुपयों से हम काफी विकास इन मन्डी समितियों का कर सकते हैं। इसके लिए हम ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर रोड्स मन्डियों को नहीं मिलाती है, उन्हें मिला सकते हैं, नयी मन्डियों का निर्माण कर सकते हैं। मन्डियों के लिये जमीन खरीदने का कार्य है, काश्तकारों के लिये वहां ठहरने की व्यवस्था वगैरह की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जितना भी अर्थ अर्जित किया जावेगा वह वापिस इन मण्डियों के विकास के लिये ही खर्च किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कुछ कठिनाईयों के बारे में कहा। उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मंडियां जो सैस वसूल करेंगी और अपने विकास के लिये योजनायें बनायेंगी उसके लिये राज्य सरकार भी उनकी मदद करेगी। राज्य सरकार अपने ऑफिसर्स को वहां पर उनके विकास के लिये लगायेगी। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करदूं कि राज्य सरकार ने मण्डियों के विकास के लिये एक कृषि उपज विपणि बोर्ड का निर्माण किया है जिसके अध्यक्ष श्री यशवन्तसिंह नाहर हैं, और वह बोर्ड काफी अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्ट, जो लाया गया है वह इसलिये लाया गया है कि जिससे मण्डियों का व्यापक रूप से सर्वांगीण विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने बोर्ड तो बना दिया पर बोर्ड के पास पूरी शक्तियां नहीं दी हैं और जो शक्तियां दी है उससे मण्डियों का विकास होना मुश्किल है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात खास तौर से गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि बोर्ड के पास इतनी शक्तियां ही नहीं हैं कि वह सुचारु रूप से अपना काम चला सके। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंशा यह है कि इस बोर्ड को हम सशक्त बनायें

(श्री शिवचरण माथुर)

और उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जैसा मैंने निवेदन किया कि 1961 में बनने वाले कानून में आज कई कमियां हम महसूस करते हैं और इसलिये उस कानून को विशेष तौर से उपयुक्त बनाने की आज आवश्यकता है। जो प्रोसेस चला है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, राज्य सरकार निश्चित रूप से सोच रही है कि आज के हालात में इस बोर्ड की क्या क्या आवश्यकतायें हैं। इसको किस प्रकार से सक्षम बनाया जाय, सरकार इन सब बातों पर गम्भीरता से सोच रही है। इस एक्ट में जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिये, इसको एक व्यापक रूप दिया जा सके इस ओर हम विशेष प्रयत्नशील हैं, और इस के लिये विश्वास दिला कर ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

यहां, सेलर और पर्चेजर की बात कही गयी। पहले तरीका यह था कि जो कुछ भी बेचा जावेगा उसका सेस पर्चेजर से ही चार्ज किया जावेगा। हाई कोर्ट में इसको वेलिड नहीं माना गया। खण्डशः इस पर जब विचार करेंगे तो सैक्शन 36 में रूल मेंकिंग पॉवर हैं उसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स लाना चाहते हैं यह मैं निवेदन कर जाऊंगा। उसके बाद ही सरकार रूल बनाने के लिये सक्षम हो सकेगी। इसका मुझे भरोसा है कि इससे और भी दिक्कतें होंगी वे दूर हो सकेंगी।

एक बात यहां पर कही गयी सेल्स टैक्स की। एक मंडी से कोई माल बेचा, खरीदा गया, सेल्स टैक्स पे करके दुबारा दूसरी मंडी में जाय तो सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिये। मैंने कहा कि यह टैक्स नहीं है। मंडी में जो खरीद फरोख्त होती है उस पर यह सेस है। व्यापारियों से इस सम्बन्ध में बात की है। एक व्यापारी एक मंडी से माल खरीद कर दूसरी मंडी में ले जाता है, मान लीजिये सौ रुपया क्विन्टल पर एक चीज खरीदी, उसको वह दूसरी मंडी में 125 रुपये क्विंटल में जाकर बेच देता है तो इसका भार किस पर पड़ेगा? इसका भार तो उपभोक्ता पर पड़ता है। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य को उपभोक्ता पर पड़ने वाले इस भार से कोई चिन्ता नहीं लेकिन यदि वही पैसा उस मंडी के विकास के लिये खर्च हो तो माननीय सदस्य को चिढ़ हो जाती है।

श्री मीठालाल मीणा: बहती गंगा में आप भी हाथ धोलें। 25 रुपया वे बढ़ाते हैं तो आप भी बढ़ा लें एक रुपया।

श्री शिवचरण माथुर: हम बढ़ा रहे हैं वह उस मंडी के विकास के लिये बढ़ा रहे हैं। 25 रुपया व्यापारी बढ़ाता है, उसके लिए तो आप कोई चिन्ता नहीं करते हैं। देखते देखते गेहूं 125 रु. से बढ़ा कर 150 रु. कर दिया उसके लिये किसी को उस समय कोई चिन्ता नहीं हुई और माननीय सदस्य को उपभोक्ता की याद नहीं आयी।

श्री मूलचन्द सामरिया: फिर भी चुनाव के लिए इतना चन्दा ले लेते हैं।

श्री मीठालाल मीणा: घी वालों ने इतना रुपया बढ़ा दिया इसकी कोई चिन्ता नहीं की माननीय मंत्रीजी ने।

श्री शिवचरण माथुर : सरकार के खजाने में यह जाने वाला टैक्स नहीं है। यह तो वहां के विकास के लिए ही खर्च होता है। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयोगी कदम है। इस तरह का पक्ष प्रतिपादित करने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सही रूप में व्यापारियों को समझायें, बार-बार कोर्ट में जाकर इस प्रगतिशील कदम को न रोकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : व्यापारी भाई आपके समझाने से थोड़े ही समझेंगे, उनको तो जनता ही समझायेगी।

श्री शिवचरण माथुर : इसलिये जो अध्यादेश लाया गया है उसको स्वीकार करें।

श्री केदारनाथ : ऑडिट के बारे में, अकाउन्ट्स के बारे में ?

श्री शिवचरण माथुर : सब पर ही व्यापक रूप से विचार किया जा रहा है।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने परिनियत संकल्प को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री केदारनाथ ने जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री केदारनाथ : मैं अपने परिनियत संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं भी वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

परिनियत संकल्प वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपने परिनियत संकल्प को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

विधेयक पर विचारार्थ प्रस्ताव

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबंध) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय····

Page No. 61

(61)

श्री केदारनाथ : यह बिल मुंशीलालजी महावर पायलेट करें तो इसको बिना पढ़े ही कर लें।

श्री मुंशीलाल महावर : हमारे नेता मौजूद हैं।

श्री मीठालाल मीणा : आपके नाम से अमेन्डमेंट है।

श्री शिवचरण माथुर : He is State Minister also.

श्री मीठालाल मीणा : आप उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव

[जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव :

"राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्री महोदय ने यह बात कही है कि हम इस बिल को इसलिये लाये हैं कि मंडियों का विकास हो, यहां तक तो मैं उनसे सहमत हूं। पर मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान में एक-सी व्यवस्था करनी चाहिये। अभी मैं उनसे मिला भी हूं, दलील भी दी गयी है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं, और भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं सम्पूर्ण भारतवर्ष में, और सम्पूर्ण राजस्थान में कहीं पर भी माननीय मंत्रीजी दो मंडियां नहीं हैं। एक अनाज मंडी और एक सब्जी और फल मंडी। केवल जयपुर शहर ही में दो प्रकार की व्यवस्था की गयी है। अनाज मंडी अलग है और फल और सब्जी मंडी अलग है। जहां तक मुझे जानकारी है राजस्थान में 90 मंडियां हैं। जो चीज जहां पर होती हैं, सब्जी फल वगैरह वहां पर पैदा हों उस स्थान पर टैक्स लगा रखा है। जैसे एक मंडी कमेटी है, उस स्थान पर माल्टा, अंगूर आदि ज्यादा पैदा होते हैं तो मंडी कमेटी उस पर टैक्स ले लेती है, यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन जयपुर शहर में फल और सब्जी मंडी अलग-अलग हैं। बाहर से कोई चीजें वहां पर टैक्स लग कर आयें, जैसे नागपुर से संतरा वगैरह आयें और कहीं से टैक्स लग कर यहां पर कोई चीज आये तो फिर उस पर और टैक्स लगायें यह उचित नहीं है। सारे के सारे सामान पर, दूसरी चीजों पर आलरैडी टैक्स लग कर आये और फिर यहां पर और टैक्स लगे यह बात समझ में आने वाली नहीं है। हिन्दुस्तान में इस प्रकार के दोहरे टैक्स की व्यवस्था नहीं है और यह जो बराबर दलील दी जाती है कि और कई स्थानों पर जो चीज बहुतायत से होती है उन पर मण्डी समिति टैक्स ले लेती है। फल सब्जी मण्डी अलग से नहीं है। सरकार की विज्ञप्ति हाल ही में निकली है–

राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार पंचायत समिति प्रतापगढ़ तथा नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ की सीमाओं के भीतर के क्षेत्र में राजस्थान राज-पत्र दिनांक 29 दिसम्बर में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एफ.

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

10(3) कृषि 5166 दिनांक 30 नवम्बर द्वारा घोषित कृषि उपजों के अतिरिक्त निम्न कृषि उपजों के नियमन के अपने आशय की घोषणा करती है:—

1. फली वाले धान्य : मटर, मसूर, लोमिया।

2. तरकारियां : लहसुन।

इस सम्बन्ध में हर आपत्ति अथवा सुझाव पर जो इस विज्ञप्ति के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से 40 दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को प्राप्त होंगे, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायगा।"

यह चार फरवरी, 1975 का गजट नोटिफिकेशन निकला है। मेरी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं वहां पर जो कृषि उपज मण्डी समिति बनी हुई थी, उसके तहत ज्यादा मात्रा में पैदा होने वाली चीजें है यह तो समझ में आता है पर अलग से हर सब्जी पर जो आलरेडी टैक्स लगा हुआ है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जयपुर की गरीब जनता में आप भी शामिल हैं, मंत्रीगण भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, तो आप पर भी भार पड़ेगा और मुझ पर भी भार पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिसम्बर, 1969 को सुखाड़िया साहब के मंत्री-मण्डल द्वारा एक आज्ञा भी निकली है जिसमें भी कहा गया है फल एवं सब्जियों को फिलहाल कृषि उपज मण्डी के नियमों के प्रावधानों से मुक्त रखा जावे। दूसरी ओर यह भी कहा है कि मण्डी में सब चीज आ गई, अनाज आ गया, सब्जी आ गई और जानवर आ गये, जानवरों का हठवाड़ा भी आ गया। जो मूल एक्ट है उसमें लिखा है—इसमें यह कहा है अनाज भी है, सब्जी भी है और जानवर भी है—तीनों पर लागू होगा।

यहां पर मैं निवेदन कर रहा था एक व्यक्ति अनाज लाये और उसका टैक्स एक मण्डी कमेटी में दे आये और फिर दूसरी मण्डी में आये तो उस पर फिर टैक्स लगा दिया जाय, तीसरी मण्डी में आये और वहां भी दे आये इस प्रकार तीन–चार स्थानों पर एक ही बोरी पर पांच रुपये लग गये और इसके बाद जयपुर की अनाज मण्डी में आये तो वहां भी टैक्स देना पड़े। इस प्रकार उस बोरी पर यहां छठा टैक्स लग गया...

श्री शिवचरण माथुर : उसका जवाब दे दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन कर रहा था मल्टी परपज टैक्स। यह सुखाड़िया साहब के मन्त्री मण्डल में फैसला हुआ था। यदि किसी मण्डी में 90 प्रतिशत माल दूसरी मण्डियों में से आ रहा हो और जिस पर ऐसा कर लग चुका है तो ऐसी चीजों को मण्डी टैक्स से छूट दी जायगी। इस प्रकार का आर्डर था कि जहां 90 प्रतिशत माल दूसरी मण्डियों से आ रहा हो और यह 90 प्रतिशत का हिसाब पुराने वर्षों के रेकार्ड के आधार पर कर लिया जाय तो मेरा निवेदन है मल्टी परपज टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरी जगह उस माल पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मण्डी में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर चाहे वह तुलारा हो, पल्लेदार हो, सर्वेयर हो सबको लाईसेन्स लेना पड़ेगा तो उसमें पल्लेदार वगैरह के लिए लाईसेन्स रखना आवश्यक नहीं है। इसमें कई प्रकार की अड़चनें आयेंगी यह फैसला 3 नवम्बर, 69 को हुआ था। उसके बाद निवेदन है कि मन्त्री-मण्डल की मीटिंग हुई, मीटिंग का निर्णय सर्वोपरि है और उसको पुनः देखे जाने का कार्य कभी नहीं हुआ, उस पर बाद में कभी विचार नहीं आया कि जयपुर की फल सब्जी पर टैक्स लगना चाहिए। पल्लेदार और तुलारों को लाईसेन्स न लेने का भी कहा गया था—मंत्री मण्डल के निर्णय में कि उनको भी लाईसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है।

मैं यहां पर एक और निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर 25 प्रतिशत किसानों का माल मण्डी में आता है उस पर मण्डी टैक्स नहीं लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं जयपुर की अनाज मण्डी प्रोड्यूसर मण्डी नहीं है, जयपुर की अनाज मण्डी कन्ज्यूमर मण्डी है। विभिन्न स्थानों से माल यहां आता है और कन्ज्यूमर लोग यहां से खरीद कर ले जाते हैं। 25 प्रतिशत किसान अपना माल यहां लाकर बेचते हैं। यहां पर पांच पंचायत क्षेत्रों का माल आकर बिकता है—जमवारामगढ़, आमेर, बस्सी, झोटवाड़ा और सांगानेर। जब अलग टैक्स दे आते हैं तो यहां आकर फिर दुबारा टैक्स क्यों देना पड़े? मैं समझता हूं 100 रुपये की एक बोरी पर बार बार टैक्स देने के आधार पर उसकी कीमत 108 रुपये हो गई। इस प्रकार बार-बार टैक्स देने की व्यवस्था न तो कलकत्ता में है, न कानपुर में है, न अहमदाबाद में है, न लखनऊ में है और न बम्बई में है। आपकी जानकारी कुछ और हो सकती है पर मैं मेरी जानकारी के आधार पर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार का टैक्स कहीं भी नहीं है।

जयपुर की अनाज मण्डी के बारे में आपने कहा जो कि टैक्स आयेगा उस टैक्स की रकम से हम मण्डी का विकास करेंगे। विकास वाली बात से मैं सहमत हूं। आप मण्डी का विकास करना चाहें तो हम बाधक नहीं हैं। हम मदद करेंगे। किसी उचित बात को समझा देंगे तो हम उसको खुले दिल से स्वीकार करेंगे। 40 लाख रुपया जयपुर की अनाज मण्डी में इकट्ठा हो गया आप मेरे साथ चल कर वहां देखें तो आपको पता लगेगा न वहां कोई यूरिनल हैं, न किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की सड़क है, चार दिवारी टूटी हुई है, गन्दा पानी बराबर बहता रहता है। बोरियों को रखने के लिये प्लेटफार्म की व्यवस्था की बात थी वह भी एक प्लेट फार्म भी नहीं। सीमेन्ट का एक भी प्लेटफार्म नहीं है न बोरियों को ढकने के लिये कोई टिन शेड की व्यवस्था है। 40 लाख वहां पर जमा है। लेकिन उस 40 लाख का कोई विकास कार्य आज तक नहीं किया गया।

अब यह हो सकता है, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह सकते हैं कि हमारे यहां बहुत विकास हो गया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की मण्डी में मेरे साथ चलें और वहां की स्थिति का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निरीक्षण करें तो उनको स्वयं को पता लग जायगा। लोगों को जब सहूलियत नहीं मिलेगी और यदि सहूलियत बराबर मिलती हुई चली जाय तो उसके आधार पर कोई टैक्स की बात हो सकती है····

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : आपने 9 साल टैक्स नहीं दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब यहां प्रस्तावित क्या किया गया है गलता के नीचे ट्रक स्टेण्ड और वहां से आगे जाकर मण्डी समिति ने जमीन खरीदने का सोचा। लेकिन उसका भी पट्टा आज तक नहीं मिला। प्रस्तावित मण्डी गलता के नीचे और ट्रक आते हैं इधर न वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र है और न रेल्वे के पास है। जो प्रस्तावित मण्डी है जिसमें 20 लाख रुपया दे दें और पट्टा आज तक नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि रेल्वे के पास जो ऐरिया पड़ा हुआ है, औद्योगिक क्षेत्र के पास भी है और रेल्वे के पास भी होगा तो ऐसे स्थान पर मण्डी होना चाहिये।

दुनिया सामान भर कर पहुंचेगी जयपुर में ट्रक वहां से भर कर इधर लाये जायेंगे। इधर की मण्डी में जब ट्रक आयेंगे तो मेरा निवेदन करना यह है कि जो माल मन्डी टैक्स लगने से पहले ही मंहगा है वह और भी ट्रान्सपोर्टेशन के खर्च से मंहगा हो जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मण्डी मार्केट और मण्डी क्षेत्र-मार्केट तो एक ही गया, यार्ड छोटे-छोटे हो गये तो जो व्यापार के 15 मील कवर करने की बात कही है मैं समझता हूँ भयंकर नुकसान होगा। प्रैक्टिकल रूप से नगरपालिका, नगरपरिषद् का जो क्षेत्र है उनको भी नुकसान होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जौहरी बाजार में अनाज मण्डी है और सामने ही सब्जी मण्डी क्षेत्र है, अनाज मण्डी जयपुर परिषद् के क्षेत्र में है, एक जानवरों का हटवाड़ा भरता है एन.बी.सी. के पास जिसमें दो ढाई लाख का टैक्स होता है। खरबूजा मण्डी एक अलग मण्डी है। अब टैक्स लगने से वहां के क्षेत्र के मालिक आप बन जायेंगे और मालिक ही नहीं बन जायेंगे बल्कि लाखों रुपयों की जो वहां दुकानें बनी हुई हैं और जो नगर परिषद् के क्षेत्र में हैं, उन लाखों रुपयों की दुकानों के मालिक आप बन जायेंगे और जमीन यदि नगर परिषद् ने आपको दे दी तो फिर दुकानों में कौन जाने देगा और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे एक्ट को लागू करने से पहले डाइरेक्टर की स्वीकृति आवश्यक है लेकिन वह नहीं मिली। जयपुर नगर परिषद् का प्रतिनिधि होना चाहिए उनकी कन्सेन्ट होनी चाहिए। कन्सेन्ट लिखित में हो या टेलीफोन पर हो मैं समझता हूं कि वह आपने कन्सेन्ट ली नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर की कन्सेन्ट नहीं ली और दुर्भाग्य यह है कि किसान इसमें प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं। जयपुर नगर परिषद् का प्रतिनिधित्व आज तक मौजूद नहीं है यानी इसका कन्स्टीट्यूशन ही गलत है। 15 में से 10 आदमी और उसमें से अध्यक्ष का चुनाव होगा, सचिव का चुनाव हो गया। जैसे राजस्थान विधान सभा के 50 मेम्बर चुन लिये जायें और उनमें से अध्यक्ष का चुनाव

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हो जाये और फिर एक एक मेम्बर चुन कर आता है तो उसको अधिकार ही नहीं है वोट देने का । तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप नगर परिषद् की आय पर भी एन्क्रोचमेन्ट करेंगे और मेरा नम्र निवेदन है कि आप व्यापारियों को लाइसेन्स दीजिए-इसमें मुझे आपत्ति नहीं है । जो ब्रोकर्स हैं उनको लाइसेन्स दीजिए--मुझे एतराज नहीं है लेकिन तुलेरे हैं, सर्वेयर हैं और अन्य जो आदमी हैं, किसान हैं, पालतिये हैं और अन्य लोग हैं जो कि पूरी मण्डी के हित में हैं। यदि कोई लाइसेन्स लेगा तो उसको हिसाब रखना पड़ेगा और यदि आप इनसे हिसाब मांगते हैं तो मुझे एतराज नहीं है वह आप लीजिए लेकिन उपभोक्ता पर 100 में से 1 रुपया टेक्स है, किसानों पर टेक्स है तो मैं समझता हूं कि किसान और उपभोक्ता पर टेक्स लेना चाहिए । व्यापारियों से टेक्स लेना चाहते हैं 100 रुपये पर 1 रुपया लेना चाहते हैं, तो उसमें मुझे आपत्ति नहीं है और इस टेक्स से आप मण्डी का विकास करते हैं, उसमें प्लेट फार्म बनाते हैं, सड़के बनाते हैं, लाइटें लगाते है तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी वरना छोटे-छोटे लोग मारे जायेंगे। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस प्रकार सारी बातें आपके सामने निवेदन की हैं । आपने जो जयपुर में दुधारू व्यवस्था की है उसको आप समाप्त करें और....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो मंत्रि-मण्डल में निर्णय लिये गये हैं उनको एग्जीक्यूट करें और जो बारबार मल्टी परपज टेक्स लगाया है यह किसान और उपभोक्ताओं पर वह नहीं लगायें। व्यापारियों पर टेक्स लगता है और मण्डी का विकास करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका और मेरा दोनों का उद्देश्य एक है और मण्डी का विकास करें तो बढ़िया रहेगा नहीं तो लाइसेन्स होल्डर हिसाब नहीं रखेंगे और लोगों को परेशानी होगी। इस संबंध में मैं समझता हूं कि इस बिल को जल्दी में पास नहीं करके यदि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबंध) विधेयक, 1975 प्रस्तुत हुआ है । मैं इसको जनमत जानने हेतु भेजने का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं । वैसे जो भी इसमें संशोधन लाये गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको उपयोगी भी मानता हूं । परन्तु इसके अलावा भी, उपाध्यक्ष महोदय, और भी कुछ आवश्यकतायें हैं जिस के बारे में पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा ।..

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सिर्फ जो प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने रखा है उसका समर्थन करते हैं या खुद का कोई प्रस्ताव है ?

श्री दीपंकर : मेरे खुद का भी प्रस्ताव है । एक ही बात है प्रस्ताव रख दिया और उस लिस्ट में मेरा नाम है तो समर्थन ही हो गया ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप स्वयं रख रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ अधिक गहराई की बात पूछ रहे हैं।

श्री दीपंकर : इतनी गहराई में जाने की गुंजाइश पैदा हुई नहीं है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, गहराई में सदन जाये।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में जो कृषि की उपज होती है। मार्केट में लाकर पैदावार करने वाले आदमी सहूलियत से अपने माल को बेच सकें और ज्यादा से ज्यादा उसको उपज का लाभ मिले यह सरकार का कानून के तहत इरादा है, वह तो बहुत नेक है परन्तु इस तरह से आज तक की गाथा गायी गयी है उसको दोहराना त अच्छी बात नहीं है लेकिन यह हमें निर्विवादित रूप से मान लेना चाहिए कि जो कमियां रहीं और जिनकी बदौलत लोग हाई कोर्ट में गए, दूसरी अदालतों में गये हमने आंशिक रूप से निर्णयों को माना और संशोधन करने के लिए मजबूर हुए यह सारी बातें इस बात की द्योतक हैं कि सरकार के पास में या तो कानून बनाते समय, जो सरकार के संबंधित मंत्रालय हैं या उनके विशेषज्ञ हैं, उनको यह कहा जाता है कि इस तरह से जनता की सुविधा के लिए कानून बनाना है और उनको पूरा मन्तव्य बताया जाता है लेकिन उनके मन्तव्य को विधि विभाग नहीं समझता और इसीलिए ठीक से ड्राफ्ट नहीं होता। कोई न कोई कमी जरूर रह जाती है और जिससे जनता और सरकार दोनों को अदालतों में जाना पड़ता है और परेशानी होती है, और अब जो भी कानून आया है मैं समझता हूं कि जल्दबाजी में फिर आ गया और सर्क्युलेट हुआ है और फिर कुछ संशोधन करने जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे लोगों की बातें सुनते चले जा रहे हैं वैसे ही माननीय सदस्यों के सुझाव आते चले जा रहे हैं और उनका मन इसको अच्छा बनाने का है। सरकार का इरादा नेक है फिर भी उस नेक इरादे से इस आवश्यकता को समझ कर एक साथ एक जगह बैठ कर पूरा रूप दे दिया जाये तो बार बार इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसका जो मूल उद्देश्य है वह पूरा हो जावे, जो उपभोक्ता हैं उनको लाभ मिल जाये और उत्पादन करने वाले हैं उनको भी लाभ मिल जाये और साथ ही साथ इस कानून के तहत एक सबसे अच्छा काम किया है, और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक विपणि बोर्ड बना दिया ताकि वह और ज्यादा गहराई से इस कृषि उपज मण्डी की कठिनाइयों को देखेगा और सुनेगा और सरकार के सामने भी रखेगा। यदि उनके पास अधिकार नहीं है तो राज्य के पास रखेगा और अच्छा यह हो कि इसको बहुत ही सशक्त बोर्ड बनाया जाये ताकि सरकार को कोई तकलीफ नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर में थोड़े दिन पहले एक आन्दोलन हुआ था उसमें पांच, दस रुपये का माल लेकर बेचने वाले लोग भी जलसे में शामिल थे और सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे और 50 रुपये का माल बेचने वाले भी प्रदर्शन कर रहे थे और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे बहुत बड़े-बड़े व्यापारी। सरकार ने बड़े व्यापारियों

(श्री दीपंकर)

को बीच में से हटा कर उपज करने वाले लोगों को पूरा पैसा दिलाने के लिए एक मण्डी में ले जाकर और उनका माल बिकवा कर अच्छे पैसे दिलवाने के लिए जो तरीका निकाला उसका विरोध बड़े दुकानदारों ने किया और कहा कि सारे लोगों को मार डाला गया और टैक्स लग गया। ऐसा विकृत रूप हमने जयपुर की गलियों में देखा। एक जगह मीटिंग भी हो गई और जो हमारे माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल भार्गव हैं वह उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो दरअसल में ठीक है उनकी अपनी परिस्थितियां हैं। वह जयपुर में बड़े व्यापारियों के इशारों पर लोगों को लाभ नहीं लेने दें, वह ऐसा मेल ही करें लेकिन सरकार का इरादा बहुत नेक है। इसमें कोई माल का तादाद का हो या ज्यादा तादाद का हो अगर आता है तो आढ़त तो लगती ही है, तुलारे का वैसे ही धंधा करके जो माल लेकर आता है उसको पैसा मिलता है। बड़े व्यापारी नहीं देते थे और अब छोटे देते हैं। मण्डी वाले लाइसेन्स के जरिये माल लेकर गारन्टी लेते हैं और उसको बिकवाने की व्यवस्था करते हैं तो उनको क्या नुकसान हुआ, समझ में नहीं आया। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कोई न कोई सरकार का विरोध करना चाहिए तो इस तरह से ऐसा किया गया है। मैं समझता हूं कि यह कोई अच्छा कदम नहीं था। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी अपनी मंडियां हैं इन मंडियों को अधिकार हमने कुछ भी नहीं दे रखे हैं। वह कितना ही खर्चा करें उनके दफ्तर की व्यवस्था नहीं है, उनके पास फर्नीचर नहीं है, उनके पास इन मंडियों के अन्दर बैठने वाले लोगों की सुख-सुविधा के लिए व्यवस्था करने का अधिकार नहीं है और पैसा बहुत है। अगर हम यह मान कर चलते हैं कि वे अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से काम करें तो उनको पृथक अधिकार देकर व्यवस्थित रूप से चलाना चाहिए। पहले म्युनिसिपल एक्ट में गल्ती से उसमें सजा का प्राविजन रख दिया कि म्युनिसिपैलिटी जुर्माना कर सकती है, सजा दे सकती है लेकिन बाद में यह हुआ कि कोई म्युनिसिपैलिटी सजा नहीं दे सकती, जुर्माना नहीं कर सकती, फिर संशोधन करके पेनल्टी का प्रोविजन किया। यहां पर भी इसी तरह से जल्दबाजी में कहीं कोई बात रख दें और फिर संशोधन करना पड़े इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इसको गहराई से देखे और देख कर उसके अन्दर जो आपको

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मंडियां हैं उन मंडियों को पूरे अधिकार मिलें। यहां पर सम्मेलन हुआ था मंडियों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों का जिसमें उन्होंने कहा कि पांच सौ रुपये में हम क्या कर सकते हैं? अधिकार, अधिकार कहां हैं? मंत्री महोदय यह घोषणा करते हैं कि ये मंडियां दस करोड़ रुपये के विकास का काम करेंगी तो इन रुपयों से तो वे हमारे लिए नालियां बना सकती हैं, पेशाबघर बना सकती हैं, सड़कें बना सकती हैं, अच्छी तरह से उठने बैठने की जगह बना सकती हैं, व्यवस्थित रूप से मार्केट बन जाय इससे बढ़ कर क्या सुख-सुविधा हो सकती है? इसका भार भी सरकार पर नहीं पड़े और उपभोक्ता और उत्पादक से मिल कर टैक्स लेकर यह व्यवस्था कर देना चाहें तो यह सरकार को

(श्री दीपंकर)

विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो इनके अधिकारों का सवाल है पूरा ध्यान देकर और जो कोई कमी रह गई हो उन कमियों को दूर किया जा सके इस दृष्टि से जनता को राय ली जाय और इसके साथ साथ सरकार अपनी भी राय लगाये और लगा कर ठीक तरीके से उपभोक्ता को, पैदा करने वालों को लाभ दिलाये और आढ़त करने वाले पल्लेदार वगैराह जो हैं उनको तो कोई कठिनाई ही नहीं हैं। वह पहले सेठों का काम करते थे और यहां पर छोटे लोगों का कार्य करते हैं। मण्डी के तहत यह व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और मण्डी के तहत इन्होंने जो पैसा रखा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह पैसा देने को तैयार हैं। अगर हमारे बीच में नेतागिरी करने वाले नहीं आवें, सस्ती वाहवाही लूटने के लिए और अपनी नेतागिरी जमाने के लिए बीच में नहीं आवें तो कतई कोई विरोध नहीं है और इतना अच्छा काम अच्छे तरीके से यह काम आराम से हो सकता है। परन्तु दुर्भाग्य है..

श्री शंकरलाल (पाली) : आप किस का उदाहरण दे रहे हैं, क्या आप ऐसा करते हैं ?

श्री दीपंकर : मेरे साथी नाराज न हों इसलिए मैंने ऐसा कहा था, हम तो जमानत के साथ हैं, चूंकि दूसरे लोग इस तरह से करते हैं इसलिए उनकी तरफ इंगित करने के लिए कहा था।

श्री शंकरलाल : यह स्पष्टीकरण आपके हित में जरूरी था इसलिए मैंने यह पूछा था।

श्री दीपंकर : दूसरे लोग, दूसरे दल जिनका उद्देश्य महज लोगों को भड़काना और उनका नुकसान करवाना, जो सरकार के काम से भला हो सकता हैं उसमें भी उनका नुकसान करवाना, इस दृष्टि से जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए मैंने यह निवेदन किया था।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और कुछ गाली बच गई हो तो दे दो।

श्री दीपंकर : और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही निवेदन करना है कि मंडियां बन गई हैं उनके नियम बनाने योग्य हैं, उनके अन्दर संशोधन की आवश्यकता नहीं रहे और बोर्ड को अधिकार देना चाहिए और जो पैसा है उस पैसे का सदुपयोग हो सके इस दृष्टि से इस पर विचार करने को आवश्यकता है। यह संशोधन जरूर किया है लेकिन पैसा मिलेगा कहां ? और जैसा माननीय सदस्य जोधपुर से आने वाले हैं उन्होंने एक मण्डी के विकास में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने उसमें समय दिया है, कार्य किया है, इसी तरीके से दूसरी जगह पर भी लोग किस तरह से हिस्सा लें, रुचि लें और सरकार अधिकार दे ताकि किसी तरीके से हमारी सब्जी जैसी चीज जिनके बिना हमारा स्वास्थ्य चल नहीं सकता है, उसको भी चला सकें। गांवों में हम लोगों को कहते हैं कि अण्ट शण्ट चीजें खाने के बजाय हरी सब्जी खाओ जिससे लाभ होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

(श्री दीपंकर)

शहरों में जो सब्जियां आ रही हैं उन सब्जियों को सहूलियत से लोग अच्छे तरीके से रख सकें, अच्छे ढंग के मार्केट की व्यवस्था हो, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार बारबार संशोधन लाने का अनुभव न करे और मैं यह समझता हूं कि अभी भी जो हमारे माननीय मंत्री बिल लाये हैं वह वाकई में बहुत अच्छा है और इसकी आवश्यकता थी। लेकिन मैंने जो बातें कही हैं उस दृष्टि से यह भी अभी अधूरा है और इसको पूरा करने के लिए जनता की जानकारी हेतु, जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन विधेयक, 1975 जो विचारार्थ है, ग्रामीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि टैक्स लगे और इस रूप में जो यह एक रुपया टैक्स की व्यवस्था की गई है उसका तो मैं स्वागत करता हूं पर साथ साथ आज जो मंडियों के अन्दर किसानों से टैक्स तो ले लिया जाता है पर उसका उपयोग जो होता है वह किसान सम्बन्धी कुछ सुविधाओं से परे होता है। आज किसानों के लिए उस टैक्स से सर्वप्रथम जो अपनी उपज वगैरा लेकर मार्केट में जाता है, मण्डी में जाता है, तो उसको अनाज व सामान की आंधी, तूफान और वर्षा से रक्षा के लिये सर्वप्रथम शेड बनने चाहिये। होता यह है कि कभी कभी तूफान आता है और किसान का माल बड़े उटपटांग ढंग से बर्बाद हो जाता है, भीग जाता है और उसके लिये वह बैठा रहता है। तो सबसे पहले, इस चीज की व्यवस्था होनी आवश्यक है। दूसरे नम्बर में उस किसान के पशुओं के ठहरने के लिए उसके आराम करने के लिये यह व्यवस्था की जाना अति आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस व्यवस्था के लिए अगर किसान कुछ मांग कर रहे हैं तो उस सम्बन्ध में भी आज हमारी सरकार ने अलग से एक बोर्ड बना कर इस बारे में भूल भुलैय्या में और उतार दिया है। वह अपना प्रार्थना-पत्र बोर्ड को दे या विभाग को दे। इस सम्बन्ध में आज का यह जो बोर्ड है वह पंगु बोर्ड है। पंगु बोर्ड इसलिए कहना पड़ता है कि जिसके पास कोई अधिकार न हो और वहां पर बैठे 2 मक्खी मारने की बात कह दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बोर्ड की स्थिति यह है कि काम करने के लिए इंजीनियर की नियुक्ति बोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिये विभाग के पास जाना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि कभी विभाग मंजूरी दे किसी काम के लिये और तब जाकर वहां काम हो तो ऐसे अधिकार जब तक बोर्ड में निहित नहीं होंगे, कार्य में प्रगति नहीं होगी।

इसी प्रकार से आज स्टाफ के बारे में भी प्रश्न है। मंडियों से लोग स्टाफ बढ़ाने की मांग करते हैं, स्टाफ के लिए मांग करते हैं और यह बात आती है कि मंडियों को सही ढंग से चलाने के लिए और उनकी व्यवस्था करने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है। आज चपरासी से लेकर

(श्री लूणाराम)

क्लर्क तक छोटी 2 नियुक्तियों के अधिकार भी बोर्ड को न देकर अभी तक वह अधिकार विभाग ने अपने तक रख रखें हैं और यह अधिकार न तो मण्डी को है और न बोर्ड को है । नतीजा यह हैं कि उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भीनमाल को रानीवाड़ा उपमण्डी के सचिव ने विभाग से निवेदन किया कि वहां क्लर्क रखने की इजाजत दी जावे लेकिन इजाजत नहीं दी। कार्य क्षमता को देखते हुए वहां पर क्लर्क रखना अति आवश्यक था । उन्होंने ढाई सौ रुपये देकर एक आदमी को रख लिया । विभाग से आदेश जाता है कि सेक्रेट्री अपनी जेब से पैसे दे। तो उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी बना दें और उनको अगर स्टाफ नहीं दें, बोर्ड बना दें उनको कोई अधिकार नहीं हों तो फिर बोर्ड बनाने की आवश्यकता ही क्या थी, विभाग ही इन चीजों को कर देता। विभाग को किसी भी प्रकार की परेशानी और दिक्कत की बात सामने नहीं आती। अफसोस की बात है कि अभी तक बोर्ड के अन्दर भी, वहां के सेक्रेट्री की, सुपरवाईजरी स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि असिस्टेंट सेक्रेट्री तक की व्यवस्था नहीं है। तो यह सारी चीजों की दिक्कत है जो दुरुस्त की जाय। एक तरफ तो हम लोकप्रिय बनने के लिए और किसान को सुविधा अधिक जुटाने की बात कह कर इस तरह से संगठित रूप से बोर्ड का गठन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो अधिकार हैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहते । तो मेरा इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि यह सारे अधिकार आप उनको दें । उदाहरण के तौर पर, जयपुर जैसी मण्डी जो कि एक बहुत बड़ी मण्डी है, जहां पर पांच-पांच पंचायत समितियों के क्षेत्र लगते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) इतने बड़े क्षेत्र के अन्दर एक मण्डी कायम करें और उसके लिए एक चपरासी और एक क्लर्क की व्यवस्था नहीं हो और उसके लिए विभाग के पास उनका मुंह ताकना पड़े यह अपने आप में कितनी गलत बात है इसलिए, आपकी घंटी का तकाजा हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि बोर्ड विभाग ने बनाया है तो उस बोर्ड को, माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक, जितनी मण्डियों के सम्बन्ध में स्वीकृतियां हैं और अधिकार की आवश्यकता होती है, उन सारे अधिकारों को देकर बोर्ड को सक्षम बनाया जाय, जिससे बोर्ड अपना काम ठीक तरह से कर सके।

इसी प्रकार, एक बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करता हूं कि दूसरे क्षेत्रों के अन्दर अभी तक कृषि उपज मण्डियों की स्थापना नहीं हुई है और स्थापना नहीं होने के अन्दर ऐसा भी समझा जाता है कि स्वार्थी दुकानदार लोग हमारे यहां से जाने वाले सर्वेक्षण के जो अधिकारी होते हैं उनको गलत रिपोर्ट देकर या अन्य प्रकार से मुगालता देकर वह इस प्रकार की रिपोर्ट अपने स्वार्थ के लिए तैयार करके लिखवा देते हैं कि वहां पर कृषि उपज मंडी की स्थापना नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन क्षेत्रों का खयाल रखते हुए अधिक से अधिक राजस्थान की जो मंडियां हैं उनको कृषि उपज मंडी के अन्दर

(श्री लूणाराम)
लाया जाय ताकि उनका अधिक से अधिक प्रसार हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह सन्धु !

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जो मंडियों के अन्दर आढ़त, कमीशन, लिया जाता है वह किसान से लिया जाता है। पास के पड़ोसी पंजाब के अन्दर कमीशन जो वसूल किया जाता है वह खरीददार से वसूल किया जाता है। इस बारे में एक दफा घोषणा कर दी गई थी और ऐसा कानून भी कर दिया गया था कि वे खरीददार से वसूल होगा, मगर बाद में हाई कोर्ट में जाने के बाद सारे रूल्स भी चैलेन्ज हुए और फिर किसानों से इसकी वसूली शुरू हो गई। तो मेरा यह निवेदन है कि आढ़त की जो रकम है वह सिर्फ खरीददार से वसूल की जानी चाहिए ।

और सब्जी के संबंध में मैं यह अर्ज करूंगा कि चार रुपये सैंकड़ा आढ़त रखी गई है। वह इतनी ज्यादा है कि अगर सारी रकम को जोड़ा जाय तो इतनी ज्यादा रकम बढ़ जाती है कि हर किसान को अपनी उपज का एक बहुत बड़ा भाग आढ़त के रूप में देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने जो आढ़त का चार रुपया रखा है उसको घटा कर वही आढ़त वसूल करें जो आम हालत में जिन्स से वसूल होती है, और आढ़त जो है वह खरीददार से वसूल की जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्य मंत्री ने जो राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स (एमेंडिंग एण्ड वेलिडेटिंग प्रोवीजन्स) बिल, 1975 को सदन में प्रस्तुत किया है, और इस बिल को प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण यह है कि जो फीस के सम्बन्ध में व्यापारी लोग हाई कोर्ट में गये थे उसमें एक पार्शल डिसीजन हुआ। कुछ व्यापारियों के पक्ष में है और कुछ मंडी समितियों के पक्ष में। उसको टोटली रैग्युलेराइज करने के लिए यह बिल सदन में प्रस्तुत हुआ है और इस बिल की जो नई धारा है उसमें आज निश्चित रूप से सभी को लाइसेन्स लेने की आवश्यकता हो गई है, चाहे तो वह ट्रेडर्स हों, चाहे तो वह ब्रोकर्स हों, चाहे वह वेमेन हों, चाहे मेजरर्स हों, चाहे सर्वेयर्स हों, चाहे वह वेयरहाउस मैन हों, और एक प्रेस्काइब्ड फीस भी सभी के लिए आयोजित कर दी गई है, और इन लाइसेन्सेज के रिन्युअल के प्रावधान को इसमें पुष्ट किया गया है।

यह तो निश्चित बात है कि किसान को जो फसल का जो बिक्री का अंश है उसमें किसान का बहुत बड़ा शोषण होता है और उस शोषण को रोकने के लिए साइन्टिफिक मार्केटिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। केवल एक गंग नहर के कालोनाइजेशन के क्षेत्र को छोड़ कर और अब कुछ भाखरा के कालोनाइजेशन के क्षेत्रों को छोड़कर सारे राजस्थान में मंडियों की स्थिति बड़े अजीब प्रकार की रही है। कई जगहों पर किसानों की फसल का सेन्टपर्सेन्ट ही शोषण हो जाता है, कर्जे के अन्दर फसल गायब हो जाती है, इन्ट्रेस्ट में ही फसल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

गायब हो जाती है। इसलिए राजस्थान की दूर दराज मंडियों में जहां पर रेग्युलेटेड मंडियां नहीं थीं उनको रेग्युलेराइज किया जाय। इन मंडियों के रेग्युलेराइजेशन से एक नई जान पैदा होने लगी है, किसानों की शोषण से मुक्ति होने लगी है, एक साइन्टिफिक प्रोसेसिंग; एक साइन्टिफिक मार्केटिंग किसान की कामोडिटीज का होने लगा है।

इसके साथ साथ हम जो पैसा लेते हैं वह पैसा भी विकास के लिए प्रयुक्त होने लगा है। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता। इसका सबसे उत्तम सेम्पल देखा जाय और सबसे ज्यादा जिसमें उपलब्धि हुई है तो जोधपुर का मार्केट एक ओपन रूप में एक एक्जेम्प्लरी मार्केट है; और जो नया मार्केट बना है वह बहुत प्रशंसनीय है। अब तक जो कुछ रुपया एक व्यक्ति की पाकेट में जाता था, जो किसान से टैक्स लिया जाता था यानी ब्याज के रूप में वसूली हो जाती थी या व्यापारी घूम घूम कर गांवों में से नाज इकट्ठा करके लाया करते थे, और विशेष कर आदिवासी क्षेत्रों को देखा जाय तो किसान के अपनी फसल को निकालते ही बोहरा आकर बैठ जाता है, तो यह सारे वहां पर एक निश्चित रूप से उस पैसे का उपयोग हुआ है, और उसकी आय के ऊपर जो हम पैसा लेते हैं उसका उपयोग आज सड़कों के बनाने में या विकास के कार्यों में आया है। तो इस साइन्टिफिक प्रोसेसिंग के लिए जो राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है वह निश्चित रूप से उचित कदम कहा जाय।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, फसल के निकलने और फसल के बिकने के बीच में कई बाधाएं हैं, और विशेष कर जहां पर कालोनाइजेशन एरिया था वहां पर मंडियां शुरू से ही एक निश्चित कालोनाइजेशन स्कीम्स के तहत बनाई गई थीं और वहां पर कच्ची आढ़त और पक्की आढ़त की व्यवस्था थी, और यह कच्चे और पक्के आढ़तिये बैंकर्स के रूप में किसानों का शोषण करते थे, लेकिन यह शोषण उतना गम्भीर नहीं था जितना राजस्थान की और दूसरी जगहों पर था। उनका अपने तरीके से शोषण था। वहां पर एक कहावत थी कि जब किसान अपनी फसल दुकान के आगे लेजा कर खड़ा होता था तो आढ़तिया कहा करता था कि कट्टे को पानी पिला ला। कट्टे के दो मतलब होते हैं, एक तो भैंस का बच्चा उसको भी कट्टा कहते हैं और छोटी बोरी को भी कट्टा कहते हैं। तो मालिक इधर–उधर पानी पीने गया बाहर तो एक कट्टा भर कर अन्दर घर आये। उन लोगों की जितनी व्यवस्था थी पानी की प्याऊ वगैरह भी उसके लिए धर्मादा काटते थे तो वह उन्हीं के पास इकट्ठा होता चला जा रहा है। मेरी मण्डी की मिसाल दूं कि वहां पर धर्मादा कटता है 100 रुपये पर 5 पैसा तो सन् 1928 से धर्मादा आ रहा है तो अरबों नहीं बल्कि खरबों क्विन्टल क्राप्स एक ही मंडी के अन्दर आती रही और लाखों रुपयों का धर्मादा एकत्रित हुआ, और वह धर्मादा एक ही व्यक्ति की जेब में रहा। वहां पर मंदिर की आवश्यकता को समझ कर पहले कालोनाइजेशन विभाग ने एक सत्यनारायण का मन्दिर बना रखा था, लेकिन उस पैसे से एक नया सत्यनारायण का मंदिर बनवाया और सोने और चांदी से सत्यनारायण को लाद दिया और उस पुराने सत्यनारायण की नया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सत्यनारायण मजाक उड़ा रहा है। इस प्रकार का शोषण हुआ धर्मादे के नाम पर। उनकी कटौतियां रेग्युलेटेड नहीं थी तो उनका खामख्वाह एक्स्प्लायटेशन होता था।

आज उनको लाइसेन्स लेने की पाबन्दी है, एक चेंकअप क्रिएट कर दिया है इलेक्टेड बोडी का और इलेक्टेड बोडी किस प्रकार की बनाई जाती है यह सब बातें एक चेकअप क्रिएट करती है। आज समाज का जो गरीब तबका है वह उसके अन्दर अपना वर्चस्व नहीं ले पाते हैं। इसलिए उनकी चेकअप या दूसरी गतिविधियां इस रूप में नहीं हो पातीं। लेकिन कुछ इरैग्यूलिरेटीज पर ब्रेक भी लगाये गये हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनके लिए मैं सरकार का जो कदम है उसको उचित समझता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि और भी कई समस्याएं अभी गम्भीरता से खड़ी हुई जिनको भी हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। नगरपालिकाएं और नगर परिषदें हैं वे भी मार्केटिंग के काम में बहुत बड़ी ओब्स्टेकल्स, बड़ी दिक्कतें पैदा करती हैं। हमारे यहां पर एक मार्केटिंग सोसायटी है, वहां पर इतनी भारी भीड़ हो जाती है वहां पर बहुत खपत होती है, बहुत बड़ी मन्डी है, वहां पर नगरपालिका कोई इन्तजाम नहीं करना चाहती, वहां पर सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं करती, मार्केटिंग के लिये उचित व्यवस्था नहीं करती, पशु बहुत नुकसान करते हैं उनके लिये व्यवस्था नहीं करती। वह इसलिए कि नगरपालिका को इसका भारी विरोध है, वह चाहती है कि वहां पर भारी मिट्टी हो, धूल उड़ती रहे, गड्ढे खुदे हुए रहें ताकि गाड़ियां वगैरह लाने-लेजाने में उनको दिक्कतें हों और उनके मार्ग अवरुद्ध हो जायं परन्तु वह उस काम को प्राथमिकता के आधार पर नहीं लेना चाहती। वहां पर एक सफाई कमेटी बनी हुई है, उसने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया था, उस कमेटी को भी भंग कर दिया वहां की नगरपालिका ने। सब्जी की सेल वहां अनाप शनाप होती है, बहुत बड़ी मन्डी है, फिर भी इन्तजाम, कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती है। वहां की मार्केटिंग कमेटी ने प्रस्ताव भेजा कि सबसे पहले बिचौलियों का इलाज होना चाहिए। आज वहां पर आढ़तिया आया और जितना मुट्ठी में आया उतना जेब में डाल लिया। इसका कोई मेजरमेन्ट नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। कई तो ऐसे धाकड़ होते हैं जो उनको नहीं लेने देते है और कई ऐसे पूअर पीजेन्ट्स हैं जो उनको कुछ नहीं कह सकते हैं और उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस किस्म के कई कन्ट्राडिक्शन्स हैं, नगरपालिकाएं हैं जो इसके अन्दर, इस दिशा के अन्दर मार्ग अवरुद्ध करते हैं। वैसे आज पंजाब के मार्केट में, और गंगानगर के अन्दर मार्केट क्रिएट किया जाय तो वहां पर करोड़ों रुपये की बल्कि अरबों रुपये की मार्केटिंग होती है। इसलिए वहां पर साइन्टीफिकेली यदि इसका विकास किया जाय तो उचित रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें हास्पीटल, रोड्स, केनाल आदि के लिए भी फन्ड्स प्रोवाइड किया जाय। जो पैसे बिचौलियों की जेब में चले जाते हैं उनसे बचाव के लिए भी, ऐसी कोई साइन्टीफिकेली व्यवस्था की जाय। दूसरा प्रश्न है जमींदार के फसल निकालने और बेचने के बीच में जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
लोग आते हैं उसमें धानकिये, तुलारे, भरेरे, पल्लेदार वगैरह ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो श्रमजीवी और गरीब तबके के लोग हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए भी व्यवस्था की जाय। पल्लेदार लोग जो वहां से लेकर आते हैं माल को, वेयर हाउसिंग में ले जाते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं उन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। यह तो मैं माननीय मंत्री महोदय की प्रशंसा करूंगा कि उन्होने तुलारे की रेट को इन्क्रीज की है। लेकिन इसके साथ साथ भरेये या मेजरमेंट करने वाले के लिए जो आपने लाइसेंस लेने का प्रावधान रखा है, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा। इन लोगों के लिए वेतन मान की, ट्रेड यूनियन के अधिकारों, आदि का अधिकार और उसकी वेतन निर्धारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गगानगर में इन लोगों की संख्या हजारों ही नहीं बल्कि लाखों में है। ये लोग बहुत मेहनत से अपना पेट भरते हैं, कनक को भरते हैं, उसको कन्धों पर लोड करते हैं। इनमें से अधिकतर बल्कि 99 परसेन्ट लोग हरिजन क्लास के और गरीब लोग इसमें काम करते हैं। यह अपने आप में एक शोषित क्लास है इनके विकास की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इनका एक्सप्लायटेशन बन्द होना चाहिए और उनको सुविधायें मिलनी चाहिए। यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है। अब सब्जी के प्रश्न को लेते हैं। कुछ सब्जियां तो थोड़े समय के लिये मेन्टेन हो सकती हैं और एक समय के बाद वे खराब हो जाती हैं, 24 घंटे के बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि वेजीटेबुल्स के अन्दर विभिन्न मण्डियों मे विभिन्न रेट्स तय किये हैं। मैं समझता हूं कि जयपुर मण्डी की वेजीटेबल्स की कृषि उपज मण्डी ने जो रूल्स बनाये उसमें जो लाइसेंस फीस रखी है उसमें जहां तक व्यापारियों से फीस ली गई है, 50 रुपये रखी है, यह तो समझ में आ सकती है, सहकारी क्रय-विक्रय समिति से भी 50 रुपये रखी गई है वह भी ठीक है। लेकिन छाबडी वालों से और थड़ी वाले जो फुटकर व्यापारी हैं उनसे आपने 20 रुपये और 5/– रखे हैं उसको देश के अनएम्प्लायमेन्ट को ध्यान में रख कर लिए जाने चाहिए। सैंकड़ों ऐसे लोग हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं जो दिन भर मेहनत करके रात को थोड़े से पैसे घर ले जाकर देते हैं, हजारों लोग ऐसे है रेड़ी, थड़ियां और छाबड़ियां लगा कर सब्जी बेचते हैं इसमें कोई ज्यादा प्रोफिट तो होता नहीं है, सारी सब्जी तो शाम तक बिक नहीं जाती है अगले दिन उसकी वेल्यू नहीं रह जाती है, वह खराब हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह लाइसेंस फी बहुत ज्यादा है। अब मैं और कुछ दूसरे आइटम्स के बारे में निवेदन करता हूं। जैसे मान लीजिये 10 क्विन्टल गाजर आई, पालक आ गया या मेथी आ गई तो इसकी क्या वेल्यू है, बहुत बड़ी कोस्टली चीज तो यह है नहीं। किसान से तो यह बहुत ही चीप रेट में आती है और रिटेल में आते आते पांच–6 टाइम्स हो जाती है लेकिन किसी को तो इसका 1/5 हिस्सा भी नहीं मिल पाता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बस अब दो-तीन आइटम्स ही रह गये है। पांच-दस पैसे प्रति बोरी के हिसाब से भी उनको नहीं मिल पाता है तो इस प्रकार से उन पर यह भारी लोड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पड़ रहा है तो मैं इस बात का विरोध करूंगा।

जो माननीय सदस्य करनपुर से आते हैं, उन्होंने कहा है कि सारा इम्पैक्ट कन्ज्यूमर पर जाकर पड़ता है या प्रोड्यूसर पर जाकर पड़ता है। तो आप इस प्रकार का प्रबन्ध करदें, आप इस प्रकार का टैक्स लगा दें कि फाइनल जो नतीजा निकलता है वह प्रोड्यूसर से व्यापारी ले लेता है वह न ले पाये। आपने रेग्युलेट किया है, मार्केट को वह बढ़िया किया है लेकिन यह जो सारा लोड है यह विक्रेता पर पड़ा है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इस दिशा में कदम उठायें। इसमें सुधार जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीमल।

आप अपने दल की तरफ से बोलेंगे?

श्री केशरीमल : मैं उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ।

मेरा निवेदन यह है कि जो मण्डी टैक्स के बारे में विचार किया जा रहा है। मण्डी में जो काम होना चाहिए वह अभी नहीं हुआ है। किसान बाहर से अपनी जिन्स लेकर आता है। रात को गाड़ो छोड़ कर बाहर हो पड़ा रहता है सर्दी में। लेकिन वह जिन्स की बिक्री से मण्डी कमेटी में पैसा इकट्ठा होता है। इस प्रकार की सभी जगह व्यवस्था हो जिससे कि किसान बेचने के लिए आये, रात को देरी से आये तो उसको रहने के लिए, सर्दी से बचने के लिए और सुबह हाथ मुंह धोने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से मण्डी कमेटी को मिले पैसे को मण्डी में ही लगाना चाहिए, उससे बाहर यह पैसा नहीं लगे। अगर और कहीं लगा तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि जो साइकिल पर सब्जी लेकर आते हैं या जो टोकरे में सब्जी लेकर बैठने वाले हैं उनको भी लाइसेन्स लेने के लिए कहा गया है। उनको आप छोड़िये। इसी प्रकार से आढतियों पर जो 4 रुपया रखा है, वह ज्यादातर प्रोड्यूसर से निकालते हैं या विक्रेता से यह भार प्रोड्यूसर या विक्रेता पर नहीं डालना चाहिए। यह जो टैक्स बढाया जा रहा है, यह ठीक है। लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह हो तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबंध) विधेयक, 1975 लाया गया है, इसके बारे में जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून एक लीगेलाइज मार्केट का समाजवादी व्यवस्था में बहुत आवश्यक कानून है। किसानों को उचित मूल्य मिले और बिचौलियों को लाभ कम हो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का कानून है और जो संशोधन लाया गया है. उसके बावजूद माननीय मन्त्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि और भी संशोधन लाने वाले हैं बोर्ड को अधिकार देने को इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मौजूदा कानून को स्वीकार कर लेंगे तो भी इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

(श्री शंकरलाल)

क्योंकि और संशोधन लाने की आवश्यकता है तो चूंकि यह ग्राम कानून है, ग्राम जनता से सम्बन्धित है, उपभोक्ता से सम्बन्धित है और करीब करीब पूरे जो खरीदने वाले और बेचने वाले हैं उनसे सम्बन्धित है इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कानून को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव लोगों से आ सकते हैं। जो कृषि उपज मण्डी के चुनाव का प्रावधान रखा है उसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैंने कितनी ही कृषि उपज मण्डियों के चुनाव देखे हैं। हजारों की तादाद में मतदाता आते हैं और चुनाव में निरर्थक व्यय होता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्यों होता है। आप इसको रोकिये। जिस प्रकार से पंचायतों के चुनाव होते हैं, दूसरी जो कृषि कोआपरेटिव सोसाइटी हैं, और कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके चुनाव होते हैं इसी प्रकार इसके चुनाव हों तो मेरा यह निवेदन है कि हम इसको इलेक्शन की तरह से बना देते हैं। इसलिए हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो ट्रेडर्स हैं, वह लोकल अथोरिटीज को प्रसन्न रखते हैं। सभी प्रकार के प्रतिनिधियों को मिला कर अगर कमेटी बनाते हैं तो उसमें हम किसान, जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, के लाभ की बात करते हैं। लेकिन उस कारण उनको लाभ नहीं हो पाता है क्योंकि ट्रेडर्स प्रभाव जमाये रखते हैं, वह सरकार और हुकूमत पर भी प्रभाव जमाये रखते हैं और किसानों की बात चल नहीं पाती है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा। लाइसेंस फीस के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने कहा है। खुदरा व्यापारियों से और दूसरे जो केजुअल लेबर है जो मण्डी में काम करते हैं, उनसे भी लाइसेंस फीस लेने लग जायेंगे तो यह अपनी नीतियों के भी प्रतिकूल हो जायेगा। आज बहुत से मजदूर आते हैं, थोड़े दिन मण्डी में काम करते हैं तो थोड़े दिनों के लिये उनको लाइसेंस की बात कही जाये तो मैं समझता हूं कि यह समाजवादी नीतियों के अनुकूल नहीं होगा। इस प्रकार छोटे छोटे व्यापारी है, खुदरा व्यापारी हैं।

(2.08 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

उनके ऊपर भी फीस लगाने की बात कही गई है।

इसके अलावा कुछ मण्डियों के बारे में जांच चल रही है लेकिन उनका निर्णय नहीं हो पाता है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के विवाद खड़े हों तो उनका तुरन्त निर्णय करना चाहिए। यह बोर्ड जो बनाया है, उसको सक्षम बनाना चाहिए। मुझे खुशी है कि यह जो बोर्ड बनाया गया है और इस सदन के माननीय सदस्य जिसके मेम्बर हैं, इस बोर्ड को पावर दी जायें। बोर्ड को अगर कोई पावर नहीं हो तो बेकार है। आप इण्डिपेण्डेंट बोर्ड बनाइये कि बोर्ड सक्षम हो और बोर्ड जो निर्णय ले उसके क्रियान्वयन के लिए उसे डिपार्टमेण्ट के पास नहीं जाना पड़े। बोर्ड को सरकारी अधिकारियों का मुंह नहीं ताकना पड़े। ऐसा यह बोर्ड बनाना चाहिए। सभापति महोदय, जहां तक डेवलपमेण्ट

(श्री शंकरलाल)

की बात कही गई है। डेवलपमेण्ट का पैसा खर्च किया जा सकता है। एक दो उदाहरण छोड़ दिये जायें तो डेवलपमेंट के पैसे का सही उपयोग किया जा सकता है। एक दो माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री अमृतलाल गहलोत, जो इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, ने बताया कि वहां वास्तव में सराहनीय काम हुआ है। मेरा निवेदन है डवलपमेण्ट के काम में पैसा खर्च हो और जब कानून बनायें तो उसमें स्पष्ट प्रावधान रखें। इतना पैसा होगा वह किस काम में लगाया जायगा, इतना पैसा होगा तो किस काम में लगाया जायगा, वरना डेवलपमेंट की बात कही जाती है, वह इच्छा पर निर्भर है, आदमी पर निर्भर है। इसके अन्दर जो पैसा वसूल किया जाय, चाहे वह सेस के रूप में लें, चाहे किसी रूप में लें, लेकिन जो भी पैसा वसूल हो उसका उपयोग जन हित में हो। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आज काश्तकार रात्रि में आते हैं तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि काश्तकारों के सम्बन्ध के कामों में ही पैसे का यूटिलाइजेशन हो। पैसे का उपयोग उस काश्तकार के लिए होना चाहिए जो प्राड्यूस लेकर मण्डी में आता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सी बातें विचार करने योग्य हैं, बहुत सी चीजें इसमें देना जरूरी है। इसलिए मैंने जनमत जानने हेतु प्रचारित करने का प्रस्ताव रखा है। इन सारी बातों पर गम्भीरता से माननीय मंत्री विचार करेंगे।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव:

"राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री अमृत लाल गहलोत : सभापति महोदय, कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, जो यहां पर पेश हो रहा है, यह हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए, उनको मूर्त रूप देने के लिए पेश करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हम जो कृषि उपज की वस्तुएं मंडियों में विक्रय के लिए आती हैं, उन पर एक फीस लगा कर–न यह टैक्स है, न यह सेस है, धनराशि एकत्रित करते हैं, उस धनराशि को कृषि उपज के विकास के लिए काम में लाया जाय। यह हमारे अधिनियम में साफ तौर से जाहिर किया हुआ है, परन्तु जो संशोधन, ला डिपार्टमेंट के जरिये जो कुछ संशोधन या विधेयक तैयार होता है, यह जरूरी नहीं है कि फूलं प्रूफ हो। अलग दृष्टि से देखा जाय, रिट पिटीशन हाई कोर्ट में जाती हैं या सुप्रीम कोर्ट में जायं तो वहां पर उस पर

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पूरी बहस होती है, वहां सब बारीकियों में जाना पड़ता है तो वहां लूप होल्स निकल जाती हैं। जो न्यायाधीश वहां पर बैठे हुए हैं, वह भी किसी कानून को ड्राफ्ट करें, यह नहीं, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट है, उस पर सुपर सुप्रिम कोर्ट हो, उसमें सुप्रिम कोर्ट के कई फैसले पलट सकते हैं । मेरा मत है, सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं तो छः जज इधर जाते है छः उधर जाते हैं । क्या न्याय है—यह कोई नहीं कह सकता । इसलिए हम नेक नीयति के साथ, हमारा जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए विधेयक बनाते हैं । यदि उससे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो एक बार नहीं अनेक बार नहीं अनेक बार संशोधन लाने पड़ेगे, हम लायेंगे, जरूर लायेंगे, लेकिन हम जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। इस संदर्भ में कई रिट हुई, कोर्ट में पेश हुई और बड़े जोरों से बहस हुई और जो जज थे, उन्होंने अपना निर्णय दिया। चूंकि करोड़ों रुपया हमने वसूल कर लिया, और बकाया पैसे को हमें वसूल करना था, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन अत्यन्त आवश्यक थे । इसलिए कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के अनुसार वह राशि देनी थी, वह हम वापिस दे नहीं सकते थे, परन्तु साथ के साथ विद्वान जज ने यह लिख दिया था, यह रूल्स बना दिये जायं तो यह राशि रखी जा सकती है । तो हम क्यों नहीं राशि को अपने पास रखें और उस राशि का उपयोग विकास के कामों में करें ताकि हमें लाभ हो । तो जो कुछ विधेयक में संशोधन पेश हुआ है, जिसके लिए विधेयक लाया गया है यह इसलिए लाया गया है, जो धनराशि हमने इच्छित लक्ष्य प्राप्ति के लिए रखी है उसको कानून के जरीये अपनी बना लें। सभापति महोदय, मंजिल दूर है, रास्ता कठिन है और मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें कई बार प्रयत्न करने पड़ेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे एक मील बढ़ें चाहें दो मील बढ़ें लेकिन बढने वाले मंजिल तक पहुँच जाते हैं और जो शांत होकर बैठ जाते हैं वह मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय वेलिडेशन के लिए जो अमेंडमेंट लाये हैं, वह अभी तक इस चीज को पूरी तरह कन्सोलिडेट या संकलित नहीं कर पाया है, जो विद्वान जज ने अपने फैसले में दी हैं। उन्होंने शक्कर की फीस के बारे में कहा। संविधान के अनुच्छेद 14 को उन्होंने रेफर किया है, अनुच्छेद 14 है उसका वायलेशन होता है। इसे डिस्क्रिमिनेटरी माना गया हैं। हमने उस फैसले को पढ़ा, सभापति महोदय, और बोर्ड में उस चीज के बारे में काफी चर्चा चली और निर्णय लिया और सरकार के पास भेज दिया। हमारा कहना है, अधिक से अधिक वस्तुएं, चाहे वहां की जमीन में पैदा हो या नहीं, जो माल मार्केट में आता है, और उन पर सेवायें मंडियों की लगी हैं, उनको, सारी वस्तुओं को हमारे नियमन के अन्तर्गत लाया जाय। यह तो हुई एक चीज. दूसरे, जो मौजूदा सिड्यूल इस एक्ट के साथ में लगा हुआ है, उसको ब्रोड बेस किया जाय तो शीघ्रातिशीघ्र उसको ब्रोड बेस कर दिया जाय। तीसरे, ब्रोड बेस करने के पश्चात् क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, सारा मण्डियों में जहां नियमन लागू हुआ है, वहां पर बिना किसी भेद भाव के हम सारी वस्तुओं का नियमन कर दें। चौथे सभापति महोदय, मैं मंत्री

(श्री अमृतलाल गहलोत)

महोदय से निवेदन करूंगा, राजस्थान का कोई भू-भाग बचे नहीं, जहां पर नियमन लागू नहीं हो। अतः न तो संविधान के किसी अनुच्छेद का कोई कहीं वायलेशन होगा। मैं आपसे निवेदन करदूं, सभापति महोदय, यदि एक रुपया भी फीस लगती है, एक रुपया फीस से, जो हमने आपके सामने रिवाइज्ड सिड्यूल प्रस्तुत किये हैं, मंत्री महोदय, उससे दस करोड़ रुपया सालाना आयेगा। यह दस करोड़ रुपये की आय एक रुपया फीस के जरिये होती है। कानून के तहत फीस कृषि उपज पर लेते हैं, उसका सामान्य हिसाब लगाया जाय तो दस करोड़ की अच्छी राशि होती है। पड़ोसी राज्यों में देखें, पंजाब में, हरियाणा में, मुझे सूचना मिली है, मेरी जानकारी के अनुसार ढाई रुपया लिया जाता है और इससे बीस पच्चीस करोड़ आते हैं साल के। हरियाणा और पंजाब में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। वह सारी धनराशि मण्डी फीस के जरिये प्राप्त हुई है। हम वर्षों उनसे पिछड़ गये हैं और और पिछड़ते चले जायेंगे। मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत हमें धन राशि मिली, चार चार लाख प्रति जिले मिली, उससे एक रोड भी नहीं बन सकी। यदि रोड्स को नेगलक्ट किया गया लम्बे काल तक तो मैं निवेदन कर दूं, हमारे उत्पादन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अतः रुक नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, हमें आगे बढ़ना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, वह दिन बता दें जिस दिन ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को, जो प्रस्तावित की हैं, शिड्यूल में इन्क्लूड करके मंडियों की फीस लागू करा देंगे।

अब हम जो दस करोड़ रुपया रेज कर रहे हैं, उसका उपयोग किस तरह से हम चाहते हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो हमें किसानों की सुविधा के लिए मण्डी में ऐसे स्थान का निर्माण करना चाहिये, जहां किसान अपनी व्हीकल खड़ी कर सके, दूसरे उनके सोने के लिए, ठहरने के लिए, खाने पीने के लिये भी स्थान की व्यवस्था हो। इससे केवल किसानों को ही नहीं लाभ होगा बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा पांच दस पर्सेन्ट प्राडयूस अवैज्ञानिक तरीके के स्टोरेज से नष्ट हो जाती है। इसलिए जब अच्छे गोदाम बनेंगे तो यह नष्ट होने वाली जो प्राडयूस है, वह कम हो जायेगी। एक मैं आपसे निवेदन कर दूं, अनाज के मामले में मैंने कहा कि दस पर्सेन्ट नष्ट हो जाती है, लेकिन सब्जी और फल के मामले में नष्ट होने वाली मात्रा बीस, तीस, चालीस पर्सेन्ट तक है। अगर सब्जी उत्पादक या फल बिक्रेता बेच नहीं पाते हैं और सब्जी और फल उससे बच जाते हैं तो तीस चालीस पर्सेन्ट तक नष्ट हो जाते हैं। वे अगर सब्जी और फल बेच नहीं पाते हैं तो सब्जी और फल उसको बेच देते हैं, अर्थात् उसे नुकसान हो जाता है। इसलिए सब्जी और फल के लिये कोल्ड स्टोरेज बनाना आवश्यक है, क्योंकि बीस, तीस, चालीस, पर्सेन्ट सब्जी और फल न उपभोक्ता के काम आते हैं, न उत्पादक को उसका मुल्य मिलता है, और सड़ गल जाते हैं। तो बताइये यह राष्ट्रीय नुकसान है या नहीं। एक रुपया फीस देने से यदि अच्छे गोदाम मिलें तो पांच, दस, पन्द्रह पर्सेन्ट का फायदा

(श्री अमृतलाल गहलोत)

मिलता है, यह लाभजनक है। यह राशि एकत्रित हो जाती है तो उसका लाभ मिलता है। यह लाभ जनक है। यह राशि एकत्रित है। अतः दस करोड के अन्दर से पांच करोड़ तो नये मार्केट यार्ड, आधुनिक स्टोरेज बना दिये जायं। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार कर दिये गये हैं, हम चालीस पचास बनाना चाहते हैं, पन्द्रह बीस पूरे हो चुके हैं और दस पन्द्रह प्लिन्थ तक आ चुके हैं। यह धनराशि दी जायगी, इसका दस गुना बैंकों से मिल जायगा। इस प्रकार जो धनराशि लेते हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के काम में लायी जायगी। मेरा निवेदन है कि मंडियों में यह सुविधाओं की पहली प्रायोरिटी हो और सड़कों के निर्माण का नम्बर दूसरा हो।

हमने जोधपुर में एक करोड़ 35 लाख की लागत से नये मार्केट का निर्माण करना शुरू किया, उसका पैसा नेशनल कोआपरेटिव डवलपमेंट कारपोरेशन से आयेगा। सभापति महोदय, उस मार्केट के निर्माण के पश्चात् उपभोक्ता तबके और कमिशन एजेन्टस, सब को लाभ होगा। मैंने जयपुर शहर में सब्जी के भाव देखे हैं, मटर का भाव अजमेरीगेट या सांगानेरी गेटके सब्जी मार्केट्स में किसान को आठ आना प्रति किलो मिलता है और उपभोक्ता से चार्ज किया जाता है एक रुपया प्रति किलो। इसी प्रकार हर चीज में दुगना और ढाई गुना भाव हो जाता है। आज विधान सभा के सामने कुछ भाड़े के टट्टू लाकर प्रदर्शन किया जाता है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बहुत गलत बात है, जो लोग इससे प्रभावित हैं वह ही वहां पर बैठे हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : मेरी जानकारी में है कि वह भाड़े पर लाये गये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनको भाड़े के टट्टू कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : यह मेरी जानकारी है। मैं ओपन टु करेक्शन हूं, लेकिन जो मैंने जानकारी कर ली है वह यही है। वहां पर लाल झण्डा भी लगा हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भारतीय मजदूर संघ का झंडा लगा हुआ है। जयपुर में टैक्स लेंगे उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : संत तुलसी दास जी ने रामायण में लिखा है "हित अनहित पशु पंछी ही जाना"

जिसका अर्थ है कि पशु और पक्षी भी अपना हित जानते हैं कि किस बात में है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बस मैं जल्द ही समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि पशु और पक्षी भी अपना भला और बुरा जानते हैं। यह जिस तबके के लिए किया जा रहा है, जिनके फायदे के लिये किया जा रहा है, उनका शोषण बीच के दस या बीस लोग कर रहे हैं। लाखों रुपये कमा लेते हैं वह, और वही लोग अपना निहित स्वार्थ बरकरार रखने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं।

एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। जो लाइसेन्स दिया जा रहा है, वह इसलिये ही दिया जा रहा है ताकि कोई गैर आदमी

(श्री अमृतलाल गहलोत)

वहां पर प्रवेश न कर पाये। स्टेशन पर लाइसेन्सड कुली क्यों होते हैं ? इसीलिये कि कोई अनधिकृत आदमी वहां न आने पाये। तो कोई अनअथोराइज्ड आदमी, कोई असामाजिक आदमी, चोर लफंगा वहां पर न आ सके, इसलिये नाम मात्र यह लाइसेन्स रखा है। इसके पीछे और कोई मन्शा नहीं है।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक आज पास करने जा रहे हैं, उसकी जरूरत इसलिये पड़ी क्योंकि कुछ कानूनी अड़चनें आ गई और कई लोगों ने हाई कोर्ट में रिट्स दायर कर दी थीं। मण्डी कमेटियों के खिलाफ हाई कोर्ट से रिट्स जारी हुई हैं और जो खामियां रह गई हैं उनको वैलीडेट करने के लिय यह बिल पेश हुआ है। यह जो जजमेंट हुआ है, उसकी पूरी मन्शा के अनुसार बिल के अन्दर जो खामियां हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उन्हें ठीक करें अन्यथा यह जो कानून हमने 1961 में पारित किया था, वह फिर अधूरा रह जायेगा। सन् 1961 में यह कानून पारित किया था कि मडी कमेटियां बहुत सशक्त हों, रेग्युलर मार्केट्स बनें, प्रोडयुसर्स का जो शोषण होता है बन्द हों, इसी मन्शा से यह कानून पास किया था। परन्तु आज हम देख रहे हैं कि सन् 1961 में कानून बनने के बाद भी 1975 में आज कानूनी अड़चनें सामने आ रही हैं इस सब का कारण है गवर्नमेंट की ढिलमिल नीति। पहले तो इस कानून को बहुत सी जगहों पर लागू ही नहीं किया, कहीं कहीं कमेटीज बनाई तो उन्होंने जो रिकमेन्डेशन्स दीं वह पूरी नहीं हुई। हम यह महसूस करते हैं कि 15 पैसे के बजाय 1 रुपया वसूल करने का कानून बनायें, आपने यह लागू तो कर दिया और पांच दस साल से शुल्क वसूल भी करते आ रहे हैं, लेकिन उस रुपये से कोई डवलपमेंट नहीं किया गया। यह तो बर्दाश्त नहीं होगा।

इसलिये कल जब सारे राजस्थान के अन्दर इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो इसके लिए फेज्ड प्रोग्राम होना चाहिये। इसके लिये आपने एक बोर्ड का गठन किया, यह तो अच्छा किया, बोर्ड बैंक से लोन आदि ले सकेगा और डवलपमेंट के लिये अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अब तक तो आपने कुछ भी काम नहीं किया है। भीनमाल की मंडी वाले गांव गांव जाकर रसीदें काटते हैं, लेकिन लोगों को कहने के लिये हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय को चाहिये कि फाइव इयर प्लान बनाएं। जोधपुर मन्डी में अच्छा काम हुआ है, उसका उदाहरण दिया जाता है लेकिन एक जगह अच्छा काम हो जाये, इससे कुछ नहीं होने वाला है, उस का तरह सब जगह मंडी मार्केट [illegible] न चाहिये। सारे राजस्थान का प्रोड्यूस जोधपुर में तो बिकने आयेगा नहीं। एक जगह डवलप हो और फीस सारे राजस्थान से ली जाये, यह कैसे चलेगा ?

आपको सन् 1961 से लेकर आज 1975 तक काफी अनुभव हो चुका है और अब जाकर आप सेटिल भी हुए हैं, अब हर जिले में हर एरिया में कुछ न कुछ काम होना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चाहिये। जहां जमीन खरीदने की जरूरत है वहां जमीन खरीद कर ऐसी जगह तो बनायें जहां किसान आकर अपना प्रोड्युस बेच सकें। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ कार्य होना चाहिये ताकि आपके हाथ भी मजबूत हो सकें और आपकी नीति की क्रियान्विति हो सके।

मंत्री महोदय अमेंडमेंट लाये हैं, यह तो हम पास करें। इसके अलावा और जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिये भी आप कानून पास करालें। बोर्ड को एक चपरासी रखने के भी पावर्स नहीं हैं। बजट अप्रूव होकर आ जाये तो काम शुरू हो जाने चाहिये। सारे पावर्स बोर्ड में केन्द्रित हो जाये, यह भी नहीं होना चाहिये, लेकिन उसको पूरे पावर्स होने चाहिये। और जो भी खामियां हैं, प्रेक्टीकल डिफीकल्टीज हैं, प्रजातन्त्र में डिफीकल्टीज आती ही रहती हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट सक्रिय हो गई है, उस डिफीकल्टीज को दूर करना चाहिये क्योंकि अब लोग ज्यादा इन्तजार नहीं करेंगे। आप कानून बनायें, पावर्स दें, लेकिन उसके साथ साथ डवलपमेंट जरूरी है। मंडियों का विकास होना चाहिये यह सभी मानते हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, यह जो बिल सदन के समक्ष पेश है उसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संशोधन पर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उन सब को धन्यवाद देना चाहता हूं। आम तौर पर सभी सदस्यों ने, भार्गव साहब ने भी, यह सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है कि मंडियों को रेग्युलेट करना चाहिये और माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की कि इस दिशा में तेजी से बढ़ना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग तो आज तक लीगल बेटल्स में ही लगे रहे और अब डेढ दो साल का ही टाइम मिला है कि कुछ नियमित रूप से काम कर सके हैं। इसके पहले हाई कोर्ट में रिट्स की गई और करीब 1900 रिट्स हाई कोर्ट ने दे दीं और उसमें ही हमारे अधिकारी लगे रहें और अन्त में जो कमियां हाई कोर्ट ने बताई उनको दूर करने के लिये और उनको वेलिडेट करने के लिये कानून लाना पड़ा। जो कमियां हाई कोर्ट ने बताई उनको दूर करने की दृष्टि से ही अध्यादेश लागू किया गया और जो बिल आपके समक्ष है उसका बहुत सीमित दायरा है। उससे आपकी मन्डियों का विकास नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय, हमें चाहे जो कुछ भी कठिनाइयां इसमें आवें उन्हें हटाकर सुचारू रूप से जिस प्रकार मन्डियां चल सकें वह कार्यवाही करना है। मन्डियां ठीक तरह से वेलीडेट की जा सकें उसके लिये जो मन्डियों के पास करोड़ों रुपये जो आज इकट्ठे हुए हैं उनको काम में लेंगे। सभापति महोदय, इसके लिये यहां पर यह भी कहा है कि मन्डियों के पास पैसा इकट्ठा हुआ है और कोई विकास अभी तक हो नहीं पा रहा है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले सन् 1961 में कृषि उपज विपणि बिल इस सदन से पास हुआ था और उसके आधार पर ही मन्डी समितियों का निर्माण किया

(श्री शिवचरण माथुर)

गया था लेकिन आज की परिस्थितियों में और जब यह बिल सदन में लाया गया था उसमें काफी समय बदल गया है और परिस्थितियों को देखते हुए इस एक्ट में व्यापक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस बारे में एक बिल विधान सभा में ला रही है जिससे कि सभी कठिनाइयां दूर हो जायें।

सभापति महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया एक बहुत ही प्रगतिशील विधेयक राज्य सरकार ला रही है ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। जब वह बिल पास हो जायेगा तो उससे बोर्ड को पावर्स भी ज्यादा मिल जायेंगे और उससे मन्डियों का विकास भी अच्छी तरह से हो सकेगा। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कृषि उपज विपणी बोर्ड का निर्माण 6–6–74 को किया था और उस बोर्ड में एक इन्जीनियरिंग शैल क्रियेट किया गया है जो कि मण्डियों को और बोर्ड को तकनीकी मदद देगा। अब जो व्यापक बिल राज्य सरकार विधान सभा में लायेगी वह बहुत ही कोम्प्रीहेन्सिव बिल लायेगी जिससे बहुत ही शीघ्र बोर्ड को अधिक पावर मिलने वाले हैं तथा उसमें ऐसे प्रावधान भी होंगे जिससे कि मण्डियों का अच्छी तरह विकास हो सके। सभापति महोदय, बिना विधान सभा में बिल लाये हम नोटिफिकेशन्स वगैरहा निकाल कर ज्यादा फायदा मन्डियों का नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यहां पर सदन में माननीय सदस्यों ने इस बारे में अधिक चिन्ता की कि मन्डियों के पास बहुत ही पैसा जमा हो गया है। आज पिछले दो तीन साल से पैसा वहां पर इक्ट्ठा हो रहा है जिसका कोई उपयोग मन्डियां कर नहीं रही हैं। इसके लिये जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि हमने कृषि उपज मार्केटिंग बोर्ड में एक इन्जीनियरिंग शैल क्रियेट किया है जिसमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पद का अधिकारी रखा हुआ है इसके अलावा और भी तकनीकी सलाहकार देने के लिये तकनीकी लोगों को लेने का प्रावधान किया गया है सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जबसे बोर्ड का गठन किया गया है बोर्ड ने एक करोड़ तीन लाख 11 हजार 629 रुपये का एस्टीमेट्स स्वीकार किया हैं। इसके लिए टेन्डर्स वगैरह काल कर लिये गये हैं। और शीघ्र ही वहां पर काम शुरू होने वाला है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किये जायं जिससे कि बोर्ड और मण्डियों की मिनिमम नीड्स उपलब्ध की जा सके। तो मेरा निवेदन यह है कि मन्डी समिति की मौलिक इन्फास्ट्रक्चर जो कुछ भी है वह बनाये जाने चाहिये। तो इसकी मौलिक पांच चीजों की मेनली ज्यादा जरूरत रहती है। एक केटल शैड, दूसरा मन्डी कमेटी की बाउन्ड्री, फोरमर्स रेस्ट हाउस, प्लेटफार्म, और पांचवों उनके लिये पानी पीने की व्यवस्था के लिये प्याऊ। इसके लिये जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि मन्डियों के पास

(श्री शिवचरण माथुर)

फन्ड हैं और इसके अलावा फन्ड्स चाहिये तो वह उन फन्ड्स के माध्यम से बैंक्स से दस गुना लोन लेकर इनका निर्माण कर सकेंगे। इसके निर्माण के लिए मन्डी समिति इन्जीनियरिंग शेल, जो बोर्ड के अन्दर है, उससे मन्जूरी प्राप्त करके नक्शा पास करवा कर उनका निर्माण कर लेगी। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाकर निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ कठिनाई आयेगी। यहां पर माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं है तो उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मन्डी कमेटीज के पास जमीन नहीं है या कोई झगड़ा चल रहा है तो इस प्रकार के झगड़े निपटाने के लिये जहां पर यू.आई.टी. है वहां पर यू. आई. टी. और जहां पर नगरपालिका है वहां नगरपालिकाओं से हमारा विभाग समन्वय बैठाने की कोशिश करके उनके लिये जमीन की व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों से यह भी निवेदन कर देना चाहूंगा कि इसके लिये मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कोर्डिनेशन कमेटी भी इसके लिये बनाई गयी है और उसकी मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया कि ऐसी जमीन यू. आई. टी. को मन्डी समितियों को दे देनी चाहिये। और नगर पालिका के अन्दर हो तो नगरपालिका उन्हें दे देगी। उनके जो पैसे हों वह यू. आई. टी. और नगरपालिका जो भी हो उनको दे दिये जावें। इन मण्डियों के निर्माण हेतु मास्टर प्लान में अगर जमीन आरक्षित नहीं हुई और छोड़ दी गई है तो मण्डियों से कोस्ट लेकर उनको वह जमीन दे देनी चाहिये। हालांकि इसके इम्प्लीमेन्टेशन के अन्दर थोड़ी कठिनाइयां आयेंगी लेकिन वह शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगी। क्योंकि इसके लिए जैसा कि मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया है कि हम विधान सभा में एक कोम्प्रीहेन्सिव बिल ला रहे हैं जिससे यह सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इससे मण्डियां व्यापक रूप से काम करने लग जायेंगी।

सभापति महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि अभी जो मण्डियों में कृषि उपज में जो शिड्यूल है उसमें भी व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि इन मण्डियों की शिड्यूल में परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसा करने से मण्डियों को करीब दस करोड़ रुपये तक धनराशि प्राप्त हो सकेगी। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जल्दी ही राज्य सरकार इस शिड्यूल में परिवर्तन करने जा रही है। सभापति महोदय, इस बारे में कदम उठाने अत्यन्त आवश्यक हो गये हैं क्योंकि इसके बिना मण्डियों का पूरी तरह से विकास नहीं हो सकेगा। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में कई तो पुरानी ट्रेडीशनल मण्डियां आज कई वर्षों से चली आ रही है। इन मण्डियों के सिवाय और भी मण्डियों का निर्माण हो सके उसके लिए हम एक साथ तो नहीं लेकिन एक फेज्ड प्रोग्राम के तहत काम शुरू करेंगे जिससे कि उनका अच्छी तरह से विकास हो सके। सभापति महोदय, आज हमारे यहां सिर्फ एक रुपया फीस लगायी है उसके लिए माननीय सदस्य यह कह रहे

(श्री शिवचरण माथुर)

हैं कि राज्य सरकार ने टैक्स लगा दिये हैं। सभापति महोदय, ऐसे टैक्स तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ऐसी मन्डियों की फीस न केवल हमारे राजस्थान में ही है बल्कि मैं यह कहूंगा कि ऐसा पंजाब और हरियाना के पिछले साल के बजट में भी था। पंजाब की मन्डियों की फीस एक रुपया से बढ़ाकर ढाई रुपया कर दी गयी जिससे पंजाब सरकार को 25 करोड़ रुपये की आमदनी यह हुई। यह पैसा पंजाब सरकार ने मन्डियों के विकास के लिए लगाया। आप लोग इस बारे में एतराज करें जैसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती। क्योंकि यह पैसा तो मन्डियां अपने विकास के लिये ही काम में लेंगी। इसके अलावा यहां पर कुछ माननीय सदस्य ने यह कहा कि फल सब्जी मन्डियों की जरूरत नहीं है उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फलों की मन्डियों का निर्माण होना अतिआवश्यक है क्योंकि फल पेरिशबल कोमोडिटिज हैं। इसके अलावा हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि हिन्दुस्थान की किसी भी प्रान्त की राजधानी में फल सब्जी की मन्डियां नहीं हैं उन्होंने जिन राजधानियों का नाम बताया है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि कर्नाटक में जिसकी राजधानी बैंगलोर है वहां पर फल सब्जी मंडियों पर फीस ली जाती है, महाराष्ट्र में ली जाती है, हैदराबाद में ली जाती है। इनके अलावा और भी स्टेट्स में फल सब्जी पर टैक्स लगाया जाता है। सभापति महोदय, फल सब्जी की मन्डियों की तो इसलिये भी जरूरत है कि पेरिशेबल कोमोडिटीज हैं उनके लिये आपको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता भी रहती है। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये भी बोर्ड क्रियेट कर रखा है जो कि इनका निर्माण करेगा। अन्त में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल हम सदन में लाने जा रहे हैं उससे इस प्रकार की जितनी भी कठिनाइयां आज आ रही हैं वह सभी उस बिल के आने के बाद समाप्त हो जायेगी।

सभापति महोदय, मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य इस ओर ध्यान पूर्वक सोचकर इस बात को प्रेस नहीं करें कि इस बिल को नहीं लाया जाय और इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये जो प्रस्ताव किया है उसे अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिये प्रस्ताव किया है...

श्री केशरीमल : वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री शंकरलाल : इसको वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : इसको देखना पड़ेगा।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मैं इसको वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, जनमत जानने हेतु जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसकी कई डिफीकल्टीज इसमें बाकी रह जाती हैं इसलिये इसको प्रेस करता हूं और वापिस नहीं लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय श्री गिरधारीलालजी भार्गव के अलावा जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाही है उनको प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री केशरीमल : मैं भी प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं भी प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री शंकरलाल : मैं भी प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री गिरधारी लालजी भार्गव ने जो व अन्य माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने हेतु रखा है उसको, प्रश्न यह है, स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन। (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई (अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये जिन माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

विधेयक पर खण्डश: विचार एवं पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2

संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलालभार्गव : बहुत संक्षेप में। मैंने संशोधन दिया है, उसमें शब्द है व्यापारी और दलाल। व्यापारी और दलाल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

गोदाम वाले वेयर हाउस में, इन तीनों को लाइसेन्स दिया जाय उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुलाई करने वाला, वेटमेन, सर्वेयर और अन्य व्यक्ति, जो कि मार्केट में ओपरेट करेंगे, लाइसेन्स लेना आवश्यक हो जायगा जैसा पहले नियम था। पहले वाले नियमों में भी था।

समिति मंडी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यापारियों, आढ़तियों एवं फुटकर विक्रेता आदि पर निम्नलिखित वार्षिक दरों के अनुसार अनुज्ञा-पत्र शुल्क या नवीनीकरण शुल्क लगायेगी और एकत्रित करेगी। मेरा निवेदन है कि इनके लिये लाइसेन्स आवश्यक नहीं होना चाहिये।

जहां तक संभव हो एक प्रकार का नियम हो [श्री गिरधारीलाल भार्गव का खण्ड 2 में संशोधन प्रस्ताव : "In the new section 14 shought to be substituted delete the words 'weighmen, measurers, surveyors' and also the words and 'other persons.')

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि मंडी कमेटी में अनियमित तरीके से कोई काम न करे इसलिए कुछ लोगों को लाइसेन्स लेने की बात कही है बोर्ड के द्वारा स्टेशन पर भी वेटर को लाइसेन्स लेना पड़ता है। बहुत थोड़ी रकम रखी गई है। मेक्सिमम 10 रु. है। यह जरूरी नहीं है कि दस रुपया ही रखा जाय। कम भी रखा जा सकता है। रुपया दो रुपया भी हो सकता है। इसलिये आपके सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को मूल रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 मूल रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापतिजी, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना यह है कि इसमें है power to collect market fees,

"The market committee shall collect market fees from the licencees in the prescribed manner on agricultural produce bought or sold...."

माननीय मंत्रीजी का संशोधन है इसमें। क्या वे मूव करेंगे पहले ?

श्री सभापति : आप अपना संशोधन मूव कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा संशोधन है।

Page No. 88

(88)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव) !

"In section 17 sought to be substituted, replace the expression Re. 1/- by the expression 25 paise."

अभी भी इसमें साफ नहीं है कि एक रुपया किससे लिया जायगा ! उपभोक्ता से या बेचने वाले से। हाईकोर्ट में गये। यदि यह रुपया जैसा इसमें कहा गया उपभोक्ता से लेने की बात है तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। संशोधन भी मूव कर दीजियेगा।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय। संशोधन है।

"इस खण्ड द्वारा मूल अधिनियम में प्रस्थापित की जाने वाली धारा 17 में प्रयुक्त शब्द 'bought or sold' के पश्चात् शब्द 'by them' अन्तःस्थापित किये जायं।

श्री सभापति : यह सब सर्कुलेट हो चुके हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं पहले ही विस्तार में कह चुका हूं। विकास की दृष्टि से यह है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री गिरधारीलाल भार्गव ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

श्री शिवचरण माथुर : जो सरकुलेट किया गया अमेन्डमेन्ट है उसको प्रस्तुत करता हूं।

[संशोधन: वर्तमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:

"4. Amendment of section 36, Rajasthan Act 38 of 1961 In section 36 of the principal Act,—

(i) in sub section (2)—

(a) for clause (e). the following clause shall and shall be deemed always to have been substituted namely.

(श्री शिवचरण माथुर)

(c) the management of the market and the manner of collection of market fees by the market committees in market area," and

(b) in clause (f) for the word "Market" the word "Market area" shall be and shall be deemed always to have been substitued;

(ii) to sub section (4) the following proviso shall be and shall be deemed always to have been added namely—

"Provided that any rules may be made without previous publication if the State Government considers that it should be brought into force at once."]

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव के खड़े होने पर)

अब मैं आपको इस स्टेज पर बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार टैक्स निर्धारित मार्ग पर टैक्स लगायेगी। आपने 15-बीघा का एरिया कवर कर लिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आपको गलतफहमी है। मैं इसको दुबारा प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी ने जो खण्ड 4 में संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकार)

खण्ड 4, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड 5

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, खण्ड 5 में जो अमेन्डमेन्ट सरकुलेट किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

[संशोधन खण्ड 5 में, उपखण्ड (2) के पूर्व के प्रभाग के स्थान पर निम्न प्रभाग प्रतिस्थापित किया जाय।

"5. Validation of the collection of certain amounts as market fees and of the licences issued.

Page No. 90

(90)

(श्री शिवचरण माथुर)

Not withstanding anything contained in the principal Act or in the Rajasthan Agricultural Produce Markets Rules, 1973, hereinafter referred to as the said rules, or in any judgement, decree, order or direction or any court and notwithstanding any defect or want of jurisdiction or statutory power or authority or any error or ommission in exercise thereof, it is hereby declared that.

(i) the amount collected by any market committee as market fees from the licencees on the agricultural produce bought or sold by them in any market or market area, on after 14th day of July, 1973, shall be deemed always to have been validly levied and collected in accordance with law for all intents and purposes of the principal Act and the levy or collection of such amount shall not be called in question in any court, nor any claim whatsoever for its refund shall arise or shall be deemed ever to have arisen on the ground that.—

(a) the date from which the Government Notification No. F. 10 (5) Agri-II/73 dated 14-7-1973 for specification of market fees — Re. 1—per rupees one hundred worth of agricultural produce shall be effective was not mentioned;

(b) that the provisions of the principal Act and of the rules and bye—laws made thereunder for the levy and collection not the said amount have not been observed."]

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री द्वारा रखा गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड 5, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5, संशोधित रूप में, स्वीकार किया गया।

खण्ड 6

इस पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संशोधन है।

श्री सभापति : आर्डर प्लोज !

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र संक्षिप्त नाम, आदि के साथ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, संक्षिप्त नाम आदि के साथ स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न (विराम) आप (श्री गिरधारीलाल भार्गव के खड़े होने पर) बोलना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय मंत्रीजी ने, बंगलोर और न जाने कहां कहां के उदाहरण दिये। लेकिन फल और सब्जी का अलग से टैक्स जयपुर के अलावा और कहीं हिन्दुस्तान में नहीं है, जो कि जयपुर शहर में लगाया जा रहा है। केवल जयपुर शहर में कोई भी कहीं पर टैक्स नहीं, लगाया गया और सुखाड़िया मंत्रि-मण्डल के निर्णय के बावजूद कि इसको हटा दिया जाय और उसके बाद सभापति महोदय, कभी मंत्रि-मण्डल में विचार विमर्श नहीं हुआ, दुबारा मंत्रि-मण्डल बैठा नहीं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें। अब भी व्यवस्था रखी है। मण्डी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, उसमें रखा है फुटकर व्यापारी, थड़ी वाला, झोले वाला, ठेले वाला, सहकारी समिति बाजार वाला, गोदाम वाला है जो भी इस 15 मील के क्षेत्र में व्यवसाय करेगा उनको लाइसेन्स लेना पड़ेगा और लाइसेन्स लेने वाले व्यक्ति को प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र का पालन करना होगा चाहे वह तुलारा हो, पल्लेदार हो, झोले वाला हो, टोकरी लेकर घूमने वाला हो उन सबको आपने कृषि उपज में सारी लेन देन का लेखा जोखा रखे जाने को कहा और उनके लेखे को मण्डी समिति के सेक्रेटरी द्वारा मोहर लगाई जाय और अगले माह की 10 तारीख को उसको हिसाब देना पड़ेगा।

मण्डी समिति क्षेत्र में आढ़तिया पल्लेदार, तुलारा आदि आदि शब्द लगाने की क्या आवश्यकता थी। इसका कौनसा अर्थ लगाया जा सकता है आदि आदि शब्द का। कल के दिन फिर आप झोले वाले को, टोकरे वाले को किसी प्रकार और अमेन्ड कर सकते हैं और यदि गलत समझा गया तो तुलारे तक की नियुक्ति की जा सकती है। व्यापारी जिसको आप लाइसेन्स देना चाहते हैं वह हिसाब नहीं रख सकता है और इसका असर विशेषकर जयपुर के उपभोक्ता पर पड़ेगा, फल सब्जी महंगी होगी। नगरपालिका को आय भारी जायगी।

मैं समझता हूं जब तक मण्डी प्रस्तावित नहीं हो जाती है तब तक टैक्स लगाना उचित नहीं होगा। चाहे टैक्स व्यापारी पर हो, चाहे दलाल पर हो, व्यवहारिक नहीं है। दूसरा निवेदन करना यह है कि जयपुर शहर की अनाज मण्डी, जिसमें लाखों रुपया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जमा हो गया, विकास नहीं हुआ । यह कंज्यूमर मण्डी है, प्रोड्यूसर मण्डी नहीं है इसलिये इस पर टैक्स लगाना आवश्यक नहीं है । यह जयपुर की जनता पर टैक्स होगा, फीस नहीं होगी । जयपुर में फल सब्जी मंहगी हो जायगी और जयपुर की जनता को काफी कठिनाई होगी । इसी प्रकार अनाज के व्यापारी····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जब राजस्थान में कहीं पर भी इस प्रकार का टैक्स नहीं है, फल सब्जी के व्यापारी, अनाज के व्यापारी जिससे 1–1 रुपया वसूल किया है जब तक उपयुक्त मण्डी नहीं बने तब तक इसको स्थगित करें यही मेरा निवेदन है ।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया। एक मिनिट में ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, एक मिनिट में ही समाप्त कर देता हूं। यह बहुत ही विडम्बना की बात है कि जिसको आप प्रगतिशील फरमा रहे हैं और हमारे राज्य मंत्री हरिजनों में से है···

श्री केदार नाथ : राज्य मंत्री जी को सामने बिठा दिया जाय, मूल चन्द जी से रहा नहीं जाता है ।···

श्री मूलचन्द सामरिया: यह अनुचित है, परेशानी में डालने की बात है। मान्यवर जो टोकरी वाला है, झोली वाला है इनको भी लाइसेंस लेने के लिये आप मजबूर करते हैं । ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, अपना हिसाब किताब नहीं रख सकते हैं । इन पर यह सरासर अन्याय है अतः मेरा निवेदन है इस अधिनियम में ये जो दोनों मामले हैं इन पर पुनः विचार करें और पुनः विचार करके इस प्रावधान को इसमें से निकाल दें···

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति, मैं एक बार फिर भार्गव साहब से निवेदन करता हूं कि इस सारे कार्यक्रम के महत्व को समझें । अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा फल सब्जी मण्डी पर 60 लाख रुपये का निर्माण कार्य कराया है । और इस 60 लाख का निर्माण 3–4 महीनों में ही किया है । आप आज वहां जाकर देखिये । रिजोल्यूशन नहीं होगा तो पैसा कहां से आयेगा, कोई आसमान से तो पैसा आयेगा नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है व्यापक हितों को देखते हुये मण्डियों के निर्माण की आवश्यकता है । इसलिये मैं इस भावना से कि वे सारे कार्यक्रम को समझेंगे । मैं निवेदन करूंगा विधेयक को पारित करें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री महोदय मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं···

श्री सभापति : आपके निवेदन को मंत्री जी ने सुन लिया है···

(व्यवधान अश्रव्य)

आर्डर प्लीज !

(व्यवस्था सूचक घंटी)

Page No. 93

(93)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हिन्दुस्तान में कहीं भी फल सब्जी पर···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी अगर इस विधेयक पर और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो जयपुर की जनता के साथ यह अन्याय है । सारे किसानों पर, सारे व्यापारियों पर यह घोर अन्याय है । मैं समझता हूं यह मंत्री जी की हठधर्मी है और केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न है । मैं सदन छोड़कर जाता हूं फिर मंत्री जी चाहे जो कुछ कर लें । हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसा टैक्स नहीं लगा है···

श्री सभापति : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज····

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा····

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

(व्यवधान, अश्रव्य)

(सर्व श्री गिरधारी लाल भार्गव व अजीत सिंह का सदन से बहिर्गमन)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधी एवं विधिमान्यकारी उपबन्ध) विधेयक, 1975, संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही आज चार बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 3 बजे म. प. 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(९५)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर जेल में गबन

265. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि 1971-72 में जोधपुर जेल के स्टोर व फैक्ट्री में चालीस हजार रुपयों का गबन पाया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

जी नहीं।

राज्य में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन

266. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन की क्षमता प्रति माह कितनी है ? और रॉक फॉस्फेट का उत्पादन प्रति माह कितना है ? और उसके उत्पादन से राज्य सरकार की कितनी आय होती है ?

(2) राज्य सरकार ने रॉक फॉस्फेट विदेशों को निर्यात करने के लिये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति कब मांगी ? इसमें क्या प्रगति हुई तथा कितना लाभ हुआ ?

उत्तर

(1) राज्य में झामरकोटरा को रॉक फॉस्फेट खान की उत्पादन क्षमता 40,000 मैट्रिक टन है तथा इस समय प्रति माह लगभग 38,000 से 40,000 टन रॉक फॉस्फेट उत्पादित किया जा रहा है। रोक फास्फेट के विपणन से होने वाली आय बिकने वाली मात्रा पर निर्भर करती है। तथा चालू वित्त वर्ष के प्रथम 10 महीनों में राज्य सरकार को इससे प्राप्त होने वाली आय निम्न प्रकार रही:—

माह	आय
अप्रेल 74	38,08,097-09
मई, 74	35,07,685-09
जून, 74	64,59,648-89
जुलाई, 74	1,20,52,818-05
अगस्त, 74	1,32,25,544-09
सितम्बर, 74	1,09,14,937-38
अक्टूबर, 74	1,09,25,603-44
नवम्बर, 74	53,18,742-68
दिसम्बर, 74	57,86,107-24
जनवरी, 75	73,97,670-90
अब तक कुल आय	7,93,96,854-85

(2) राज्य सरकार ने रॉक फॉस्फेट विदेशों को निर्यात करने के लिये भारत सरकार को माह दिसम्बर 1974 में एक पत्र भेजा है। इस विषय पर पत्र व्यवहार चल रहे हैं।

ग्राम पटौदी में चिकित्सा सुविधा

267. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) के गांव पटौदी की आबादी 9400 है ?

(2) इस घनी आबादी के गांव में आयुर्वेद और एलोपैथिक की क्या चिकित्सा उपलब्ध है ?

(3) क्या मौजूदा चिकित्सा सुविधा वहां की आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार वहां कब तक और किस प्रकार चिकित्सा सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांडोली का एक उप केन्द्र कार्यरत है।

(3) जी नहीं। परन्तु योजना वर्ष 1975–76 तक नवीन डिस्पेन्सरी खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। पर्याप्त स्थानीय जन सहयोग प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

ग्राम दांतील की जल प्रदाय योजना

268. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील के दांतील ग्राम की जल प्रदाय योजना का सर्वे हो चुका है तथा योजना तैयार की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त जलप्रदाय योजना के लिए जनसहयोग की राशि पांच हजार रुपये जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति तथा कार्य कब शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम दांतील की जल प्रदाय योजना की अनुमानित लागत 2,22,500 रु. है।

(2) जी हां। जिला आयोजन समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रमोशन का कोटा

269. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्व विभाग में शिड्यूल्ड कास्टस (हरिजन) कर्मचारियों का प्रमोशन का कोटा मुकर्रर किया गया है ? यदि हां, तो इस आज्ञा के अन्तर्गत कितने अधिकारियों को तरक्की दी गई है ?

(2) क्या तहसीलदारों के नियुक्त करने में भी हरिजनों का प्रमोशन कोटा कायम किया गया है ? यदि हां, तो किस किस अधिकारी को तरक्की दी गई है ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(3) क्या यह सही है कि हरिजन (शिड्यूल्ड कास्ट) नायब तहसीलदारों द्वारा प्रमोशन के लिए आवेदन पेश किए गए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान तहसीलदार सेवा में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति व जन जाति का प्रतिशत नियमों में प्रथम बार दिनांक 3–10–73 से व द्वितीय बार 10–2–75 को निर्धारित किया गया है। इस आदेश की अनुपालना प्रगति पर है।

(2) जी हां, पूर्व वर्णित नियमों में आरक्षण के प्रावधान लागू होने के उपरान्त केवल एक बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई है जिसकी सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) केवल एक कार्यवाही (Ad-hoc) नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति देने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। किन्तु वह अभी तक नायब तहसीलदार के पद के लिए ही विभागीय चयन समिति द्वारा चयनित नहीं है। अतः इन्हें तहसीलदार के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

जेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति

270. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति में विशेष पक्षपात एवं भ्रष्टाचार का उपयोग किया जाता है ? यदि नहीं तो गत 5 वर्षों में जेल कर्मचारियों एवं अधिकारीगणों की की गई पदोन्नति का उनके पूर्व पदों व वर्तमान पदों का विवरण एवं पदोन्नति की तिथि देते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। गत 5 वर्षों में जिन कर्मचारियों/अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No. 97

(97)

परिशिष्ट 'अ'

कारागार विभाग में गत पांच वर्षों (वर्ष 70 से 74) में पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की सूची।

क. सं.	नाम कर्मचारी	पूर्व पद	पद जिस पर पदोन्नत किया गया	पदोन्नति आदेश की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री झम्मट मल	(अधीनस्थ सेवा) प्रहरी	मुख्य प्रहरी	21-7-70
2.	,, करण सिंह	,, ,,	,,	23-4-71
3.	,, मल्लू सिंह	,, ,,	,,	23-4-71
4.	,, प्रेम स्वरूप	,, ,,	,,	29-5-71
5.	,, मोहन लाल	,, ,,	,,	16-7-71
6.	,, भोपाल सिंह	,, ,,	,,	12-8-71
7.	,, जुगल किशोर	,, ,,	,,	1-11-71
8.	,, मोहम्मद यूसुफ	,, ,,	,,	9-11-71
9.	,, दलपत सिंह	,, ,,	,,	7-12-71
10.	,, हरीशचन्द्र दवे	,, ,,	,,	8-12-71
11.	,, हरीशचन्द्र मिश्रा	,, ,,	,,	26-8-72
12.	,, मोहन लाल	,, ,,	,,	26-8-72
13.	,, फतेह सिंह	,, ,,	,,	26-8-72
14.	,, पन्ना लाल	,, ,,	,,	6-8-72
15.	,, रेवत सिंह	,, ,,	,,	26-8-72
16.	,, गजेन्द्र सिंह	,, ,,	,,	26-8-72
17.	,, कल्याण सिंह	,, ,,	,,	3-2-73
18.	,, गिरजाशंकर	,, ,,	,,	28-5-73
19.	,, रतन सिंह	,, ,,	,,	4-6-73
20.	,, तेज सिंह	,, ,,	,,	18-6-73
21.	,, अब्दुल हमीद	,, ,,	,,	23-8-73
22.	,, विजय सिंह	,, ,,	,,	18-8-73

1	2	3	4	5
23.	श्री भंवर सिंह	(अधीनस्थ सेवा) मुख्य प्रहरी	महा मुख्य प्रहरी	30-5-74
24.	,, डूगर सिंह	,, ,,	,,	17-1-72
25.	,, रमजान बेग	,, ,,	,,	29-8-73
26.	,, दलपत राम	,, ,,	,,	29-8-73
27.	,, गुलाब सिंह	,, ,,	,,	20-8-71
28.	,, रामवतार	,, ,,	सहायक कारापाल	2-6-70
29.	,, कैलाश सिंह	,, ,,	,,	18-5-71
30.	,, गुलाब चन्द	,, सहायक कारापाल	उप कारापाल	8-11-71
31.	,, बद्रमल	,, ,,	,,	22-10-71
32.	,, मंगल सिंह	,, ,,	,,	9-11-71
33.	,, सी.आर.मुकर्जी	,, ,,	,,	9-11-71
34.	,, मो. इस्माइल	,, ,,	,,	11-4-74
35.	,, प्रभातीलाल	,, ,,	,,	12-8-74
36.	,, राजेन्द्रसिंह चौहान	,, ,,	,,	4-9-74
37.	,, जे.एन. भार्गव	,, ,,	,,	4-9-74
38.	,, गंगासागर	,, ,,	,,	30-9-74
39.	,, कल्याणमल	,, ,,	,,	4-9-74
40.	,, हेमराज वर्मा	,, ,,	,,	7-10-74
41.	,, नरसिंहबिहारी माथुर	,, उप कारापाल	कारापाल	22-10-71
42.	,, आर.के. टिक्कू	,, ,,	,,	22-10-71
43.	,, भगवान सिंह	,, ,,	,,	22-10-71
44.	,, रामप्रकाश झा	,, ,,	,,	22-10-71
45.	,, सुरजमल महेश्वरी	,, ,,	,,	22-10-71
46.	,, बलराज बाली	,, ,,	,,	22-10-71
47.	,, नवलसिंह	,, ,,	,,	28-8-74
48.	,, श्रीनारायण	,, ,,	,,	28-8-74
49.	,, फूलचन्द तिवाड़ी	,, ,,	,,	21-9-74
50.	,, हनुमानमल	,, ,,	,,	13-10-74
51.	,, जमनासहाय	,, ,,	,,	31-7-74
52.	,, भगवानसिंह साईवाल	,, ,,	,,	31-7-74
53.	,, गुलाबचन्द सोनी	,, ,,	,,	30-9-74
54.	,, जुगल किशोर	,, ,,	,,	7-10-74

(मन्त्रालयिक सेवा)

1	2	3	4	5
55.	श्री जोरावरसिंह	कनिष्ठ लिपिक	वरिष्ठ लिपिक	6–10–71
56.	,, शिवनारायण	,,	,,	,,
57.	,, रविदत्त शर्मा	,,	,,	,,
58.	,, अविनाशीलाल	,,	,,	,,
59.	,, सूरजबिहारी	,,	,,	,,
60.	,, महोम्मद ऊमर	,,	,,	13–10–71
61.	,, हरीसिंह	,,	,,	29–6–73
62.	,, सुमेरचन्द	,,	,,	11–2–74
63.	,, नयर अहमद	वरिष्ठ लिपिक	कार्यालय सहायक	23–9–73
64.	,, लक्ष्मणसिंह	,,	,,	4–9–71
65.	,, सन्तोष बहादर	कनिष्ठ लिपिक	शीघ्र लिपिक ग्रेड–2	13–2–74
66.	,, तेजराम शर्मा	,,	,, ,,	5–6–71
67.	,, राधाकृष्ण	शीघ्र लिपिक	कार्यालय अधीक्षक	3–9–71
68.	,, द्वारकाप्रसाद शर्मा	कार्यालय सहायक	,, ,,	4–9–71

(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)

69.	,, हमीदुल्ला	चपरासी	जमादार	6–7–73
70.	,, विजयसिंह प्रहरी से	प्रहरी	डायर	22–5–74
71.	,, गोपालसिंह	,,	,,	22–5–74
72.	,, विजयकुमार	,,	,,	22–5–74
73.	,, रतनलाल	चपरासी	कनिष्ठ लिपिक	10–4–74
74.	,, कल्लाराम	प्रहरी से	वाहन चालक	6–9–74
75.	,, चैनसिंह	,,	,,	13–7–74

(100)

परिशिष्ट-"स"

गत 5 वर्षों (वर्ष 1970 से 1974 तक) में जिन योग्य प्रहरियों की नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक या सहायक कारापाल के पद पर की गयी है का विवरण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद जिस पर पदोन्नत किया गया	पदोन्नति आदेश की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री करणसिंह	कनिष्ठ लिपिक	14-8-70
2.	श्री मंगलसिंह	"	6-9-71
3.	श्री इब्राहीम	"	7-9-71
4.	श्री मोमीन खां	"	6-10-71
5.	श्री रमेशचन्द्र जोशी	"	"
6.	श्री सुरेश बहादुर सक्सेना	"	"
7.	श्री अब्दुल रजाक	"	"
8.	श्री प्रेमसिंह	"	"
9.	श्री उमेश भार्गव	"	"
10.	श्री पदमसिंह	"	"
11.	श्री प्रतापसिंह	"	"
12.	श्री रोशनलाल	"	"
13.	श्री फतेहसिंह	"	"
14.	श्री राजेन्द्र कुमार	"	"
15.	श्री नरपतसिंह	"	17-1-72
16.	श्री ज्ञान प्रकाश	"	2-9-72
17.	श्री नरेन्द्रसिंह	"	29-6-72
18.	श्री बजरंगसिंह	"	5-2-74
19.	श्री हाकमसिंह	"	1-3-74
20.	श्री रणवीरसिंह	"	14-8-74
21.	श्री दिलिपसिंह	सहायक कारापाल	16-9-71
22.	श्री भैरूसिंह	"	17-9-71
23.	श्री महीवर्द्धनसिंह	"	9-11-71
24.	श्री खादीम अली	"	9-11-71
25.	श्री राजेन्द्र कुमार	"	14-8-72
26.	श्री मन्सुर अहमद	"	9-11-72
27.	श्री लक्ष्मणसिंह	"	16-12-72
28.	श्री सुधीरचन्द त्यागी	"	29-10-74

परिशिष्ट--"ब"

कारागार विभाग में गत पांच वर्षों (वर्ष 70 से 74 तक) पदोन्नत किये गये राजपत्रित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पूर्व पद	पद जिस पर पदोन्नत किया गया	पदोन्नति आदेश की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री वीरसिंह	अधीक्षक ग्रेड-1	उपमहानिरीक्षक कारागार	15-6-70
2.	श्री भंवरसिंह	अधीक्षक ग्रेड-2	अधीक्षक ग्रेड-1	13-9-71
3.	श्री रामानुज शर्मा	,, ,,	,, ,,	13-9-71
4.	श्री रामाकान्त सक्सेना	,, ,,	,, ,,	13-9-71
5.	श्री रामदयाल शर्मा	कारापाल	उपाधीक्षक	15-10-71
6.	श्री ब्रह्मदेव त्यागी	,,	,,	,,
7.	श्री भवानीसिंह	,,	,,	,, (बाद में रिवर्ट कर दिए गए)
8.	,, फतेहसिंह	,,	,,	15-10-71
9.	,, वीरसिंह	उप-महानिरीक्षक, कारागार	महानिरीक्षक, कारागार	26-7-73
10.	,, भूरसिंह	अधीक्षक ग्रेड-1	उपमहानिरीक्षक ,,	26-7-73
11.	,, भवानीसिंह	कारापाल	उपाधीक्षक	26-7-73
12.	,, मदनलाल गोयल	अधीक्षक ग्रेड-2	अधीक्षक ग्रेड-1	23-8-73
13.	,, रामदेवसिंह	उपाधीक्षक	,, ग्रेड-2	24-8-73
14.	,, लेखराम	,,	,,	,,
15.	,, मुश्ताक अहमद अन्सारी	,,	,,	,,
16.	,, रामदयाल शर्मा	,,	,,	12-9-73 (बाद में रिवर्ट कर दिये गये)
17.	,, सवाई सिंह	कारापाल	उपाधीक्षक	12-9-73
18.	,, रायसिंह	,,		,, (बाद में रिवर्ट कर दिये गये)
19.	,, शम्भूसिंह	उपाधीक्षक	अधीक्षक ग्रेड-2	24-8-73
20.	,, रामदयाल शर्मा	,,	,,	8-10-74
21.	,, रायसिंह	कारापाल	,, ,,	2-11-74
22.	,, रैखसिंह	,,	उपाधीक्षक	20-11-74

नोट:—राजपत्रित अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेशों के द्वारा ही पदोन्नत किया जाता है।

तहसील राजगढ़ में खनिज सर्वे

271. श्री हरिकिशन (राजगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ़ (अलवर) में सबसे अधिक खनिज सम्पदा है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी खनिज सम्पदा है ? सूची पेश करने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने तहसील राजगढ़ में खनिज सम्पदा का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से मिनरल डिपोजिट्स कितने कितने क्षेत्र में कितनी मात्रा में कहां कहां उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो अब तक सर्वेक्षण नहीं कराये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार तहसील राजगढ़ व अलवर जिले के अन्य भागों का विस्तार-पूर्वक सर्वेक्षण डिटेल्ड सर्वे कराने के लिए कस्बा राजगढ़ में जिओलोलिस्ट का कार्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ जिला अलवर खनिज सम्पदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। जो खनिज वहां उपलब्ध हैं उनकी सूची सदन की मेज पर दी गई है।
(सूची–1)

(2) जी हां, जो खनिज सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त हुए हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।
(सूची–2)

(3) जी नहीं।

सूची–1

तहसील राजगढ़ जिला अलवर में उपलब्ध खनिज की सूची

1. बैराईटीज	7. क्वार्टस
2. संगमरमर	8. फेल्सपार
3. चूने का पत्थर	9. चाइनाक्ले
4. तांबा	10. फायरक्ले
5. केलसाईट	11. सोपस्टोन
6. डोलोमाईट	12. सिलिकासेण्ड

सूची–2

तहसील राजगढ़ जिला अलवर में प्राप्त खनिज का विवरण

ग्राम	खनिज	उपलब्धि
नारायणी	सिलिकासेण्ड	82 हजार टन
रामसिंहपुरा	बैराईटीज	1450 टन
नांगल	चाईटक्ले	यह निम्न श्रेणी की है।
बलदेवगढ	चूने का पत्थर	यह डोलोमेटिक है।
कालीधाटी	बेराईटीज	आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त है।
घाटरा मलाना	ऊंचे किस्म का चुने का पत्थर	इस क्षेत्र से लिये गये नमूने की जांच की जा रही है।

गोलाका बास भानुगढ़ क्षेत्र में खनिज सर्वेक्षण कार्य किया गया परन्तु उत्साहजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

सिलीबारी–जैतपुर क्षेत्र के कुओं में क्ले के चिन्ह पाये गये हैं। इस क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है।

पंचायत समिति क्षेत्र पदमपुर में बनाये गये पक्के खाले

272. श्री गुरदयालसिंह संधु (श्री करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि गत बजट सेशन सन् 1974 में पंचायत मंत्री द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था कि पंचायत समिति, पदमपुर क्षेत्र में जो पक्के खाले बनाए गए हैं उनकी जांच करवा दी जावेगी ? अगर हां, तो आज तक जांच न होने का क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सच है कि विकास अधिकारी, पदमपुर अपने पद का दुरुपयोग करके जांच नहीं होने देता ?

(ग) क्या यह सच है कि क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत पंचायत समिति, पदमपुर द्वारा बनाए खाले अधिकतर टूट चुके हैं जैसे चक 50 आर. बी. व 4 डी. डी. व 40 आर. बी. आदि ?

(घ) क्या सरकार उपरोक्त मामले की शीघ्र जांच करवाएगी और उससे पहले विकास अधिकारी को पंचायत समिति, पदमपुर से दूर स्थान पर तब्दील करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्थान नहर क्षेत्र के लिये मण्डी विकास निगम

273. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में सरकार ने राजस्थान नहर क्षेत्र में मण्डी विकास हेतु मण्डी विकास निगम की स्थापना पन्द्रह दिनों के भीतर करने का आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो क्या उसकी क्रियान्विति की गई ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि बेरियावाली उर्फ खाजूवाला के आस पास के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली कृषि पैदावार के विपणन (मार्केटिंग) की कोई व्यवस्था नहीं है तथा कृषकों को अपनी पैदावार अनूपगढ़ या बीकानेर ही ले जानी होती है जिससे छोटे काश्तकारों को भारी नुकसान व परेशानी उठानी पड़ती है ? अगर हां, तो उपरोक्त स्थान पर मण्डी आबाद करने की रफ्तार को तेज क्यों नहीं किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नहर क्षेत्र एवं भाखरा क्षेत्र की मंडियों में विकास के लिए उपयुक्त संगठन के प्रस्ताव मंत्रि-मंडल की उप समिति को विचारार्थ सौंपे गये थे। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रि-मंडल को प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

(2) जी हां। समस्या के समाधान हेतु बेरियावाली को मंडी घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला झालावाड़ में डी. ए. पी. की खाद का घोटाला

274. श्री मोठालाल (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि गत साल झालावाड़ जिले में एक विभागीय जांच के

(श्री मीठालाल)

दौरान कई अधिकारियों, सरपंचों व ग्राम सेवकों की मिली-भगत से एक हजार बोरी सरकारी डी. ए. पी. खाद के घोटाले का मामला सामने आया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के नाम सहित सम्पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जांच होने के उपरान्त भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डी. ए. पी. के वितरण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि, कोटा के द्वारा की जा रही है।

(2) जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायगी।

बूंदी तहसील के श्रमिकों को खनिज पट्टे

275. श्री राजेन्द्र भारतीय (बूंदी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में छोटे खनिज श्रमिक को केवल 100|– रु. में छोटे छोटे एरिया में खनिज पट्टा दिया जाता है ? यदि हां, तो उन्हीं के पड़ोसी क्षेत्र बूंदी तहसील में श्रमिकों को उक्त प्रकार के खनिज पट्टे क्यों नहीं दिये जाते हैं।

उत्तर

जी हां। किन्तु ये आर. सी. आर. एल. हैं व एतिहासिक कारणों से उक्त इलाके में प्रचलित हैं। खनिज सम्पदा के साइन्टिफिक एक्सप्लोईटेशन (Scientific Exploitation) तथा पट्टों की इकोनोमिक वायाबिलिटी (Economic Viability) को ध्यान में रखते हुए राज्य की नीति आर. सी. आर. एल. को हतोत्साह (Discourage) करने की है। इसी आधार पर कोटा क्षेत्र में पट्टियों की किस्म व उपलब्धि आदि ध्यान में रखते हुए कम से कम 120×60 मीटर के क्षेत्र खनन् पट्टों के रूप में दिये जाते हैं।

तहसील बैराठ (विराट नगर) को सहायक जिलाधीश के अधिकार

276. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील बैराठ (विराट नगर) के तहसीलदार को स्थायी रूप से सहायक जिलाधीश के अधिकार प्राप्त हैं ? यदि हां, तो तहसील विराटनगर के राजस्व सर्किल अमरसर, शाहपुरा एवं मैड क्षेत्र के मुकदमों को अन्यत्र स्थानान्तरित करके नवीन एवं पुराने मुकदमों की सुनवाई से वंचित क्यों कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सच है कि जिस दिनांक से यह मुकदमें स्थानान्तरित किये गये हैं–तब से अब तक इन मुकदमों की कोई सुनवाई नहीं हुई है ? क्या इस व्यवस्था को राज्य सरकार न्याय की दृष्टि से उचित समझती है ?

Page No. 106

106

(श्री हनुमान प्रसाद व्यास)

(3) क्या यह सच है कि एस. डी. भो. हैड क्वार्टर एक कोने पर स्थित है, जिससे जनता को न्याय प्राप्त करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है? यदि नहीं, तो ग्राम धवली से कोटपूतली कितनी दूरी पर है और आने जाने की क्या सुविधायें हैं?

(4) क्या सरकार पुनः सहायक जिलाधीश, बैराठ (विराट नगर) को अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार, बैराठ को सहायक जिलाधीश के अधिकार प्राप्त हैं। राजस्व सर्किल अमरसर, शाहपुरा एवं मैड़ क्षेत्र के मुकदमों को सुनवाई उप-जिलाधीश, कोटपूतली द्वारा शाहपुरा की जाती है।

(2) यह गलत है।

(3) यह सच है कि परगना अधिकारी, कोटपूतली का हैडक्वार्टर कोटपूतली है जो उप-खण्ड के एक कोने पर है किन्तु परगना अधिकारी अपना न्यायालय हफ्ते में दो दिन बमुकाम शाहपुरा पर करते हैं, अतः बैराठ तहसील की जनता को असुविधा का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ग्राम धवली कोटपूतली से 48 मील दूर है, और बस की सुविधा है।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

लेवी न देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

277. श्री मूलचन्द सामरिया (दोसा): क्या खाद्य व पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में गत वर्ष रबी की फसल में कितना अनाज लेवी के रूप में वसूल किया गया?

(2) राज्य में किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध लेवी न देने के कारण केसेज दर्ज कर चालान किया गया?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त केसेज राज्य की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर वापिस लेने का विचार रखती है?

(4) यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आपसी तनाव के कारण झूठे मुकदमें बनाये गये हैं?

उत्तर

(1) व्यापारियों से 20213–5 टन एवं उत्पादकों से 99293–4 टन कुल 1,19,606–9 टन गेहूं लेवी के रूप में वसूल किया गया है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जिन किसानों ने लेवी नहीं दी परन्तु 15–3–75 तक भी दे देंगे तो उनके विरुद्ध दायर मुकदमें वापिस ले लिये जावेंगे। इसके लिए दिनांक 24–2–75 को

(मन्त्री, खाद्य व पूर्ति)
निर्देश समस्त जिलाधीशों को दिये जा चुके हैं।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर में भू-खण्डों का आवंटन

278. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर को किन किन श्रेणी के लोगों के भू-खंडों लिए आवेदन-पत्र कब कब डिपोजिट एलॉटमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त हुए?

(2) उपरोक्त आवेदकों में से किन किन श्रेणी के लोगों को कितने कितने भू-खण्ड कब कब आवंटित किये जा चुके हैं?

(3) शेष रहे आवेदकों को किस प्रकार और कब तक भू-खंड आवंटित कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) नगर विकार न्यास, जोधपुर द्वारा अप्रेल, 73 से दिसम्बर, 74 तक निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र डिपाजिट एलॉटमेंट योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुए:—

(1) श्रेणी जनरल	2669
(2) श्रेणी आर्मी	246
(3) अनुसूचित जाति व जन जाति	436
कुल योग:-	3351

(2) नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा जनवरी, 74 से अक्टूबर, 74 तक डिपाजिट एलॉटमेंट योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से निम्न प्रकार से प्लाट आवंटन किये:—

(1) जनरल श्रेणी	475
(2) आर्मी श्रेणी	109
(3) अनुसूचित जाति व जन जाति	86
	670

(3) शेष रहे आवेदकों को एक वर्ष के अन्दर भू-खण्ड आवंटन कर देने की संभावना है।

परिवार नियोजन के लिए केन्द्र से प्राप्त एम्बेसेडर कार

279. **श्री रामकिशन** (भरतपुर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 एम्बेसेडर कार जिनकी कीमत लगभग पांच लाख थी, सन् 72 से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन को उपलब्ध कराई गई जो कि सन् 72 से ही स्वास्थ्य यातायात संगठनों में बिना काम किये खुले मैदान में पड़ी हैं?

(श्री रामकिशन)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वाहन राजस्थान के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पाई और वाहनों में शुरू से कमियां पाई जाने के कारण इन्हें वापिस करने को राज्य सरकार को सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने और उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा 25 एम्बेसेडर कार चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग को सन् 1972 में उपलब्ध कराई गई थी। इनके लिये छायादार स्थान भारत सरकार से निर्माण कार्य के लिये राशि तथा नक्शों की स्वीकृति न मिलने के कारण नहीं उपलब्ध कराया जा सका। चूंकि इन कारों में बहुत सी कमियां पाई गईं तथा इन्हें भारत सरकार को लौटाने का निर्णय लिया गया अतः इन्हें पूरी तरह काम में नहीं लिया जा सका।

(2) जी हां, वाहनों में कमियां पाई जाने के कारण इन्हें वापिस करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश की गई तथा तदनुसार भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा इन वाहनों को वापिस लेने के लिए लिख दिया गया। पांच वाहन वापिस ले लिये गये हैं। बाकी के बारे में भारत सरकार का उत्तर अपेक्षित है।

अजमेर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत शुरू किये गये कार्य

280. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को केन्द्र से कितनी राशि सन् 73 और 74 में प्राप्त हुई है ?

(2) उक्त जिले की प्रत्येक पंचायत में सन् 73 और 74 में कितना-कितना पैसा उक्त प्रोग्राम में खर्च किया ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या उक्त मद में मिला पैसा हर वर्ष काम में लिया गया या पैसा बिना खर्च किये लैप्स हो गया ? यदि लैप्स हुआ तो कितना और किस अधिकारी की वजह से और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) राज्य के प्रत्येक जिले में सन् 71—72 और 73 में इस मद में कितना पैसा दिया गया तथा कितना खर्च हुआ ?

(5) क्रेश प्रोग्राम के तहत लगे श्रमिकों की कितनी मजदूरी बकाया है और वह कब तक दे दी जायेगी।

(6) क्या यह सही है कि क्रेश प्रोग्राम के तहत शुरू किये गये बहुत से कार्य बहुत अधूरे पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन अधूरे कार्यों को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में फौजियों को आवंटित भूमि

281. श्री मोहर्रसिंह (सादुलपुर) : क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने फौजियों को (हाज़िर सर्विस वालों को-पेन्शनर्स को शाहदत प्राप्तों के वारिसान को) कहां-कहां कितनी-कितनी जमीन अलॉट की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला चूरू की विभिन्न तहसीलों की तीनों प्रकार की पेन्डिंग दरख्वास्तों की मय दरख्वास्त देहन्दाओं के नामों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे?

(स्थगित किया गया)

कन्ट्रोल रेट से सामान बेचने के लिए रिटेलरों की व्यवस्था

282. श्री दीपंकर (लाडनूं): क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांवों तथा शहरों में कन्ट्रोल रेट से बिकने वाले सामान को सुविधापूर्वक जनता को मुहैय्या कराने हेतु रिटेलरशिप के लिए सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का निश्चय राज्य सरकार का रहा है? अगर हां, तो इस मुतल्लिक जिला रसद अधिकारियों को कोई निर्देश क्या सरकार ने जारी किया है? अगर निर्देश जारी हुए हैं तो जिला स्तर पर उसकी पालना कहां तक हुई है?

(2) नागौर जिले में रसद विभाग ने कितने रिटेलर मुकर्रर कर रखे हैं? इनमें कितनी सहकारी समितियां हैं तथा कितने व्यक्ति रिटेलर हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के निर्देशन के विपरीत सहकारी समितियों के मुकाबले निजी व्यक्तियों को कोटा दिये जाने में लेन-देन (रिश्वत) का बाजार काफी गर्म रहा है? जिससे सहकारिता का कार्य पिछड़ गया है? अगर हां, तो सहकारिता के विकास के बाधक स्वरूप अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) नियंत्रित दर से विक्रय होने वाली वस्तुओं के रिटेलरशिप के लिए सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने के लिये राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये हैं। जिसकी जिला स्तर पर यथा सम्भव पालना की गई है। राज्य में 10,302 रिटेलर है जिनमें से 2885 रिटेलर सहकारी संस्थायें हैं।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर-जोधपुर डीलक्स बस दुर्घटना से क्षति एवं उसका मुआवजा

283. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर-जोधपुर डीलक्स बस का जोधपुर जाते समय

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

एक्सीडेंट डांगियावास से पास हो गया था ? यदि हां, तो किस तिथि व समय को हुआ एवं एक्सीडेंट का कारण क्या था ?

(2) उक्त दुर्घटना में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुये ? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निगम द्वारा घायल व मृतक व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना मुआवजा दिया गया, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तारीख 21–10–74 को दोपहर के बाद 3 बजकर 15 मिनट पर ट्रक चालक की गलती से गलत साइड आकर टक्कर मारने से हुआ था।

(2) इस दुर्घटना में ट्रक के चालक व उसमें बैठे एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा बस के ड्राईवर सहित 8 व्यक्ति घायल हुए। इनके नाम व पतों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। क्योंकि किसी भी यात्री ने नियमानुसार न्यायालय में निगम के विरुद्ध क्लेम प्रस्तुत नहीं किया।

सूची

1. श्री नन्द लाल	ट्रक ड्राईवर	मृत
2. श्री पूना राम	ट्रक यात्री	मृत
3. श्री ज्ञान चन्द	बस ड्राईवर	घायल
4. श्री सुखलाल, झुन्झुनू	बस यात्री	,,
5. श्री सत्यनारायण, ब्यावर	,,	,,
6. श्री चन्दीदान, बोरुन्दा	,,	,,
7. श्री दिनेश्वरसिंह, ब्यावर	,,	,,
8. श्री चरण बल्लभ, दिल्ली	,,	,,
9. श्री सिकन्दर बेग, भीलवाड़ा	,,	,,
10. श्री नवरतन शर्मा, नसीराबाद	,,	,,

नागौर जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त पद

284. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में किस किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने पंचों, उप सरपंचों एवं सरपंचों के पद कब-कब से किस किस कारण से रिक्त हुए पड़े हैं ?

(2) नागौर जिले की पंचायत समितियों में सहवृत अनुसूचित जाति में सदस्यों महिला सहवृत सदस्यों एवं सहकारी समितियों के प्रतिनिधि सहवृत सदस्यों में कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से सदस्य पद धारण कर रहे हैं एवं कितने पद कब से किस कारण से रिक्त हैं ?

(3) नागौर जिले की पंचायत समितियों में प्रत्येक में कितनी कितनी स्थायी समितियां हैं, एवं उनकी पिछले 5 वर्षों में बैठकें कब-कब हुई ?

(4) नागौर जिले की पंचायत समितियों की ग्राम सभाओं की बैठकें किस-किस तारीख को तारीख 1–1–66 के बाद तारीख 31–12–74 तक सम्पन्न हुई हैं ?

(5) पंचायत समितियों को साधारण बैठकों एवं स्थायी समितियों की बैठकें बुलाने का अधिकार किस को है एवं बैठकें नहीं करने पर क्या कार्यवाही कौन करता है ?

(स्थगित किया गया)

निगम की बसों से यात्रियों को असुविधा

285. **श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई हिस्सों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चालू की गई हैं ? यदि हां, तो जनवरी 1974 से दिसम्बर, 1974 तक किन किन मार्गों पर कहां कहां के लिए बसें चालू की गयीं ? इनका प्रस्थान एवं गन्तव्य स्थान पर आगमन के समय सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस चालू वर्ष बसों में स्टेपनी शिकायत पुस्तिका औजार, फर्स्ट ऐड बाक्स व अन्य सामान आदि की उचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है तथा इनके अभाव में यात्रियों को कठिनाई नहीं होती यदि हां, तो बसों में मुकम्मिल व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक जिन जिन मार्गों पर निगम की बसें चालू की गई हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रखदी गई है। इन मार्गों की बसों के आवागमन की तालिका भी सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। थोड़े समय के लिये टायर एवं रिमों की कमी के कारण बसों में स्टेपनी का अभाव था। लेकिन अब सभी बसों में स्टेपनी दी जाती है। परिचालकों को शिकायत पुस्तिका एवं फर्स्ट एड बाक्स दे दिये जाते हैं। इस व्यवस्था में और भी सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।

Statement of Routes Buses operated by RSRTC w.e.f. January, 74 to December, 74.

S.No.	Name of routes.
1	2
1.	Udaipur-Parshad-Rikhabdeo. Udaipur-Parshad-Kherwara-Dungarpur. Udaipur-Kherwara-Ratanpur. Dungarpur-Ratanpur.
2.	Pilani-Bhadra via Hamirwas-Harpalu. Rajgarh-Taranagar-Sahwa. (a) Pilani-Rajgarh. (b) Rajgarh-Sahwa. (c) Taranagar-Bhadra. (d) Sahwa-Bhadra. (e) Taranagar-Rajgarh.
3.	Tonk-Sawaimadhopur via Chandlai. Kakor-Uniara-Aligarh-Choru-Kustala. (a) Tonk-Aligarh.
4.	Rawatsar-Bhadra via Nohar (a) Rawatsar-Nohar (b) Nohar-Bhadra.
5.	Jodhpur-Barmer via Kalyanpura-Pachpadra. Balotra-Sindhari-Chawa. (a) Jodhpur-Balotra. (b) Jodhpur-Kalyanpura. (c) Balotra-Barmer. (d) Jodhpur-Jaisalmer. (e) Jodhpur-Ramdeora. (f) Jaisalmer-Pokran. (g) Jodhpur-Phalodi. (h) Jodhpur-Jalore. (i) Ahore-Jalore.

1	2	
6.	Udaipur-Beawer via Kailashpuri Delwara-Nathdwara-Kankroli-Gomti Dever Kamalghat-Choraha-Kamlighat-Devgarh. Barar-Bhim-Jassajera	
	(a) Udaipur-Bhim	
	(b) Udaipnr-Kankroli	
	(c) Udaipur-Nathdwara	
	(d) Udaipur-Kamlighat	
7.	Udaipur-Bhilwara via Kailashpuri Nathdwara-Kankroli-Gangapur	
	(a) Bhilwara-Kankroli	
	(b) Bhilwara-Pur	
	(c) Bhilwara-Gurla	
	(d) Bhilwara-Karai	
	(e) Gangapur-Kankroli	
	(f) Udaipur-Kailashpuri	
	(g) Udaipur-Gomti	
	(h) Nathdwara-Gomti	
	(i) Gomti-Bhim	
	(J) Devgarh-Bhim	
	(k) Bhim Beawer.	
	(l) Beawar-Sanwa (Bhilwara-Churu)	
8.	Rajgarh-Churu via Hadial-Dudu-Aslu	83
9.	Jaipur-Beawer via Sanganer-Diggi-Nagola-Masuda.	195
	(a) Jaipur-Kekri	
	(b) Jaipur-Sanganer.	
	(c) Jaipur-Rainwal.	
	(d) Jaipur-Phagi.	
	(e) Jaipur-Nimhere.	
	(f) Diggi-Malpura.	
	(g) Jaipur-Malpura.	
	(h) Malpura-Kekri.	
	(i) Kekri-Nagola.	

1		2	
	(j)	Masuda-Beawer.	
	(k)	Kekri-Beawer	
10.		Bikaner-Anupgarh via Larhasar-Chattargarh-Gharsana.	169
		Gharsana-Anupgarh via Phatrora	
	(a)	Bikaner-Chattargarh via Larhasar	7
11.		Jodhpur-Phalodi via Mandore-Chopasni Mathania-Umednagar-sian-Samora-Lohawat Shatansinghnagar.	13
	(a)	Jodhpur-Osian.	
	(c)	Jodhpur-Lohawat.	
12.		Nagaur-Phalodi via Chadi	167
13.		Barmer-Jaisalmer via Kapoori-Neemla-Shio-Gunga-Lathegarh—Devikot-Harchandi,	162
		Barmer-Chohtan via Khurja-Neemri-Akora-Dodwa.	53
	(a)	Barmer-Ginga.	
		Barmer-Gadra Road via Marori-Atmagaom-Bhashar-Ramsar-Gagaria.	85
14.		Nakora-Jalore via Balotra-Asotra Siwana-Makulsar-Belawara.	90
	(a)	Nakora-Siwana.	
	(b)	Nakora-Mokulsar.	
	(c)	Jalore-Belawara.	
	(d)	Jalore-Bishangarh.	
15.		Sirohi-Anadra-Mandar.	38
		Sirohi-Kalandri-Ramseen.	45
		Sirohi Road-Sirohi-Ramseen.	70
		Falna-Sandrao-Takhatgarh-Jalore.	30
		Erinbura-Sumerqur-Takhatgarh-Jhalore.	134
		Jodhpur-Nagaur.	50
		Nagaur-Nokha.	,, 64
		Jodhpur-Bikaner.	

1	2	3
16.	Mandar-Barmer via Raniwara.	210
	Mandar-Sanchore via Sanchore—Tandaw	105
	(a) Raniwara-Barmer.	
	(b) Sanchore-Barmer.	
	(c) Sanchore-Tandaw.	
	(d) Barmer-Dhorimanna.	
	(e) Jalore-Sanchore.	
	(f) Jalore-Bhinmal.	
	(g) Barmer-Jalore.	
17.	Jaipur-Pilani via Chomu, Sikar-Nawalgarh	229
	Mukandgarh-Jhunjhunu-Chirawa.	
	Chirawa-Kekri via Singhana	
	Jhunjhunu-Chirawa-Khetri	
	Pilani-Khetri via Chirawa Singhana	
	Jhunjhunu-Sikar via Mukandgarh-Nawalgarh	
	Jhunjhunu-Pilani via Chirawa	
	(a) Chirawa-Khetri	
	(b) Jaipur-Chomu	
	(c) Jaipur-Reengus	
	(d) Jaipur-Sikar	
	(e) Nawalgarh-Jhunjhunu	
	(f) Nawalgarh-Mukandgarh	
	(g) Mukandgarh-Jhunjhunu	
	(h) Mukandgarh-Pilani	
	(i) Pilani-Khetri.	
18.	Jajpur-Padampura via Shivdaspura	7
	Jaipur-Watika via Sanganer	5
	Jaipur-Goner	5
	Jaipur-Kotkhawada via Sanganer	18
19.	Jaipur-Bichun via Mehla	5
	Jaipur-Shambhar via Dudu	31
	Jaipur-Jobner via Mehla	20
20.	Jaipur-Amer	

1	2	
21.	Jaipur-Bikaner via Chomu-Sikar-Salasar-Sujangarh Nokha	205
	Bikaner-Salasar via Deshnok-Nokha Sujangarh	
	Bikaner-Nonkha via Deshnok	
	Sujangarh-Chhapar-Bidasar	
	Jaipur-Sikar via Chomu-Reengus	
	Jaipur-Chomu.	
22.	Jaipur-Bikaner via Chomu-Sikar-Fatehpur	237
	Ratangarh-Dungargarh	
	Jaipur-Fathepur via Chomu-Sikar	
	Sikar-Ratangarh via Laxmangarh-Fatehpur	
	Bikaner-Dungargarh via Gusalsar-Jodhasar	
	Bikaner-Ratangarh via Dungargarh	
23.	Bharatpur-Ballabhgarh via Banswara	16
	Bharatpur-Nadbai via Sawar	13
24.	Bundi—Keshoraipatan via Talera-Suwasa	29
	Telara-Keshoraipatan via Suwasa.	

(117)

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 257 की सूची)

बोर्ड ने जवाहर नगर कालोनी में अभी तक गांधी गृह टाईप के मकानों का विक्रय हेतु निर्माण कार्य नहीं किया है। इस कालोनी में प्रदर्शन हेतु केवल दो गांधी गृह के मॉडल मकान बनाये गये जो आवंटन के लिए नहीं हैं। बोर्ड ने गांधी गृह मकान की योजना वर्ष 1973 में ही बनाई है और इस प्रकार से सन् 1973 के बाद जिन जिन नई कालोनियों में मकान बनाने का प्रावधान किया है उनमें गांधी गृह अवश्य रूप से रक्खे हैं।

वर्तमान जिन कालोनियों में गांधी गृह बन रहे हैं उनका विवरण इस प्रकार है:–

शहर का नाम	कालोनी का नाम	गांधी गृह की संख्या
जोधपुर	चौपासनी स्कीम	258
कोटा	इन्स्ट्रुमेन्टेशन	220
अजमेर	अजय नगर	129
बीकानेर	नाग नेचीजी	140

गांधी गृह, दो कमरे, एक शौचालय स्नान व रसोईघर का स्थान व चौक सहित एक छोटा मकान है। प्लाट का कुल क्षेत्रफल 42 वर्गमीटर है और निर्मित क्षेत्रफल 21 वर्गमीटर है।

Page No. 118

(118)

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 258 की सूची)

निगम द्वारा खरीदे गये चैसिसों की तालिका

S. No.	Year	Chassis				Total
		L/L	T.M.S.	Dodge	Bedford	
1.	1965–66	28	--	—	—	28
2.	1966–67	57	14	—	—	71
3.	1967–68	15	1	1	--	17
4.	1968–69	12	12	—	—	24
5.	1969–70	—	—	—	—	--
6.	1970–71	35	31	4	--	70
7.	1971–72	65	80	28	2	175
8.	1972–73	45	70	—	—	115
9.	1973–74	145	262	--	—	407
10.	1974–75	65	119	—	—	184
11.	1974–75 (upto 28–2–75)					
	Total	467	589	34	2	1091

(119)

ANNEXURE

VEHICLE POSITION OF R. S. R. T. C. AS ON 31.12.74

S.No.	Name of Depot	Leyland	Tata	Dodge	Bedford	Total
1.	Jaipur	52	91	—	2	145
2.	C. T. S.	—	60	36	—	96
3.	Alwar	44	—	—	—	44
4.	Bharatpur	44	—	—	—	44
5.	Kota	59	—	—	—	59
6.	Jhalawar	48	—	—	—	48
7.	Ajmer	28	38	—	—	66
8.	Tonk	21	—	—	—	21
9.	Beawar	22	—	—	—	22
10.	Jodhpur	33	44	—	—	82
11.	Barmer	—	23	—	—	23
12.	Jalore	—	23	—	—	23
13.	Falna	—	9	—	—	9
14.	Sirohi	—	27	—	—	27
15.	Abu Road	—	41	—	—	41
16.	Dungarpur	34	—	—	—	34
17.	Udaipur	25	43	—	—	68
18.	Bikaner	—	60	—	—	60
19.	Ganganagar	64	—	—	—	64
20.	Hanumangarh	—	41	—	—	41
21.	Sikar	—	43	—	—	43
22.	Pilani	—	37	—	—	37
23.	Khetri	22	—	—	—	22
	Total	501	580	36	2	1119
	C. W. S.	20	13	1	—	[illegible]
	Total	521	593	37	2	1153
	Unallotted	10	17	—	—	27
	Grand Total	531	610	37	2	1180

परिशिष्ट 4

(अ. ता. प्र. सं. 117 की सूची)

बीकानेर जिले में कार्यरत खादी संस्था व समितियों की सूची

क्रमांक	नाम संस्था । समिति	पदाधिकारी के नाम	रजिस्ट्रेशन वर्ष	कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष	प्रमाण-पत्र समिति द्वारा स्वीकृत कार्यक्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1—	खादी मंदिर बीकानेर	मंत्री—श्री ईश्वर प्रसाद गोयल अध्यक्ष—पद रिक्त	1943	1948	बीकानेर पंचायत समिति में— लूणकरणसर, दतांर, अमरपुरा, सवासर, करनीसर, कालासर, जांमसर मालासर, कनियां, हावास, सरेरा, गुसाईंसर, नौरंगदेसर, तेवरासर, गांड़वाला, शिववाड़ी, उंदासर, बबूलेरिंउगलसर, नापासर, ग्राम पंचायत, बीकानेर नगरपालिका के खुले क्षेत्र ।
2—	खादी ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान	मंत्री—श्री देवीदत्त पंत अध्यक्ष—श्री मदन लाल खेतान	1954	1954	बीकानेर, देशनोक, नोखा, जसरासर, पांचू कुचौर, नापासर. गंगानगर, जयसिंह देसर, परनोक, चौरखाना ।
3—	ऊनी खादी ग्रामोद्योग संस्थान	मंत्री—श्री पेमसुख तोषनीवाल	59-60	60—21	पंचायत समिति कोलायत पंचायत समिति बीकानेर के अन्तर्गत नालगढ़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र तथा बीकानेर शेहर का खुला क्षेत्र ग्राम पंचायत जयमलसर का क्षेत्र केवल कताई हेतु ।

1	2	3	4	5	6
4	किसमीदेसर खादी व ऊन कताई बुनाई सह. स. लि.	अध्यक्ष–श्री मतमाल गर्ग	62–63 (30–7–62)	63–64	ग्राम किसमी देसर पूरी पंचायत–उदारामसर, गंगाशहर, बच्छासर किसमीदेसर, स्वरूपदेसर।
5	भीनासर खादी व ऊन कताई बुनाई सह. स. लि.	अध्यक्ष–श्री किसना राम	59–60 (5–1–60)	61–62	गंगाशहर व भीनासर नगरपालिका जिला बीकानेर की पंचायत समिति के अन्तर्गत अर्म्शसर, ग्राम पंचायत सुजान देसर, श्री रायसर, पलाना।
6	बीकानेर खादी व ऊन कताई बुनाई सह. स. लि.	अध्यक्ष–श्री दूना राम	60–61	67–68	नगरपालिका बीकानेर
7	प्रगतिशील खादी व ऊन कताई बुनाई सह. स. लि.	अध्यक्ष–श्री लिखमा राम	64765	68–69	बीकानेर शहर का खुला क्षेत्र
8	देशनोक खादी व ऊन कताई बुनाई सह. स. लि.	अवसायक	60–61	61–62	समिति अवसायन में आने के कारण प्रमाणित क्षेत्र निरस्त कर दिया गया है।
9	उदासर खा. व ऊ. कताई बु. सह. स.	अवसायक	60–61	61–62	,,
10	किलचू खादी व ऊन कताई बु. सह. स.	अवसायक	65–66	66–67	,,
11	देसलसर खादी व ऊन क. बु. सह. स. लि:	अवसायक	62–63	64–65	,,
12	नापासर खादी व ऊ. क. बु. सह. स.	अध्यक्ष–श्री खेतराम	64–65	65–66	नापासर, अर्जुनकावास, रामसर, कल्याणसर बड़ा कल्याणपुरा उधराधा, कल्याणपुरा, अगूणा, देवासर।

परिशिष्ट 5

(प्रता. प्र. सं. 120 की सूची)

(मात्रा टनों में)

नाम माह	केन्द्र से की गई मांग		केन्द्र से प्राप्त आवंटन	
	गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज
सितम्बर, 74	15,000	20,000	10,000	8,000
अक्टूबर, 74	15,000	20,000	12,000	18,000
नवम्बर, 74	25,000	35,000	17,000	18,000
दिसम्बर, 74	25,000	35,000	17,000	15,000
जनवरी, 75	25,000	35,000	17,000	15,000
फरवरी, 75	25,000	40,000	30,000	10,000

123

(मात्रा टनों में)

		सितम्बर–74		अक्टूबर–74	
क्र.सं.	नाम जिला	गेहूं	मोटा अनाज	गेहूं	मोटा अनाज
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1050	–	1250	1257–5
2.	अलवर	250	–	280	207–5
3.	बाड़मेर	120	750	140	900–0
4.	बूंदी	70	–	100	150–0
5.	बांसवाड़ा	115	1000	115	1500–0
6.	भरतपुर	275	300	425	608–5
7.	भीलवाड़ा	300	500	300	603–0
8.	बीकानेर	600	–	800	807–5
9.	चूरू	250	350	400	500
10.	चित्तौड़गढ़	140	400	220	300
11.	डूंगरपुर	100	1500	100	1500
12.	गंगानगर	50	100	350	305
13.	जयपुर	2400	–	2700	510
14.	जोधपुर	1195	900	1350	610
15.	जैसलमेर	75	450	100	750
16.	जालोर	65	100	100	500
17.	झुंझुनूं	125	–	250	300
18.	झालावाड़	125	300	125	400
19.	कोटा	120	–	500	207–5
20.	नागौर	150	500	275	700
21.	पाली	10	500	250	700
22.	सीकर	175	250	350	350
23.	सवाई माधोपुर	50	–	250	370
24.	सिरोही	125	500	180	850
25.	टोंक	140	75	201	403–5
26.	उदयपुर	700	1250	800	3510
	योग	8815	9725	11910	19200

(124)

(मात्रा टनों में)

नवम्बर–74 गेहूं	नवम्बर–74 मो.अ.	दिसम्बर–74 गेहूं	दिसम्बर–74 मो.अ.	जनवरी–75 गेहूं	जनवरी–75 मो.अ.	फरवरी–75 गेहूं	फरवरी–75 मो.अ.	गेहूं की प्रति. मांग माह फरवरी
7	8	9	10	11	12	13	14	15
1525	750	1725	500	1555	500	1650	425	380
450	180	440	100	410	250	495	100	110
250	1750	220	1250	223	1350	675	900	790
200	100	175	–	192	–	210	–	80
140	1500	120	1000	123	950	470	600	360
750	250	7250	250	735	150	800	100	–
475	800	475	500	510	500	750	350	460
925	1250	1115	1250	985	1250	1075	800	200
675	750	665	500	670	750	925	600	510
70	100	200	100	235	100	225	50	55
125	1500	120	1000	123	950	470	600	310
100	658	675	800	780	800	1000	400	125
3470	500	2900	150	3000	200	2950	150	155
1600	800	1800	800	1620	1150	1775	800	570
120	1550	120	1000	122	1000	420	550	70
120	1050	120	800	122	800	370	500	390
100	500	300	500	420	300	750	300	450
250	350.	225	–	227	–	230	–	–
1000	250	975	250	1185	–	850	–	–
450	700	425	700	428	600	625	375	500
650	1000	650	1000	657	1000	1010	600	450
550	350	525	350	578	300	675	290	510
450	350	450	350	453	250	450	200	160
225	1095	225	600	232	600	450	400	200
350	400	350	400	390	–	410	–	140
1000	1500	1200	1500	1025	1450	1250	1000	8350
1700	20295	17600	15650	17000	13350	20965	10000	8350

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 125 की सूची)

सम्बन्धित श्रमिक संघों द्वारा वर्ष 1966 से 1974 तक यात्रा मद में खर्च की गयी राशि सम्बन्धी तालिका

क्र.सं.	श्रमिक संघ का नाम व पंजीयन संख्या	वर्ष 1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
1.	जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर 12/56	रिटर्न उपलब्ध नहीं है			5447—	9109।—	सूचना उपलब्ध नहीं है।	21919—	रिटर्न प्राप्त नहीं हुए।	रिटर्न प्राप्त नहीं हुए।
2.	जिंक स्मेल्टर मजदूर संघ, उदयपुर 129/66	200।—	रिटर्न में सूचना अलग से नहीं दी गई है।	1299।—	2302।—	2212।—	5734।—	2163।—	,,	,,
3.	मिल मजदूर संघ भीलवाड़ा, 2/49	रिटर्न उपलब्ध नहीं है।		2123—	2321।—	2768।—	रिटर्न में उपलब्ध नहीं है। एवं	5524।— 8060।—	1011।—	,,
4.	राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, उदयपुर 137/65	रिटर्न में अलग से सूचना नहीं दी गई है।				1975।—	रिटर्न में सूचना नहीं दी गई।	2834।—	रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ	,, ,,
5.	उदयपुर सीमेन्ट मजदूर संघ, उदयपुर 111/69	पंजीकरण वर्ष 1969 में हुआ।			55।—	रिटर्न में सूचना अलग से, नहीं दी गई			,,	,,
6..	पेस्टीसाइड मजदूर संघ, उदयपुर 146/68	पंजीकरण वर्ष 1968 में हुआ।		406।—	रिटर्न में सूचना अलग से नहीं दी गई।				,,	,,
7.	सीमेन्ट फैक्ट्री मजदूर संघ, चित्तौड़गढ़	सूचना अलग से रिटर्न में नहीं दी गई है						रिटर्न प्राप्त नहीं हुआ।	,, ,,	,, ,,

× उक्त वर्ष में 2 रिटर्न प्राप्त हुए—एक श्री परमानन्द त्रिपाठी द्वारा व अन्य श्री बी. चौधरी द्वारा—दोनों की अलग 2 राशि दी गई है।

(126)

परिशिष्ट 7

(अता. प्र. सं. 129 की सूचा)

जिला सवाई माधोपुर

(लाख रुपये)

मद	आवंटन	
	1973–74	1974–75
1	2	3
1. कृषि कार्यक्रम	13.46	3.94
2. सहकारिता एवं सामुदायिक विकास	8.60	0.78
3. सिंचाई एवं विद्युत्	50.17	अनुपलब्ध
4. उद्योग एवं खनन्	0.42	1.29
5. यातायात एवं संचार	14.02	16.41
6. सामाजिक सेवायें	46.58	30.37
7. विविध	0.08	अनुपलब्ध
योग :—	133.33	52.79

नोट :— 1. वर्ष 1974–75 के जिला आवंटन के आंकड़ों में विद्युत्, पोषाहार, कार्यक्रम, सूचना एवं प्रसारण, शिक्षित बेरोजगारों को सहायता, राज्य एवं जिला स्तर के भवन व पिछड़े क्षेत्रों के विकास के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

2. मुख्यालय योजनाओं जिनका जिलावार विभाजन किया जाना सम्भव नहीं है, से सम्बन्धित अंक उक्त विवरण में सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट– 8

(अता. प्र. सं. 131 की सूची)

सूची-अभियोग जो कोटपूतली क्षेत्र में बनाये गये

क्र.सं.	घटना का दिनांक	उनवान	अभिगृहीत वस्तुओं की मात्र और विवरण
1	2	3	4
1–	5.10.73	श्री जमुना पुत्र हनुमान मीणा	एक घड़ा भरा वाश, एक पीपा, डेग एक नाल प्लास्टिक एक चरी पीतल
2–	,,	श्री रामचरण पुत्र हनुमान मीणा	एक घड़ा वास का भरा
3–	,,	श्री रामनाथ पुत्र गोविन्दा	चार बोतल शराब, नाजायज एक जरीकेन में।
4–	,,	श्री किशन सहाय पुत्र गोविन्दा	एक घड़ा भरा वाश का एक पीपा भट्टी
5–	,,	श्री मंगला पुत्र गणपति	एक पीपा डेग वाश का भरा
6–	,,	श्री रामनारायण पुत्र नामका मीणा	एक पीपा भट्टी, एक बबरी मिटटी
7–	,,	श्री रामनारायण पुत्र गणपत मीणा	एक घड़ा वाश भरा एक बबरी मिट्टी
8–	,,	श्री केशुराम पुत्र गणपती मीणा	एक घड़ा वाश का भरा एक पीपा मिट्टी
9–	,,	श्री दाना पुत्र सुरजमल	एक घड़ा भरा वाश जरीकेन एक में दो बोतल शराब नाजायज।
10–	,,	श्री ग्यारसा पुत्र गोरधन मीणा	एक घड़ा वाश का भरा, एक बबरी मिट्टी एक नाला रबर।
11–	,,	श्री हरीसिंह पुत्र खेराती मीणा	एक घड़ा वाश का भरा एक नाल प्लास्टिक इक्कीस बबरी मिट्टी।
12–	,,	श्री भगवत पुत्र हरपाल मीणा	3 बोतल शराब नाजायज एक कांच की बोतल में

1	2	3	4
13–	5-10-73	श्री माल्या पुत्र घासी	घड़ा वाश का भरा दो बोतल भरी शराब नाजायज।
14–	,,	श्री सोडिया पुत्र भूंथा	छः बोतल शराब नाजायज एक जरीकेन में
15–	,,	श्री पुरन पुत्र हजारी	एक घड़ा वाश का भरा
16–	,,	श्री सुल्ताना पुत्र खम्भा भिषा	दो घड़ा वाश का भरा
17–	,,	श्री करना पुत्र भज्जु मीणा	एक घड़ा वाश का भरा एक पीपा मिट्टी
18–	,,	श्री भूरा पुत्र भज्जु मीणा	दो घड़ा वाश का भरा
19–	,,	श्री हनुमान पुत्र भज्जु मीणा	एक घड़ा वाश का भरा, एक बबरी मिट्टी एक नाल बास
20–	,,	श्री दरपाली पुत्र बिरबल गुजर	एक घड़ा वाश का भरा
21–	,,	श्री लालचन्द पुत्र सूरजमल मीणा	100 एम एल शराब नाजायज एक पीपी भट्ठी
22–	,,	श्री धूडमल पुत्र करना मीणा	एक अधा शराब नाजायज।

परिशिष्ट–9

(तारा. प्र. संख्या–134 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

भू-राजस्व की मांग वसूली व शेष की स्थिति 12।74 जिला जयपुर

नाम तहसील	मांग			वसूली			अवशेष		
	बकाया	चालू	योग	बकाया	चालू	योग	बकाया	चालू	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बसवा	369835	543682	913507	26693	255902	282595	343132	287780	630912
दौसा	325881	664322	990203	33252	321773	355025	292629	342549	635178
सिकराय	294777	473931	768708	84821	239115	323936	209956	234816	444772
लालसोट	488542	580206	1068748	45976	261277	307253	442566	318929	761495
योग:—	1479025	2262141	3741166	190742	1078067	1268809	128283	1184074	2472357
बस्सी	389957	400268	790255	91691	189122	280813	298296	211116	509412

139

शुद्धि-पत्र

संख्या 1	क्रमाँक संख्या 2	पंक्ति 3	अशुद्ध 4	शुद्ध 5
1	1	नीचे से 6	मसय	समय
2	2	ऊपर शीर्षक	[संख्या अ	[संख्या 11 अ
3	2	नीचे से 2	एग्जामिनेशन	एग्जामिनेशन
7	15	ऊपर 13	बिचाराधीन	बिचाराधीन
8	26	नीचे से 12	(व्यपधान अश्रव्य)	(व्यवधान: अश्रव्य)
11	37	नीचे से 9	क्रि	कि
12	38	ऊपर से	कन्डीशन	कन्डीशन
13	38	नीचे से 13	बिडिंग	बिल्डिंग
14	38	नीचे से 8	सकें	सके
15	39	ऊपर	(योगेन्द्रनाथ हाण्डा)	(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
16	39	ऊपर 15	परचेंज	पर्चेज
17	39	नीचे से 13	34	3-4
18	41	ऊपर से 2	सलम	सक्षम
20	41	नीचे से 2	सेल्फ-पेनंटंग	सेल्फ मैन्टेंविंग
22	46	नीचे से 15	को	की रिपोर्ट
23	48	नीचे 12	इन्टिंन्सिव	इण्टेन्सिव
24	48	नीचे से 3	किये	किया
25	49	नीचे से 12, 13, 14	जो रिपोर्ट पेश की उस पर उच्च स्तरीय विचार करने के बाद	-
26	51	ऊपर से 2	क्लोय	क्लोय
27	51	नीचे 13	अन्तर्प्रातीय	अन्तर्प्रान्तीय
28	52	ऊपर से 1	ल	-नली
29	57	ऊपर से 14	ग्राय	ग्राम
30	58	नीचे से 4	आदेश	आदेशानुसार
36	81	ऊपर से 5	डूंगरगड़	डूंगरगढ़
37	97	नीचे से 3	रकार	सरकार
38	114	ऊपर से 4	कमिटियों	कमेटियों
39	115	ऊपर से 3	मणी	मण्डी

(131)

1	2	3	4	5
40	115	ऊपर से 5	भोंक्ताों	भोक्ताओं
44	127	नीचे से 3		–
45	128	ऊपर से 1	कही है	कही है आपने
47	133	ऊपर से 17	का	की
49	134	नीचे से 15	मडों	मण्डियों
50	144	नीचे से 1	नय	नया
51	155	ऊपर से 14	अनेक बार नहीं	–
52	160	ऊपर से 4	टट्टू	टट्टू
53	162	नीचे से 10	उसका	उसी की
54	162	नीचे से 9	बने	बनने
55	169	ऊपर से 15	सदस्य	सदस्यों
56	172	ऊपर से 8	सदस्य	सदस्यों
58	173	नीचे से 15	Shought.	Sought
59	179	नीचे से 18	on	on on
60	184	ऊपर से 9	सभापति	सभापति महोदय
61	198	ऊपर उत्तर से पूर्व	जिओलोलिस्ट	जिओलोजिस्ट
62	200	ऊपर से 14	पदनपुर	पदमपुर
63	–	स्कम्भ में	–	[201
64	201	ऊपर से 6	सहकार	सरकार
65	–	स्कम्भ में	203	202
66	–	,,	204	203
67	203	नीचे से 13	की	को
6	–	स्कम्भ में	205	204
69	–	,,	206	205
70	–	,,	207	206
71	206	ऊपर से 11	भूखण्डों	भूखण्डों के
72	–	स्कम्भ वाली में	208	207 (अन्य स्कम्भ इसी क्रम से)

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

सप्तम पन्द्रहवाँ

अंक 4] पंचम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छठा दिवस [संख्या 2

सोमवार,

3 मार्च, 1975।

विधान सभा की बैठक म. प. 4.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

1974-75 के संशोधित **अनुमान एवं 1975-76 के बजट अनुमान--बजट भाषण**

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1974-75 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 1975-76 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

आर्थिक स्थिति :

2. गत वर्ष के अपने बजट भाषण में आर्थिक स्थिति का सिंहावलोकन करते हुए मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि किस कदर हमारा देश एक नाजुक आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है. देश में मुद्रास्फीति का दबाव किस गति से बढ़ रहा है, एवं खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं के भाव किस प्रकार बढते चले जा रहे हैं यही चिन्ताजनक स्थिति चालू वर्ष के प्रथम भाग में भी बनी रही जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव एवं असर पड़ा। 1974 में कम एवं अनिश्चित बर्षा होने के कारण हमारे खरीफ के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उससे राज्य की आर्थिक स्थिति और भी अधिक विषम हो गई। चालू वर्ष में खरीफ फसल में केवल 16 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है जबकि वर्ष 1973-74 के खरीफ में यह 36 लाख टन था औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में इस वर्ष कुछ मिश्रित गतिविधि दिखाई दी। कच्चे पदार्थों की कमी की वजह से तथा रेलवे हड़ताल के कारण वनस्पति घी, नमक, सीमेन्ट बाल बियरिंग जैसे कुछ उत्पादनों में गिरावट आई परन्तु चीनी, वस्त्र एवं सिन्थेटिक धागों एवं प्रमुख खनिज पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रमुख खनिज पदार्थों की बिक्री में भी वृद्धि हुई। बिक्री की यह राशि जो वर्ष 1973 में 11.76 करोड़ थी, वर्ष 1974 में बढ़ कर 36.69 करोड़ रुपये, हो गये।

3. मुद्रास्फीति के दबाव पर नियन्त्रण करना राष्ट्र का पहला कर्तव्य हो गया तथा इसके लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न मुद्रा एवं उधार नियंत्रण के उपाय तथा तस्कर-विरोधी अभियान प्रारम्भ किये गये। राज्य सरकार ने भी कर चोरी व जमाखोरी विरोधी अभियान को पूरी तेजी से शुरू किया। इस

(2)

प्रकार से जो कदम उठाये गये उनका प्रभाव गत सितम्बर माह से महसूस होने लगा है तथा मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि तब से कीमतों में स्थिरता व गिरावट आई है। जाड़े में हुई बरसात से रबी की फसल के अच्छे होने के बहुत कुछ आसार नजर आने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा बुरा वक्त गुजर चुका है एवं इस विषम स्थिति की समाप्ति के बाद शेष भारत के साथ हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होना प्रारम्भ हो गया है।

4. राज्य में बहुत कम एवं अनिश्चित वर्षा होने के कारण 24 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा उनके 19,859 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जो राहत कार्य चलाये जा रहे हैं, उन्हें इस प्रकार नियोजित किया गया है कि वे न केवल वर्तमान संकट पर विजय पाने व अकाल पीडित लोगों को राहत पहुचाने में मदद दे सकें, अपितु विकास कार्यों की गति को भी आगे बढ़ाने में योगदान कर सकें। इसके अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को, योजनागत सड़कों एव सूखा निवारण कार्यों को तथा अन्य ऐसी प्लान योजनाओं को दी गई है जिनसे शीघ्र लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम से लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ हम योजना के कार्यों को पूरा करने में भी तेजी ला सकेंगे।

5. चालू वित्तीय वर्ष में हमें 10.19 करोड़ की मार्जिन मनी एवं भारत सरकार द्वारा अग्रिम योजना सहायता के रूप में स्वीकृत 10.24 करोड़ की राशि तथा अपनी योजनाओं में से डाइवर्ट की हुई 1.50 करोड़ की राशि, यों कुल मिलाकर 21.93 करोड की राशि दैवी विपदाओं के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से प्राप्त 10.24 करोड़ की राशि में से 5.24 करोड़ रुपये राजस्थान नहर पर, 3 करोड़ रुपये योजनागत सड़कों पर तथा 2 करोड़ रुपये योजना के अन्तर्गत चल रही वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किये जाने हैं।

5. अगले वित्तीय वर्ष के बजट में दैवी विपदाओं के लिए 10.19 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। आगामी वर्ष के प्रारम्भ में जैसे जैसे लोगों को राहत कार्यों पर लगाये जाने की आवश्यकता होगी, बड़े पैमाने पर राहत कार्य चालू किए जायेंगे। हमारा प्रयत्न होगा कि सितम्बर, 1975 से पूर्व ही योजनागत कार्यों को पूरा करा दिया जाए जिसमें इन कार्यों पर श्रमिकों को रोजगार मिल सके। यदि राहत कार्य खोलने हेतु उपर्युक्त मार्जिन मनी अपर्याप्त रही तो केन्द्र से योजना अग्रिम के रूप में और रकम की मांग की जाएगी। इसके अतिरिक्त भी यदि और प्रावधान की आवश्यकता हुई तो अधिक धनराशि उपलब्ध कराने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे।

7. रेगिस्तानी जिलों में बार बार पड़ने वाले अकाल का स्थायी समाधान करने के उद्देश्य से हमने एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता के आर्थिक आधार को मजबूत करके, विशेष कर के लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की आय को बढ़ा कर उन्हें अकाल का मुकाबला करने हेतु अधिक सक्षम बनाना

(3)

है। यह कार्यक्रम 10 ड्राउट प्रोन जिलों और 6 तहसीलों में चालू किया जायेगा, जिसमें भू-संरक्षण, वन, भू-जल, मवेशी, दुग्ध विकास एवं भेड़ विकास कार्यक्रम शामिल होंगे। हमारी नीति इन जिलों में कार्यों का एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम तैयार करने की होगी जिन्हें कि अकाल के समय प्रारंभ किया जा सके। परियोजना अवधि में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम याने कोर प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जायेगा एवं लोगों को व्यावसायिक परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए एक 'डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड' बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

8. पांचवीं योजना में ड्राउट प्रोन एरिया कार्यक्रम के लिए राज्य का कुल परिव्यय 50 करोड़ रुपये होगा जिसमें जोधपुर एवं नागौर जिलों में से प्रत्येक के लिए 6 करोड़ रुपये, पाली, जालौर, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में प्रति जिला 4.50 करोड़ रुपये एवं खैरवाड़ा, भीम, देवगढ़, ब्यावर, चिड़ावा एवं झुन्झुनूं तहसीलों में प्रति तहसील 30 लाख रुपये आवंटित किये जायेंगे। जोधपुर एवं नागौर जिलों में अधिक राशि इसलिए आवंटित की गई है कि विश्व बैंक ने इन दो जिलों में परियोजनाओं के लिए सहायता देने का आश्वासन दिया है। ड्राउट प्रोन क्षेत्र कार्यक्रम के कुल परिव्यय में से राज्य एवं केन्द्र का बंटवारा 1:2 के अनुपात में होगा।

9. पशु विकास की संभावनाओं का अधिकाधिक उपयोजन करने की दृष्टि से, भारतीय डेयरी निगम की सहायता से उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के तत्वावधान में बीकानेर में एक लाख लीटर की क्षमता वाला 'फीडर बेलेन्सिंग डेयरी प्लान्ट' लगाया जा रहा है। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों में 6 चिलिंग केन्द्र भी स्थापित किये जा रहे हैं।

10. रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए राजस्थान नहर से लिफ्ट सिंचाई द्वारा पानी उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराने के लिए 30 लाख रुपये केन्द्र द्वारा आवंटित किये जा रहे हैं। इस कार्य के अध्ययन करने के लिए श्री कंवरसेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। इन लिफ्ट योजनाओं के क्रियान्वित हो जाने से रेगिस्तानी जिलों में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा व मरुस्थल क्षेत्र में नहरी पानी पहुँचने से नहरों के किनारों पर खाद्यान्न एवं चारा उत्पन्न किया जा सकेगा।

11. वर्ष 1975–76 में ड्राउट प्रोन क्षेत्र कार्यक्रम पूरी गति में आ जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त दसों जिलों में स्थापित की गई जिला विकास संस्थाओं पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होगी। ये संस्थाएं विशेषकर समुदाय के कमजोर तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कार्य करेंगी। रेगिस्तानी इलाकों में जलप्रदाय के कार्यक्रम को उचित प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य की पांचवीं योजना में 50 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान में से लगभग आधी राशि रेगिस्तानी इलाकों पर खर्च की जाएगी।

12. ड्राउट प्रोन क्षेत्रों के विकास के लिए एक समन्वित कार्यक्रम हाथ में लेकर

हम रेगिस्तानी इलाकों में उपलब्ध सभी संभावित क्षमताओं का इस प्रकार उपयोजन करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की विकास क्षमता अधिकतम सीमा तक बढ़ाई जा सके। इन इलाकों में सिचाई के साधन मुहय्या कर तथा उपलब्ध भू-जल के अधिकाधिक उपयोग से हम कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा दें और पेय जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा सकें यह हमारा लक्ष्य है इस क्षेत्र में पहिले से उपलब्ध विपुल पशुधन के विकास, डेयरी एवं भेड़ विकास, वन एवं चरागाह विकास आदि पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार साधनों के सुनियोजित विकास से इस क्षेत्र की संभावनाओं का पूरा उपयोग करते हुए हम वहां के लोगों को इस प्रकार आत्मनिर्भर बना देना चाहते हैं कि बार-बार आने वाली विपदाओं का सामना करने हेतु उनमें स्वयं की क्षमता विकसित हो जाए। इस माध्यम से हम सूखे की समस्या का स्थायी समाधान कर सकेंगे, ऐसी हमें आशा है।

वर्ष 1974—75 में हुई प्रगति और वर्ष 1975—76 के लक्ष्य

13. वर्ष 1974—75 की वार्षिक योजना पांचवीं योजना के नीति लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वार्षिक योजना परिव्यय प्रारम्भ में केवल 79.80 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, किन्तु अब चालू वर्ष की योजना पर 95.56 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र संचालित योजनाओं के अधीन राज्य में 16.90 करोड़ रुपये की राशि के व्यय होने की उम्मीद है।

14. वर्ष 1974-75 में कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को पूर्व की भांति सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। लगभग 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को कृषि के अन्तर्गत एवं 41 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को अधिक उत्पादन वाली फसलों के अधीन लाने के प्रयास किये गये। वर्ष 1975—76 में अधिक उपज वाली फसलों के कार्यक्रम के नीचे लगभग 3 लाख हैक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र लाए जाने का प्रस्ताव है। रसायनिक उर्वरकों की सप्लाई 1974—75 में 74 हजार टन होगी। अगले वर्ष 1.17 लाख टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है तथा उम्मीद है कि 26.54 लाख हैक्टेयर के निर्धारित लक्ष्य को पार कर इस वर्ष 26.97 लाख है हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त 30 योजनाओं पर कार्य चालू है। इनमें से चार योजनाएं चालू वर्ष में प्रारंभ की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि पुनर्वित्त निगम ने 8 लघु सिंचाई योजनाएं भी स्वीकृत की हैं। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से तथा उन्नत कृषि सामग्री के निवेश से राज्य में 2.50 लाख टन खाद्यान्न के अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता पैदा हो जाएगी।

15. वर्ष 1975—76 की वार्षिक योजना के लिए साधनों का आवंटन करने में कृषि उत्पादन, सिंचाई व विद्युत् क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। अधिक उन्नत किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटाणुनाशक औषधियों, पौध संरक्षण उपायों, अच्छे उपकरणों, बहुफसली खेती, सिंचाई, कृषि ऋण,

भू-संरक्षण आदि उपायों को अपना कर उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किये जायेंगे। जहाँ वर्ष 1974-75 में भू-संरक्षण एवं पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 9.51 लाख हैक्टेयर व 36 लाख हैक्टेयर था, वहां उसे बढ़ा कर अब वर्ष 1975-76 में क्रमशः 10.14 लाख एवं 55 लाख हैक्टेयर कर देने का प्रस्ताव है। उन्नत कृषि प्रणालियों से सम्बन्धित 4980 प्रदर्शनों की व्यवस्था की जायगी। लघु सिंचाई योजनाओं से लगभग 25 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाभान्वित होगा तथा कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त 20 योजनाओं को हाथ में लिया जाएगा।

16. कृषकों की उन्नत कृषि सामग्री के निवेश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए चालू वर्ष में उन्हें सहकारी संस्थाओं की मार्फत 37 करोड़ रुपये का अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण एवं 8.50 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य के सहकारी बैंकों ने अपनी कार्य पद्धति में पर्याप्त सुधार किया है। इस वर्ष हमने राजस्थान उपभोक्ता संघ को 15 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी दी है।

17. वर्ष 1975-76 में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन ऋणों के रूप में 50 करोड़ रुपये के तथा दीर्घकालीन ऋणों के रूप में 11 करोड़ रुपये के ऋण दिये जायेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में जो अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिए जायेंगे उनमें 4 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अधिक सक्षम करने, सुचारु रूप से चलने वाली 450 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियों का पुनर्गठन करने, भूमि विकास बैंक की 5 शाखाएं खोलने, 150 गोदामों का निर्माण करने एवं 6 प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना करने का कार्य शामिल है।

18. राज्य सरकार की तीव्र इच्छा है कि राजस्थान नहर परियोजना एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय, किन्तु वित्तीय साधनों के अभाव में एवं लागतों के बहुत बढ़ जाने से, इन योजनाओं के कार्य में वह प्रगति नहीं हो पायी है जो हम चाहते थे। तथापि अब केन्द्र सरकार से अग्रिम सहायता उपलब्ध हो जाने के कारण राजस्थान नहर परियोजना के कार्य में गति लाना सम्भव हो गया है। अनुमान है कि चालू वर्ष में राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र के अन्तर्गत 20 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायगी तथा इस प्रकार इस परियोजना के अधीन कुल सिंचित क्षेत्रफल 2.40 लाख हैक्टेयर हो जायेगा। अनुमान है कि वर्ष 1975-76 में राजस्थान नहर सिंचाई क्षेत्र में 40 हजार हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तथा इस परियोजना के अधीन कुल 2.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने लगेगी। समस्त साधनों से सिंचाई योग्य कुल क्षेत्र 1975-76 में 26.97 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 27.64 लाख हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हम अन्य सिंचाई परियोजनाओं जैसे जाखम, माही, जेतपुरा, गोपालपुरा, मेजा फ़ीडर आदि एवं सेई डाइवर्सन के कार्य में भी पर्याप्त तेजी ला पाये हैं।

19. सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देने के साथ साथ वर्तमान सिंचाई व्यवस्था का पूर्ण लाभ प्राप्त

(6)

करने हेतु राज्य सरकार ने चम्बल एवं राजस्थान नहर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्व बैंक के साथ एक करार सम्पन्न कर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । केनाल लाइनिंग एवं भूमि विकास की ये परियोजनाएं देश में मार्गदर्शक पहल के रूप में उल्लेखनीय होंगी। इन दोनों परियोजनाओं पर 6 वर्ष की कुल अवधि में अनुमानित परिव्यय 212.40 करोड़ रुपये होगा जिसमें 139.20 करोड़ रुपये राजस्थान नहर परियोजना के लिए तथा 73.20 करोड़ रुपये चम्बल क्षेत्र के लिए होंगे इन परियोजनाओं में राज्य की ओर से देय हिस्सा भी हम प्रतिवर्ष आयोजना मद में रखते रहेंगे । विश्व बैंक से राजस्थान नहर परियोजना के 66.10 करोड़ रुपये की एवं चम्बल क्षेत्र के लिए 41.60 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होगी । इन परियोजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए चालू वर्ष में 80 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी से जिसमें राज्य का भाग 49 लाख रुपये है, 'राजस्थान भूमि विकास निगम' की स्थापना की गई है।

20. ग्राम विद्युतिकरण के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है किन्तु उपकरणों की कमी के कारण वर्ष के दौरान माह जनवरी के अन्त तक 10,419 कुओं को बिजली दिया जाना संभव हो सका है एवं इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक 11,000 कुओं को बिजली दिये जाने का अनुमान है। अगले वर्ष बिजली की ट्रान्समीशन एवं वितरण प्रणाली को समृद्ध करने तथा ग्राम विद्युतिकरण के कार्यक्रम में अधिक गतिशीलता लाने का प्रस्ताव है। अगले वर्ष 1000 बस्तियों तथा 10,000 कुओं का विद्युतिकरण मुख्यतया आर. इ. सी. क्षेत्रों में करने का प्रयास किया जायगा। इस प्रकार वर्ष 1975-76 के अन्त तक विद्युतिकृत बस्तियों एवं कूपों की संख्या क्रमशः 7000 एवं 95,000 हो जाने की सम्भावना है।

21. चूंकि राज्य की जनता का एक बहुत बड़ा भाग अपनी जीविका पशुपालन एवं भेड़ प्रजनन द्वारा अर्जित करता है, अतः हमारे लिए पशुधन विकास के कार्यक्रमों को हाथ में लेना आवश्यक है। 'आपरेशन फ्लड' परियोजना के तहत डेयरी विकास को पहिले से ही प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। 6 जिलों अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर में डेयरियां स्थापित करना, तथा टोंक में चिलिंग प्लान्ट स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से बातचीत पूरी हो चुकी है । इस परियोजना के लिए कुल लागत 4 .44 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई है, जिसमें से विश्व बैंक ने 22.16 करोड़ रुपये की आई. डी. ए. क्रेडिट देना स्वीकार कर लिया है ।

22. औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने उपक्रमियों को उसी प्रकार के प्रोत्साहन एवं रियायतें देना चालू रखा है जो उन्हें चतुर्थ आयोजना अवधि में उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी विनियोजन भी किये गये हैं। इस प्रयोजन हेतु बजट प्रावधान से ऊपर, अतिरिक्त निधि भी दी गई है। अकेले अलवर औद्योगिक क्षेत्र में ही बिजली देने हेतु वर्तमान में 80 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं । धौलपुर क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 132 के. वी. ट्रान्समीशन

लाइन लगाने की एक योजना बिजली बोर्ड द्वारा हाथ में ली जा रही है जिसकी कुल लागत 3.41 करोड़ रुपये होगी । इसके अतिरिक्त देबारी, मावली, कांकरौली एवं ब्यावर-गुलाबपुरा क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास हेतु 132 के. वी सिंगल सरकिट लाइनें बिजली बोर्ड द्वारा लगाने की योजना है । इन योजनाओं पर क्रमशः 2 करोड़ तथा 1.60 करोड की लागत का अनुमान है। ऐसी संभावना है कि ये योजनाएं 1977 के अंत तक पूर्ण हो जायेंगी । राज्य के सार्व-जनिक क्षेत्र में टौंक स्थित लेदर टेनरी में प्रारम्भिक उत्पादन होने लगा है। राज्य सरकार ने राजस्थान वित्त विभाग की हिस्सा पूंजी में 15 लाख रुपये का अंशदान और किया है । यह अंश-दान 10 लाख रुपये के उस अंशदान के अतिरिक्त है जिसका प्रावधान इस वर्ष का बजट पेश करते समय किया गया था । निगम को इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से 25 लाख रुपये की राशि और मिल जाएगी जिससे राजस्थान वित्त निगम की क्रेडिट लिमिट 1.50 करोड़ और बढ़ेगी तथा वर्तमान क्रेडिट लिमिट 4.56 करोड़ से बढ़ कर 6.06 करोड़ रुपये हो जाएगी ।

23. खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू तथा जोधपुर जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को ऊनी खादी की कताई और बुनाई के काम में रोजगार दिलाए जाने हेतु 87 लाख रुपये की योजना तैयार की गई है । इस कार्य हेतु राजस्थान खादी बोर्ड को इस वर्ष 25 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में स्वीकृत किये गये हैं तथा शेष राशि बैंकों द्वारा स्टेट गारन्टी पर दिलाए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

24. काफी मात्रा में विनियोजन एवं सर्वतोमुखी प्रयासों के फलस्वरूप झामरकोटड़ा में राक फास्फेट का उत्पादन चालू वर्ष में 4 लाख टन हो जायेगा जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है । चूंकि अब तक देश की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति के लिए राक फास्फेट का आयात करना पड़ता रहा है इसलिए इस उत्पादन की बढोतरी से काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी । दुर्भाग्यवश उत्पादन के मुताबिक बिक्री नहीं हो पायी है। राज्य सरकार आयात को कम करने अथवा हमारे यहां उत्पादित राक फास्फेट को निर्यात करने की अनुमति देने के लिए तथा भारतीय उद्योगों द्वारा स्वदेशी राक फास्फेट के अधिकतम उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही है । इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया गया है तथा आशा है कि निकट भविष्य में इसकी बिक्री में महत्वपूर्ण सुधार होगा । वर्ष 1975-76 में 4.50 लाख टन राक फास्फेट का उत्पादन करने का लक्ष्य है।

25. सामाजिक क्षेत्र में इस वर्ष राज्य सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा अनु-सूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवासीय भूखंड देने की अपनी नीति को अधिक तेजी के साथ क्रियान्वित करने का कार्य हाथ में लिया । माननीय सदस्यों को विदित ही है कि इस कार्य के लिए किस प्रकार एक 'क्रैश प्रोग्राम' चला कर और हमारे मुख्य मंत्री जी के प्रेरणास्पद नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा प्रशासन की समस्त शक्तियों को इस काम में लगा कर बहुत कम समय में यह विशाल कार्यक्रम पूरा कर दिया गया। 5,48,317 आवासीय

भू-खण्ड दो माह की अल्पावधि में आवंटित कर सम्पूर्ण कार्यक्रम को सफल बना देना अपने आप में एक कीर्तिमान है। हम गत 26 जनवरी, 1975 को इस उपलब्धि की सफलता की घोषणा कर पाये, यह समस्त सम्बन्धित कार्यकर्ताओं व कर्मचारियों की लगन एवं अथक मेहनत का ही फल है। अतः वे सब बधाई के पात्र हैं।

26. मैंने अपने 1972–73 के बजट भाषण में माननीय सदस्यों को यह जानकारी दी थी कि राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को मकान बनाने हेतु कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए आवश्यक शेयर कैपिटल में से 300 रुपये सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जायेगा व 100 रुपये खुद को जमा कराने होंगे। साथ ही ऋण जिसकी अदायगी 20 वर्षों में होगी, उसका ब्याज जो मूलधन के बराबर होगा, राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत जहां वर्ष 1973–74 में 1217 परिवारों के लिये हिस्सा पूंजी स्वीकृत की गई वहां वर्ष 1974–75 में 15,000 परिवारों के लिए हिस्सा पूंजी के 45 लाख रुपये स्वीकृत करने का अनुमान है इससे यह स्पष्ट है कि इन रियायतों के देने से इन वर्गों के लोगों को मकान उपलब्ध कराने की समस्या के समाधान में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

27. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को वर्ष 1973–74 में छात्रवृत्ति देने पर जहां 54.12 लाख रुपये का व्यय हुआ, वहां अब उसकी तुलना में चालू वर्ष में यह व्यय 75.03 लाख रुपये हो जायेगा। इन छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार ने छात्रावासों की भी स्थापना की है। उन पर वर्ष 1973–74 में 41.29 लाख रुपये के व्यय के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष में 57.21 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके अलावा इस प्रकार के छात्रावास चलाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को भी राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है।

28. वृद्धावस्था और अशक्तता पेन्शन प्रदान करने के लिए वर्ष 1974–75 के बजट में 42.50 लाख रुपयों का प्रावधान था। अधिक संख्या में लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से इन दोनों योजनाओं के लिए बजट प्रावधान में संशोधन कर अब इस वर्ष में 56.03 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। अनुमान है कि इन योजनाओं से 20,000 लोगों को मदद मिलेगी।

29. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 1975–76 के अन्त तक 35 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर देने का प्रस्ताव है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास वर्तमान में 1300 गाड़ियां हैं। बसों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए 243 बसों की खरीद करने का और प्रस्ताव है।

30. हमें आदिवासियों की ओर विशेष ध्यान देना है, जिनकी संख्या राज्य की आबादी का 12.14 प्रतिशत है। साधन स्रोतों तथा सामाजिक एवं आर्थिक घटकों

पर आधारित समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए एक सब-प्लान तैयार किया गया है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 1975-76 में पूरी गति से आरंभ हो जायेगा। इस सब प्लान के प्रयोजनार्थ 'आदिवासी क्षेत्र' की परिभाषा में बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों, उदयपुर जिले की सात तहसीलों एवं चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील को शामिल किया गया है। पांचवीं योजना अवधि में अन्य प्लान स्कीमों के अतिरिक्त इस सब-प्लान के परिव्यय के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। इस सब-प्लान को राज्य की अन्य प्लान स्कीमों के साथ, जिनमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ड्राउट प्रोन क्षेत्र कार्यक्रम, कृषि पुनर्वित्त निगम स्कीम्स आदि शामिल हैं, समन्वित किया जायेगा तथा सिंचाई, कृषि, ग्रामोद्योग एवं खानों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए ग्राम विद्युतिकरण एवं ग्राम सड़कों के रूप में एक आधारभूत आर्थिक ढांचा तैयार किया जायेगा तथा शिक्षा एवं पेय जल उपलब्ध कराने पर उचित ध्यान दिया जायेगा। राज्य सरकार आदिवासियों को वह भूमि पुनः दिलाने के लिए कृत संकल्प है जो हस्तान्तरण के विरुद्ध कठोर कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी उनके हाथ से निकल गई है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों को सूदखोरों के ऋण-भार से मुक्त कराने के अनेक उपायों के क्रियान्वयन पर भी विचार किया जा रहा है।

31. राज्य सरकार ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ तथा अजमेर आदि स्थानों को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु राजमहल एवं बीसलपुर के पास बनास नदी पर बांध बनाने की योजना 1975-76 में हाथ में ले रही है। इसके अलावा बीसलपुर एवं राजमहल के निचले हिस्से में ईसरदा के पास सिंचाई हेतु बनास नदी पर बांध बनाने की सम्भावना का अध्ययन करने हेतु सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और यदि इसे तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया तो इस योजना को भी क्रियान्वित किया जायेगा।

32. 1 अप्रेल, 1975 से चूरू एवं नागौर जिलों में पूर्ण नशाबन्दी लागू की जा रही है।

लेखे 1973-74

33. वर्ष 1973-74 के संशोधित अनुमानों में, घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र से स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवान्स के 36 करोड़ रुपये तथा स्पेशल एकोमोडेशन के 9.56 करोड़ रुपये-इस प्रकार कुल 45.56 करोड़ रुपये की क्रेडिट लेने के बाद 6.22 करोड़ रुपये के बजट घाटे का अनुमान किया गया था। लेकिन बजट में वास्तविक घाटा केवल 4.62 करोड़ रुपये का ही रहा जबकि केन्द्रीय सहायता 1.54 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुई। इस प्रकार राज्य की गत वर्ष की वित्तीय स्थिति में 3.14 करोड़ रुपये का सुधार हुआ।

(10)

संशोधित बजट अनुमान 1974-75

34. वर्ष 1974-75 के बजट अनुमानों एवं संशोधित बजट अनुमानों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :--

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1974-75	संशोधित अनुमान 1974-75
i. राजस्व खाता :		
प्राप्तियां	293.96	309.72
व्यय	287.34	295.59
राजस्व खाते में बचत	+ 6.62	+ 14.13
ii. पूंजी खाता:		
प्राप्तियां	81.27	96.95
व्यय	91.66	106.11
पूंजी खाते में घाटा	-10.39	-9.16
अतिरिक्त महंगाई भत्ते की देयता	-5.35	-4.85
कुल शुद्ध घाटा (--) / बचत (+)	-9.12	+0.12

35. माननीय सदस्यों को याद होगा कि जिस समय चालू वर्ष के लिए बजट अनुमान पेश किये गये थे उस समय 9.12 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था। 1974-75 का वर्ष हमने पिछले साल के 4.62 करोड़ रुपये के घाटे से शुरू किया। इस प्रकार हमारा कुल घाटा 13.74 करोड़ रुपये हो गया। मैंने इस घाटे के कुछ भाग को स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवान्स की रिशिड्यूलिंग से, कम जरूरी खर्चे में कमी करके तथा कर एवं कर-भिन्न (टैक्स एवं नॉन-टैक्स) राजस्वों की वसूली में सुधार व बढ़ोतरी करके पूरा करने की संभावना व्यक्त की थी। लेकिन तबसे चारों तरफ कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से विनियोजन के माल की लागत असाधारण रूप से बढ़ गई।

उत्पादन क्षेत्र में विकास एवं विनियोजन की गति को बनाये रखने के लिए तथा योजना के भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तथा योजना व्यय में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक हो गया। जहां मूलतः आयोजना का आकार 79.50 करोड़ रुपया था, उसे बढ़ा कर 95.56 करोड़ रुपया कर दिया गया है और इस प्रकार इसमें 15.76 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई।

36. केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने 1974-75 का बजट पेश करने के पश्चात् अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की तीन किश्तें और स्वीकृत कीं। इससे राज्य सरकार पर वार्षिक भार 10.41 करोड़ रुपये से बढ़ कर 20.52 करोड़ रुपये हो गया।

इस अवसर पर मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि भारत सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करते हुए उन्हें 1 जून, 1 जुलाई तथा 1 सितम्बर, 1974 से अतिरिक्त तीन किश्तें देने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक विस्तृत आदेश वित्त विभाग द्वारा अलग से प्रसारित किये जा रहे हैं। इस निर्णय के फलस्वरूप चालू वर्ष में कर्मचारियों को नकद देय राशि एवं अनिवार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत जमा कराने योग्य राशि सहित 4.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार राज्य कोष पर पड़ेगा। इस निर्णय के कारण वित्तीय वर्ष 1975-76 में चालू वर्ष की विशेष निक्षेप खाते में जमा होने वाली 2.5 करोड़ रुपये की रकम के भुगतान सहित कुल अतिरिक्त भार 12.85 करोड़ रुपये का होगा। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 25.37 करोड़ रुपये की रकम अतिरिक्त महंगाई भत्ते के रूप में देय होगी, जबकि बजट अनुमानों के समय यह राशि 10.41 करोड़ रुपये की अनुमानित की गई थी।

38. 1974-75 के संशोधित बजट अनुमानों पर इन कारणों का, जो कि वित्तीय दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, अत्याधिक प्रभाव पड़ा। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने इस वर्ष के 9.12 करोड़ रुपये के घाटे को ही पूरा नहीं किया अपितु 4.62 करोड़ रुपये के प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट का भी चुकारा किया। वर्ष के दौरान समय-समय पर बढ़ाये गये महंगाई भत्ते के 14.96 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय भार, राज्य कर्मचारियों को अवकाश के बदले नकद भुगतान करने के कारण 1.50 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई देयता एवं योजना पर 15.76 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त व्यय को भी पूरा करने में सक्षम हो पाये हैं। इस प्रकार कुल 45.96 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित व्यय भार एवं देनदारियों के बावजूद भी चालू वर्ष में 12 लाख रुपये की शुद्ध-बचत होने का अनुमान है। राज्य की वित्तीय स्थिति में यह असाधारण सुधार मुख्यतः राज्य करों से 12.56 करोड़ रुपये की अधिक आय का अनुमान, राज्य द्वारा जुटाये गये अतिरिक्त साधनों से 8.90 करोड़ रुपये की आय में बढ़ोतरी, केन्द्रीय करों में 2.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त हिस्से की प्राप्ति की संभावना, स्पेशल वेज एण्ड मीन्स एडवान्स की रिशिड्यूलिंग के कारण भारत सरकार को ऋण की अदायगी में 9.20

रुपये की कमी, केन्द्र द्वारा 10.24 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता एवं वर्ष के दौरान किये गये बचत के उपायों तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कारण संभव हो सका है।

अतिरिक्त साधन

39. गत वर्ष का बजट प्रस्तुत करने के बाद, देश के आर्थिक परिवेश तथा कीमतों में प्रत्येक स्तर पर आई असाधारण वृद्धि को देखते हुए, उत्पादन क्षेत्रों में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करने हेतु योजना के कार्यक्रमों में पर्याप्त विनियोजन करना आवश्यक हो गया। इन कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने हेतु कई उपाय अपनाने पड़े। केन्द्र सरकार भी इस बात पर जोर देती रही है कि कृषि जिन्सों की कीमतों के बढ़ जाने के फलस्वरूप कृषि क्षेत्रों में जो सम्पन्नता आई है उसमें से विकास के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्न किए जायं। इसके अलावा राज्य में पानी की दरों से वर्तमान में जो वसूलियां हो रही थीं वे इतनी कम थीं कि सिंचाई परियोजनाओं पर की गई पूंजी लागत के ब्याज का चुकारा भी उनसे संभव नहीं था। यहां तक कि उनके परिचालन पर किये जा रहे वर्किंग चार्जेज भी उनसे पूरे नहीं हो पाते थे। जाहिर है कि राज्य सरकार के लिए इस तरह भारी खर्चा करते हुए इन सेवाओं को बहुत समय तक के लिए सब्सिडाइज करते रहना संभव नहीं था। जो लोग योजनाबद्ध विकास से लाभ प्राप्त करते रहे हैं उनका यह नैतिक दायित्व है कि वे आम जनता, विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु किये जा रहे विकास कार्यों में अपना कुछ योगदान करें। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी अपने नीति वक्तव्यों में, विशेषकर 11 जुलाई, 1974 को बंगलौर में दिये गये अपने वक्तव्य में कृषि क्षेत्रों से साधन जुटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा गत जुलाई माह में पूरक बजट पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने भी राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र से तथा सिंचाई एवं बिजली जैसी सेवाओं के मूल्य का व्यावहारिक दृष्टि से पुनर्निर्धारण कर अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयास करने का अनुरोध किया था। उपर्युक्त राष्ट्रीय नीति के अनुरूप राज्य सरकार ने इस प्रकार से अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय किए:—

1. सिंचाई दरों में संशोधन

2. विद्युत् की दरों (टेरिफ) में बिजली बोर्ड द्वारा संशोधन

3. अकाल राहत हेतु:—

(क) स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार

(ख) मोटर वाहनों के कर पर अधिभार

(ग) सड़क से जाने वाले माल कर पर अधिभार

(घ) मनोरंजन कर पर अधिभार में वृद्धि

4. आबकारी शुल्कों में संशोधन

5. रॉक फॉस्फेट की बिक्री की दरों में संशोधन

6. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री भाड़े में संशोधन

(13)

7. नगरीय जल प्रदाय की दरों में संशोधन

8. भू-जल विभाग की ब्लास्टिंग एवं ड्रिलिंग दरों में संशोधन

9. वाणिज्यिक फसलों पर उपकर (सैस)

40. इन सब साधनों से तथा पूर्व में किये गये उपायों से, कुल मिलाकर चालू वर्ष में 13.90 करोड़ रुपये की तथा वर्ष 1975-76 में 28.40 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

बजट अनुमान 1975-76

41. अब मैं 1975-76 के बजट अनुमानों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ।

राजस्व खाते की प्राप्तियां

42. राजस्व से प्राप्तियां 330.04 करोड़ रुपये की आंकी गई हैं। ये प्राप्तियां निम्न मदों से होंगी:--

	(करोड़ रुपयों में) संशोधित अनुमान 1974-75	बजट अनुमान 1975-76
1. राज्य की कर एवं कर-भिन्न (टैक्स एण्ड नान-टैक्स) आय		
(क) करों से आय	102.87	114.29
(ख) कर-भिन्न (नान-टैक्स) आय	70.68	80.21
2. केन्द्रीय करों में हिस्सा	57.27	61.52
3. केन्द्र से अनुदान सहायता		
(क) सांविधिक अनुदान	50.37	49.64
(ख) अन्य अनुदान		
(*i*) राज्य योजना	13.52	13.52
(*ii*) केन्द्र संचालित स्कीमें	11.90	9.34
(*iii*) अन्य योजना-भिन्न (नान-प्लान)	3.11	1.52
योग--	309.72	330.04

राजस्व खाते में होने वाला व्यय :

43. संशोधित वर्गीकरण के अनुसार, व्यय को अब तीन फंक्शनल श्रेणियों-सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में बांटा गया है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर होने वाले व्यय को विकास (डेवलपमेण्टल) व्यय के रूप में माना गया है तथा सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को विकास-भिन्न (नान-डेवलपमेण्टल) व्यय माना गया है। उपरोक्त तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 के बजट अनुमान तुलनात्मक दृष्टि से निम्न प्रकार हैं:---

(करोड़ रुपयों में)

	संशोधित अनुमान 1974-75	बजट अनुमान 1975-76
1. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं		
(क) शिक्षा	67.90	72.72
(ख) चिकित्सा एवं परिवार नियोजन	20.34	20.38
(ग) जन स्वास्थ्य एवं जल-प्रदाय	11.38	11.11
(घ) समाज कल्याण	8.12	5.83
(ङ) आवासन	1.06	0.93
(च) श्रम एवं नियोजन	1.37	1.45
(छ) दैवी विपदाओं के कारण राहत	10.19	10.19
(ज) अन्य	2.78	2.80
योग-1	123.14	125.41
2. आर्थिक सेवाएं		
(क) सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.83	3.80
(ख) कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	33.09	36.88
(ग) उद्योग एवं खनिज	7.57	7.89

(घ) सिंचाई एवं बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं	19.67	21.84
(ड) परिवहन एवं संचार	7.02	8.59
योग–2	71.18	79.00

3. सामान्य सेवाएं

सामान्य सेवाएं जिनमें नगरपालिकाओं एवं पंचायती राज्य संस्थाओं के सामान्य अनुदान भी शामिल हैं	101.27	106.69
कुल योग	295.59	311.10

पूंजी लेखे में संवितरण

44. पूंजी लेखे की, जिसमें लोक लेखा भी सम्मिलित है, स्थिति इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

	संशोधित अनुमान 1974–75	बजट अनुमान 1975–76
1. सार्वजनिक ऋणों का चुकारा	4.99	0.18
2. केन्द्रीय सरकार को ऋणों का चुकारा	19.69	29.63
3. स्वायत्त संस्थाओं को ऋणों का चुकारा	1.09	1.19
4. जागीर बोण्डों पर भुगतान	1.50	1.75
5. ओवर ड्राफ्ट का भुगतान	4.62	–
6. पूंजीगत व्यय		
(क) सामाजिक एवं समुदायिक सेवाएं	8.27	7.43
(ख) आर्थिक सेवाएं	43.63	46.76
(ग) सामान्य सेवाएं	0.49	0.26
योग–6	52.39	54.44

7. राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम का संवितरण	21.83	23.17
कुल योग	106.11	110.36

पूंजी लेखे में प्राप्तियां

45. पूंजी लेखे में, जिसमें लोक लेखा भी सम्मिलिति है, प्राप्तियां 95.53 करोड़ रुपये की आंकी गई हैं। ये प्राप्तियां इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	संशोधित अनुमान 1974-75	बजट अनुमान 1975-76
1. सार्वजनिक ऋण	20.57	20.55
2. केन्द्र से ऋण		
(क) राज्य योजना	41.78	31.54
(ख) केन्द्र संचालित स्कीमें	2.31	1.67
(ग) अन्य स्कीमें	2.18	00.7
योग-	46.27	33.28
3. वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3.70	3.26
4. अल्प बचत संग्रह में राज्य का हिस्सा	6.00	6.50
5. ऋण और अग्रिम की वसूली	11.85	14.93
6. जागीर बौण्ड जारी करने से संभावित प्राप्त अंकित मूल्य (फेस वेल्यू)	0.20	0.20
7. लोक लेखे में शुद्ध प्राप्तियां	8.36	16.81
कुल योग	96.95	95.53

(17)

राज्य के समस्त व्यय का प्रमुख मदवार संक्षिप्त विवरण

46. अब मैं राजस्व खाते व पूंजी खाते में होने वाले कुल विकास व्यय तथा विकास-भिन्न व्यय का मदवार तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करता हूं :--

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1974-75	संशोधित अनुमान 1974-75	बजट अनुमान 1975-76
1. विकास-भिन्न व्यय			
सामान्य सेवायें			
(क) ब्याज भुगतान	52.85	48.08	50.98
(ख) अन्य सेवाएं	47.99	57.20	59.71
(ग) अनुदान, अंशदान आदि	0.95	1.38	0.95
योग-1-विकास-भिन्न व्यय	101.79	106.66	111.64
II. विकास व्यय			
1. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			
(क) शिक्षा	63.01	69.28	73.74
(ख) चिकित्सा	17.58	18.91	19.84
(ग) जन स्वास्थ्य	17.47	17.61	17.53
(घ) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.70	8.21	5.89
(ङ) अन्य	23.19	18.73	16.95
योग-1	125.95	132.74	133.95
2. आर्थिक सेवाएं			
(क) सामान्य आर्थिक सेवाएं (सहकारिता सहित)	8.59	8.27	8.36
(ख) कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	35.39	36.20	39.75

(ग) उद्योग एवं खनिज	9.17	13.62	10.78
(घ) सिंचाई एवं विद्युत् विकास	48.30	57.53	71.91
(ङ) यातायात एवं संचार	11.16	14.79	12.32
योग-2	112.61	130.41	143.12
योग-II-विकास-व्यय	238.56	263.15	277.07
समग्र व्यय I+II	340.35	369.81	388.71
III केन्द्रीय सार्वजनिक एवं स्वायत्त संस्थाओं के ऋणों का भुगतान	38.65	31.89	32.75
कुल संवितरण	379.00	401.70	421.46

वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना

47. अब मैं आपके समक्ष वर्ष 1975-76 की वार्षिक योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं का जिक्र करूंगा। योजना आयोग ने राज्य की आगामी वर्ष की योजना का आकार 105.50 करोड़ रुपयों का निर्धारित किया है। जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने योजना का आकार 105.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 110.84 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। जिन कार्यक्रमों पर अधिक धनराशि खर्च होगी उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। वार्षिक योजना के 110.84 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

	परिव्यय	प्रतिशत
1. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	22.91	20.7
2. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	11.14	10.0
3. सहकारिता	1.17	1.1
4. उद्योग एवं खनिज	4.52	4.1
5. परिवहन एवं संचार	7.35	6.6
6. सिंचाई एवं विद्युत् विकास	63.29	57.1
7. अन्य सेवाएं	0.46	0.4
कुल योग	110.84	100.00

(19)

48. इस योजना के परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था निम्न स्रोतों से की जाएगी:—

		(करोड़ रुपयों में)
1. केन्द्रीय सरकार से सहायता		4[illegible].06
2. राज्य सरकार का अतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयत्नों से योगदान:—		
(क) राज्य सरकार द्वारा	15.39	
(ख) राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा	11.00	
(ग) राज्य परिवहन निगम द्वारा	2.01	28.40
3. राजकीय उपक्रमों द्वारा वित्तीय संगठनों से ऋण एवं सार्वजनिक ऋण		20.00
4. राज्य परिवहन निगम द्वारा अंशदान		0.50
		93.96
वार्षिक योजना में घाटा		16.88
	योग	110.84

49. इस प्रकार 110.84 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था करने में 16.88 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है। मैं शीघ्र ही स्पष्ट करूंगा कि इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है।

50. वार्षिक योजना के अन्तर्गत 110.84 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त, सांस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों के माध्यम से, विभिन्न राज्य निगमों, मण्डलों, राज्य एजेन्सियों, सहकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 115 करोड़ रुपये के खर्च का और विनियोजन करने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, अगले वित्तीय वर्ष में केन्द्र संचालित स्कीमों पर 13 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 1975-76 में, सार्वजनिक क्षेत्र में विकास पर होने वाला कुल परिव्यय 238.84 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

बजट की कुल स्थिति

51. बजट अनुमानों एवं अगले वर्ष की योजना की प्रमुख विशेषताओं, उसकी वित्तीय व्यवस्था एवं उसके मदवार वितरण से आपको अवगत करा देने के बाद अब मैं

आपके समक्ष बजट की कुल स्थिति प्रस्तुत करता हूं। राजस्व खाते में उपलब्ध बचत व पूंजी खाते में दिखाये गये घाटे को सम्मिलित करते हुए वर्ष 1975-76 के बजट अनुमानों से उत्पन्न स्थिति निम्न प्रकार है:--

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1975-76
I राजस्व खाता	
प्राप्तियां	330.04
व्यय	311.10
राजस्व बचत	+ 18.94
II पूंजी खाता	
प्राप्तियां	95.53
संवितरण	110.36
पूंजीगत घाटा	-14.83
कुल बचत	+ 4.11
महंगाई भत्ते का अतिरिक्त व्यय	- 12.85
कुल घाटा	- 8.74

52. मैंने पहिले यह बतलाया है कि राज्य के योजना व्यय के वित्तीय साधनों में 16.88 करोड़ की कमी रहती है उसमें से 8.14 करोड़ की कमी हमारे स्वयं के गैर योजना साधनों में उपलब्ध बचत से पूरी कर ली गई है व शेष 8.74 करोड़ रुपये की, कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि यह घाटा अतिरिक्त योजनागत सहायता एवं अन्य उपयुक्त उपाय अपना कर पूरी कर दी जाएगी। इस प्रकार 1975-76 के बजट में किसी प्रकार का घाटा नहीं रहने का अनुमान है।

53. भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर बिक्रीकर की दर को तारीख 1 जुलाई, 1975 से 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत करने की घोषणा की है। भारत सरकार के इस निर्णय के अनुरूप हम भी यथासमय राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम में तथा उसके अधीन बने नियमों व अधिसूचनाओं में, साथ ही केन्द्रीय बिक्रीकर नियम (राजस्थान) में आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही करेंगे।

54. जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा था वर्ष 1975-76 की योजना के आकार में, कुछ कार्यक्रमों को और, ले जाने से वृद्धि की गई है। उस वृद्धि का विवरण मैं अब प्रस्तुत कर रहा हूं।

55. राज्य सरकार जितने अधिक व्यापक स्तर पर संभव हो सके, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर रही है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों के विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ग्राम्य स्वास्थ्य सेवा शुरू किये जाने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत इन अस्पतालों के विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं सर्जन नियमित समयान्तरों पर जिला मुख्यालयों का दौरा कर जिला अस्पतालों में उपचार एवं आपरेशन्स का कार्य करेंगे। इस हेतु जिला अस्पतालों में जो भी उपकरण जरूरी होंगे उनकी खरीद की उचित व्यवस्था की जाएगी और उसके लिए वांछित प्रावधान किया जाएगा। इसी प्रकार जिला अस्पतालों के विशेषज्ञ कस्बों के उन अस्पतालों का दौरा करेंगे जो उन्हें केस रेफर करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित डाक्टर उप-केन्द्रों का दौरा करेंगे। इस योजना के लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। नई यूनिटें एवं उपकरण प्रदान कर 'चल शल्य चिकित्सा संगठन' को और अधिक सक्षम बनाने के लिए 15 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

56. राज्य सरकार की नीति है कि अधिकाधिक क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियों की सुविधा पहुंचाई जाये। प्रतिवर्ष इस हेतु आवश्यकता के अनुरूप प्रावधान भी किया जाता रहा है। अगले वर्ष 22 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएंगे जिनके लिए वांछित राशि 2.02 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 1975-76 में 80 और नये औषधालय खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 9 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 1975-76 में 102 नये औषधालयों के लिए कुल 11.02 लाख रुपये का प्रावधान हो जाता है।

57. सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए 1.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है जिसमें से पूर्व स्वीकृत कार्यों पर व्यय करने के साथ साथ 125 मिडिल स्कूलों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा एवं 10 महाविद्यालयों में पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाएं खोली जाएंगी। राज्य सरकार का यह प्रयत्न होगा कि अगले वर्ष तक सभी जिलों में पोस्ट-ग्रेजुएट अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हो सके। पिछले दो सालों में राज्य सरकार ने 2500 मिडिल स्कूल खोले हैं। इससे फिलहाल राज्य नये मिडिल स्कूल खोलने की

अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, फिर भी अभी कुछ ऐसे स्थान रह गये हैं जहां किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं खोले जा सके हैं और वहां से ऐसे स्कूल खोलने की मांग आती रहती है। समाज की इस मांग को पूरा करने के लिए इसी प्रावधान में से 100 नए मिडिल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में नए विषय खोलने की मांग को ध्यान में रखते हुए इसी प्रावधान में से 50 स्कूलों में नए विषय आवश्यकतानुसार खोले जाने का भी राज्य सरकार का इरादा है। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की भाषाओं के विकास के प्रति भी हमेशा से सजग रही है। इसलिए इन भाषाओं को पढ़ाने के लिए 500 अध्यापकों की नियुक्ति भी इस राशि में से की जाएगी।

58. ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण राज्य की एक निरन्तर चलने वाली गतिविधि है। विजली की सुविधा प्राप्त करने के लिए राज्य के विभिन्न भागों से बराबर मांग आती रहती है और वह निरन्तर बढ़ रही है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने 1000 बस्तियों में विद्युतीकरण करने के लिए एवं 10,000 कुओं को विजली देने हेतु 11.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अधिकाधिक संख्या में ग्रामों एवं कुओं का विद्युतीकरण करने हेतु मैं 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान कर रहा हूं।

59. पेय जल की योजनाओं के लिए अगले वर्ष की योजना में जीवन बीमा निगम द्वारा नगरपालिकाओं की योजनाओं के लिए प्राप्त 1.65 करोड़ रुपये की सहायता को शामिल करते हुए 8.38 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें 5.58 करोड़ रुपये ग्राम्य क्षेत्रों के लिए तथा 2.80 करोड रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है जिससे अकेले ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए 6.58 करोड रुपये का प्रावधान हो जाएगा। ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के लिए भी जीवन बीमा निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यह संभव होने पर इस क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ा जा सकेगा।

60. बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण में की गई प्रगति और अगले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख मैं पहिले कर चुका हूं। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में और अधिक गति लाने के लिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पूंजीगत आधार को अधिक सक्षम बनाया जा रहा है ताकि बसें खरीदने हेतु अधिक निधि उपलब्ध हो सके। इस हेतु राज्य की ओर से निगम की हिस्सा पूंजी में 20 लाख रुपये का अतिरिक्त अंशदान प्रदान किया जा रहा है। अब कुल अंशदान वर्ष 1975-76 में 50 लाख रुपये हो जाएगा।

श्री माणकचन्द सोगानी : बहुत ही कम राशि है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Very poor.

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य, खान क्षेत्रों में सड़कों की अपर्याप्तता की शिकायत बहुधा करते रहे हैं तथा उनमें सुधार करने की आवश्यकता पर जोर देते

रहे हैं। निर्माणाधीन महत्वपूर्ण एप्रोच सड़कों को पूरा करने के लिए एवं नई सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 1975-76 में 28.17 लाख रुपये की राशि रखी गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : लाख है या करोड़।

श्री चन्दनमल बैद : इस कार्य के लिए मैं अब 10 लाख रुपये का और प्रावधान कर रहा हूँ। अब इस कार्य के लिए वर्ष 1975-76 में कुल 38.17 लाख रुपये की राशि उपलब्ध होगी।

62. विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत राजस्थान नहर तथा चम्बल नहर क्षेत्रों में भूमि विकास के लिए 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। आशा है कि भारत सरकार से इस प्रयोजनार्थ 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्राप्त हो जाएगी।

63. योजना मद में किये गये उपर्युक्त अतिरिक्त प्रावधानों के अलावा गैर योजना मद में भी इस प्रकार प्रावधान कर रहा हूँ:-

हमारे राज्य में सड़कों का एक विस्तृत जाल बिछा हुआ है तथा राज्य सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन सड़कों के रख-रखाव एवं सुधार के लिए बराबर प्रावधान करती रही है। वर्ष 1974-75 में सड़कों के रख-रखाव के लिए 5.41 करोड रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। वर्ष 1975-76 में इस प्रयोजनार्थ 5.95 करोड रुपये की राशि रखी गई है। सडकों के रख-रखाव एवं सुधार के लिए 1 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान और किया जा रहा है। इस प्रकार सड़कों के रख-रखाव के लिए वर्ष 1975-76 में 6.95 करोड रुपये खर्च किये जाएंगे जिससे राज्य की सड़कों में बहुत सुधार हो सकेगा ऐसी आशा है। इसके अलावा नई सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 4.50 करोड रुपये की राशि योजना मद में प्रदान की गई है। इस प्रकार सडकों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए वर्ष 1975-76 में कुल परिव्यय 11.45 करोड रुपये होने की संभावना है।

64. इन समस्त वृद्धियों का प्रावधान बजट अनुमानों में कर दिया गया है।

उपसंहार

35. श्रीमन्, अब मैं अपने बजट भाषण का उपसंहार कर रहा हूं। पिछले कुछ समय से हमारा अथक प्रयास उन वित्तीय कमियों को पूरा करने की दिशा में रहा है जिनके कारण हमारी विकास की गति में अडचनें उत्पन्न होती रही हैं। अपने गत बजट भाषण में मैंने कहा था कि राज्य की वित्तीय स्थिति ने बहुत कुछ मजबूती एवं स्थायित्व प्राप्त कर लिया है तथा उचित वित्तीय अनुशासन बनाये रखने एवं आवश्यक सतर्कता बरतने पर हमारे लिए राज्य की वित्तीय व्यवस्था को एक ठोस आधार प्रदान करना संभव हो सकेगा। हमारे प्रयासों के क्या कुछ परिणाम रहे हैं, आपके सामने हैं जो इस बजट में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि समाप्त हो रहे इस वित्तीय वर्ष में, राज्य की वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और सन्तुलन के इस प्रकार के स्वस्थ लक्षण दिखाई देने लगे हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि हमने स्थिति पर बहुत

(24)

कुछ हद तक काबू पा लिया है। किन्तु साथ ही, मैं इस बात पर जोर देकर निवेदन करना चाहूंगा कि अब भी हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम निरंतर सतर्कता एवं वित्तीय अनुशासन बनाये रखें। वास्तव में यह हमारे वित्तीय प्रबन्ध का एक आवश्यक अंग बन जाना चाहिये। अब तक हमारी जो भी वित्तीय उपलब्धियां रही हैं, उन्हें देखते हुए तथा निरन्तर वित्तीय अनुशासन बरत कर, हम प्रगति की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेंगे एवं हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकेंगे, इसकी उम्मीद अब हम कर सकते हैं।

56. इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं वर्ष 1975-76 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4 मार्च 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4-54 बजे मंगलवार दिनांक 4 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

25

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 1975

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
18	ऊपर से 7	सम्भवा	संभावना
22	ऊपर से 9	प्रत्याधिक	प्रत्यधिक
32	,,	सम्मिलिति	सम्मिलित
36	,,	वाजिक	वार्षिक
48	,, 6	अयध्क्ष,	अध्यक्ष
48	,, 9	1976	1975